राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

प्रंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का ११ वां दिवस [संख्या ९

गुरुवार, दिनांक ७ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक मं. पू. ११ बज कर २ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(कर, देवस्थान, शिक्षा, खादी ग्रामोद्योग, ग, सहकारी, राजस्व, रसद, विकास, पंचायत, सामान्य प्रशासन एवं खनिज—विभाग)

प्रश्न संख्या १९७

भरतपुर में स्टोव बनाने वाली फर्मों द्वारा सेल्स टैक्स

१९७. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भरतपुर की स्टोव बनाने वाली किसी फर्म ने अपने उत्पादन की बिक्री पर कभी कोई सेल्स टैक्स जमा कराया है ? यदि हां, तो किस-किस ने कितना-कितना और कहां ?

आबकारी एवं कर मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : जी नहीं ।

प्रश्न संख्या १९८

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १९९

श्री अध्यक्ष : श्री गणपतिलाल वर्मा ।

(अनुपस्थित)

निम्बाहेडा में आकाफ प्रोपर्टी

२००. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेडा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) निम्बाहेडा में आकाफ की प्रोपर्टी कितनी है और उसकी वार्षिक आय क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) उक्त प्रोपर्टी पर किसका नियंत्रण है ?

(श्री अब्दुलजब्बार)

(३) क्या कभी वक्फ कमिश्नर द्वारा उक्त प्रोपर्टी की जांच व चैकिंग की गई है ? यदि हां, तो कब ?

उप-मंत्री, देवस्थान (श्री रामप्रसाद लडढा) : (१) ४७ वक्फ प्रोपर्टीज़ हैं व उनकी वार्षिक आय १०,३६८ रु० है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) अधिकतर प्रोपर्टीज़ पर सिवाय उन प्रोपर्टीज़ के जिनमें कि मुतवल्ली मुकर्रर हैं आकाफ कमेटी, निम्बाहेडा का नियन्त्रण है ।

(३) इन वक्फ प्रोपर्टीज़ का सर्वे जरिये सहायक वक्फ कमिश्नर (तहसीलदार) हो चुका है । सिर्फ कमिश्नर वक्फ का चैकिंग बाकी है जो वह शीघ्र ही करने वाले हैं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो मुतवल्ली मुकर्रर करने का आपने फरमाया है तो मुतवल्ली किसको मुकर्रर फरमाया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी इत्तिला मेरे पास नहीं है ।

श्री अब्दुलजब्बार : वक्फ प्रोपर्टी वक्फ बोर्ड के पास में रहनी चाहिये या मुतवल्ली के पास में रहनी चाहिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: प्रोपर्टी का सर्वे हो चुका है । चैकिंग होने के बाद में कार्यवाही की जायगी ।

श्री अब्दुलजब्बार: वहां पर लोगों ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है । राजस्थान वक्फ कमिश्नर की तरफ से एक लैटर गया है जिसका नं०१४८४ ता. ६-७ है; इसके आधार पर जाहिर होता है कि this is with one Shri Jagannath S/o Seth Govinda R/o Nimbahera, इस प्रोपर्टी को, इस वक्फ को अपने हाथ में क्यों नहीं लेती है सरकार ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह इस प्रश्न से पैदा नहीं होता है ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह नियन्त्रण का सवाल आता है तो नियन्त्रण किसका है ? जब कि वक्फ की प्रोपर्टी वक्फ के अन्डर में नहीं है तो फिर नियन्त्रण किसका माना जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: वहां पर वक्फ कमिश्नर जा रहे हैं और चैकिंग करके जिस प्रकार की भी सारी कार्यवाही होगी वह की जायगी ।

श्री अब्दुलजब्बार: क्या यह आशा की जाय कि इस प्रोपर्टी का सही तरीके से इस्तेमाल हो; इस बात का क्या सरकार की तरफ से इस प्रकार का नियन्त्रण होगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम ।

राजकीय माध्यमिक कन्या पाठशाला, सोजत का भवन

२०१. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि सोजत में सरकार की ओर से राजकीय माध्यमिक कन्या पाठशाला भवन का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो उक्त भवन किस तारीख को बनकर तैयार हुआ है व सार्वजनिक निर्माण

Page No.3

(श्री तेजाराम गहलोत)
विभाग की ओर से भवन का चार्ज लेने हेतु कब लिखा गया है ?

(२) उक्त भवन का चार्ज शिक्षा विभाग ने किस तारीख को लिया ?

(३) भवन की तैयारी की तारीख से नये भवन में कन्या पाठशाला न खुलने तक शिक्षा विभाग को कितना रुपया किराये के रूप में देना पड़ा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां । भवन निर्माण कार्य १५-३-६२ को पूरा कर दिया गया था, किन्तु निर्माण कार्य में कुछ त्रुटियां थीं जो ठेकेदार ने १३-९-६२ को पूरी कर दी हैं। दिनांक १-१०-६२ को प्रधानाध्यापिका को चार्ज भवन लेने को लिखा गया है ।

(२) अभी नहीं लिया ।

(३) दि. १४-९-६२ से फरवरी ६३ तक किराया ४०) रु० माहवार से २२०) रु० होता है ।

श्री तेजाराम गहलोत : आपने प्रधानाध्यापिका को १-१०-६२ को भवन का चार्ज लेने के लिये लिखा है ; तो यह किराया उनके चार्ज नहीं लेने से न दिया गया है तो क्या सरकार उनसे वसूल करेगी और भविष्य में भी जब तक कि वे चार्ज नहीं ले लें · · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रधानाध्यापिका को लिखा गया था कि चार्ज शीघ्र लो, लेकिन उन्होंने कुछ आपत्ति की कि युरिनल्स और लैट्रिन्स तैयार नहीं हुए हैं । ऐसी स्थिति में कुछ अंशों में लेने से इन्कार किया, इसलिये जो २२०) रु० किराये का प्रश्न यद्यपि उपस्थित होता है, लेकिन यह उचित नहीं है कि उनसे वसूल किया जाय । इसलिए वसूल करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

श्री तेजाराम गहलोत : आपने बताया कि भवन का निर्माण कार्य १५-३-६२ को पूरा हो गया और १-१०-६२ को चार्ज लेने को प्रधानाध्यापिका को चार्ज लेने के लिए लिख दिया; फिर उसमें कैसी त्रुटियां रह गईं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: कुछ त्रुटियां रह गई थीं जिनमें मुख्य त्रुटि जो प्रधानाध्यापिका ने लिखी है वह रह गई, युरिनल्स और लैट्रिन्स की । लेकिन मैं विश्वास दिलाता · · क भवन चा र्ज शीघ्रातिशीघ्र ले लिया जायगा ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या युरिनल्स और लैट्रिन्स नक्शे में नहीं थे ?

श्री तेजाराम गहलोत: जिस भवन में अभी स्कूल चल रहा है · · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या पूछ चुकी हैं और आप उसको दोहरा रहे हैं । One at a time.

श्री निरंजननाथ आचार्य: युरिनल्स और लैट्रिन्स फिक्स करने की बात नक्शे के अन्दर है लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है । युरिनल्स और लैट्रिन्स को फिक्स अप करने का प्रश्न है । यह बच्चियों का मामला है और माननीय सदस्या स्वयं समझती हैं कि कितना आवश्यक होता है ।

श्री तेजाराम गहलोत : जिस भवन में आज कन्या पाठशाला चल रही है उसमें

(श्री तेजाराम गहलोत)

किसी तरह की सुविधा नहीं है। वहां पर लड़कियों के बैठने की जगह नहीं है और सरकारी भवन बना हुआ है, उसमें शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जल्दी ही उनको आदेश फरमावें कि जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य: अध्यक्ष महोदय, मैं आज ही लिख दूंगा कि शीघ्र ही भवन का चार्ज ले लिया जाय, चाहे उसमें युरिनल्स और लैट्रिन्स की असुविधा होती हो तो भी परवाह न की जाय।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: क्या युरिनल्स और लैट्रिन्स के अन्दर काफी लम्बा वक्त लग जाता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: समय तो कम लगता है, लेकिन ठेकेदार को मूव करते हैं और डिपार्टमेन्ट बीच में आता है इसलिये लम्बा समय लग जाता है। अगर सीधा लम्बर को कहना होता है तो कम समय लगता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): ठेकेदार को पहले नहीं कहा गया था क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: आपका मकान बनता है तो उसमें भी जब कुछ त्रुटि रह जाती है तो इसमें तो उसको भी ठीक किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या २०२

श्री अध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २०३

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २०४

श्री हरिकिशन।

(अनुपस्थित)

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत ऊन अनुभाग तथा उत्पादन केन्द्र

२०५. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर): क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत ऊन अनुभाग तथा ऊन उत्पादन के केन्द्र कहा २ हैं और प्रत्येक में कौन २ किस २ योग्यता के किस २ वेतन पर कब २ से कार्य कर रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) ऊन अनुभाग के लिये किस २ वर्ष में कितना २ खर्च केवल एस्टेब्लिशमेंट पर हुआ है।

(३) ऊन अनुभाग में कहां २ मोटर गाडियां हैं और किस काम में आती हैं।

(४) क्या इस अनुभाग के अन्तर्गत चलने वाले ऊन उत्पादन केन्द्रों का वार्षिक स्टॉक चेकिंग होता है ? यदि हां, तो किस वर्ष में यह स्टॉक चेकिंग हुआ और क्या खामियां पाई गई ?

उप-मंत्री, खादी, ग्रामोद्योग (श्री दिनेश डांगी): (१) खादी ग्रामोद्योग [illegible] अन्तर्गत एक ऊन अनुभाग बीकानेर [illegible]

(श्री दिनेशराय डांगी)
जयपुर में व एक ऊन उत्पादन केन्द्र बीकानेर में चल रहा है। प्रत्येक केन्द्र के कार्यकर्त्ताओं की योग्यता, वेतन आदि की सूची संलग्न है।

(२) ऊन अनुभाग के लिये प्रत्येक वर्ष में एस्टेब्लिशमेंट पर किये गये खर्च का ब्यौरा भी संलग्न है।

(३) बोर्ड के ऊन अनुभाग, बीकानेर के डिस्पोज़ल पर एक गाडी है, जिसका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है।

(४) वार्षिक स्टॉक चेकिंग साल के अन्त में होता है, जिसमें स्टॉक कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या ऊन उत्पादन केन्द्रों का ऑडिट होता है और ऑडिट सरकार के सामने पेश किया जाता है ?

श्री दिनेशराय डांगी : बोर्ड के सामने ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सालाना होती है और बोर्ड के सामने पेश होती है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस आडिट रिपोर्ट में स्टोक की कमी का उल्लेख नहीं है ?

श्री दिनेशराय डांगी : प्रश्न पैदा नहीं होती है।

श्री भैरोंसिंह: प्रश्न तो पैदा होता है।

श्री दिनेशराय डांगी : जैसा कि मैंने बताया है ऑडिट रिपोर्ट में कमी नहीं पाई गई।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न ही इसलिये है कि स्टोक चैकिंग की रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट दोनों में अन्तर है। ऑडिट रिपोर्ट में कमी बताई है और आप कौनसी स्टोक चैकिंग की रिपोर्ट बता रहे हैं जिसमें कमी का जिक्र नहीं कर रहे हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : किस प्रकार की कमी है उसका जिक्र कर रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : ओडिट के मामले में यह ज्यादा जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह: इसीलिये तो प्रमोशन मिला है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

उद्योग द्वारा कार्य

२०६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): Will the Industries Minister be pleased to state:—

1. What Industries (new or expansion) have been granted licence in Rajasthan since 1957 ?

2. Which of them have started functioning ?

3. What step is the Government taking to see that others too start functioning soon ?

4. What more Industries the Government of Rajasthan has recommended to the Government of India for the grant of licence ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद):

1. List has been placed on the Table of the House.

Page No.6

(श्री चन्दनमल वैद)

2. An indication to this effect has been given in the list.

3. The State Government on their part are extending all reasonable help to the licensee for implementing the licence. Progress is being watched. As soon as the Government are aware of any difficulty experienced by the party, in implementing the project all possible efforts are made to solve them.

4. List has been placed on the Table of the House.

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही है कि अधिकतर इन्डस्ट्रीज जो हैं उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है, उसका कारण यह है कि उनको पॉवर नहीं मिला है ?

श्री चंदनमल वैद: जी नहीं, पॉवर के विषय में ज्यों ज्यों उपलब्ध होता रहता है सारी फेसिलिटीज़ उनको देते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री भगराज।

प्रश्न संख्या २०७.

श्री भगराज चौधरी (रानीवाडा): I don't want to press it, Sir.

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर में खादी हुंडी की बकाया रकमें

२०८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या मंत्री, खादी ग्रामोद्योग विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर में खादी हुंडी का रुपया किन किन पर कितना २ कब से बकाया है ?

(२) इन रुपयों की वसूली के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की तथा कितना रुपया वसूल हुआ ?

उप-मंत्री, खादी ग्रामोद्योग (श्री दिनेशराय डांगी): इस समय खादी हुंडी की कोई रकम बीकानेर में बकाया नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास: जो रकम पहले बकाया थी वह क्या अब तक पूरी वसूल कर ली गई है ?

श्री दिनेशराय डांगी: ५४-५५ में हुंडी के रूप में जो रकम दी गई थी वह सन् ५९ में कम्पलीटली वसूल हो गई है।

श्री मुरलीधर व्यास: सन् ५९ के बाद में गवर्नमेन्ट की रिप्लाई मेरे पास मौजूद है, जिसमें कहा गया था कि बकाया है। मंत्रीजी ने रिप्लाई दी थी क्वेश्चन अवर में; यहां तक कि ७००० रुपये एक व्यक्ति की तरफ होना बताया था। यह जवाब सन् ५९ में दिया गया था और आप कहते हैं कि रुपया बकाया नहीं है, यह किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी: अध्यक्ष महोदय, जैसी मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर ६-३-५९ में पूर्णरूप से वसूल हो चुकी है। डिटेल्स की आवश्यकता हो तो वे भी मिल जायंगी।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमसेन।

हाई कोर्ट के निर्णय की क्रियान्विति

२०९. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा १५ (अ) तथा बीकानेर स्टेट के

(श्री भीमसेन)
तावानी काश्तकारों के संबंध में माह जुलाई में सूरजाराम वगैरह वर्सेज़ डाइरेक्टर कोलोनाइजेशन वगैरह नामक रिट पिटिशन में राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी क्रियान्विति के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्डा): यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है। फिलहाल उन काश्तकारों से, जोकि इस निर्णय से प्रभावित होते हैं मालकाना की वसूली नहीं करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

श्री भीमसेन : बीकानेर स्टेट के वक्त जो तावानी काश्तकार हैं उनसे अब भी तावान वसूल कर रहे हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह बिल्कुल अलग प्रश्न है। अभी जो जवाब दिया गया है वह हाई कोर्ट के जजमेन्ट से प्रभावित होने वाली भूमि के संबंध में दिया गया है।

श्री भीमसेन: हाई कोर्ट ने जजमेन्ट दिया है, गवर्नमेन्ट फिर भी वसूल कर लेती है। He is no more a trespasser ..

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने निवेदन किया कि इस जजमेन्ट से प्रभावित होने वाले लोगों से नहीं वसूल किया जाय, इसके आदेश दिये हैं; बाकी सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): हाई कोर्ट से जो डिसीज़न होते हैं उनके बारे में इन्सट्रक्शन्स जल्दी जारी कर देनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यही तो निवेदन किया था कि मालकाना की वसूली नहीं की जाय, इसके लिये इन्सट्रक्शन्स इश्यू किये जा चुके हैं।

श्री भीमसेन: तावान जरूर वसूल किया है; उनसे वसूल नहीं करने के लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मालकाना वसूल नहीं किया जाय, इस के आदेश दे दिये हैं।

श्री भीमसेन: मैं तावान के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं लॉ और जजमेन्ट का इन्टरप्रिटेशन करूं, यह मौका नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या हाई कोर्ट के जजमेन्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिये लीव की मांग की थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अपील नहीं की जा रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): क्या जो तावान वसूल किया है वह वापिस लौटाया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जिन केटेगरीज़ के लोगों के लिये यह फैसला दिया गया है उन सब के लिये क्या आपने वह कार्यवाही की है जो हाई कोर्ट के जजमेन्ट के अनुसार उन केटेगरीज़ के लोगों के लिये की जानी चाहिये ? इसके लिये क्या आपने ऑर्डर्स किये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : yes, sir.

श्री अध्यक्ष: श्री स्वरूपनारायण।

Page No.8

जयपुर शहर में कोयले की कमी

२१०. **श्री स्वरूपनारायण पुरोहित** (सीकर) : क्या उद्योग व रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर शहर में कोयले की अत्यधिक कमी का क्या कारण है ?

(२) यहां पर कोटा पूरा क्यों नहीं एलॉट किया जाता है ?

(३) क्या शहर की आबादी को देखते हुए जो कोयला यहां सप्लाई होता है वह पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो ऐसी दशा में क्या सरकार कोई उचित प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चंदनमल वैद): (१) पूरे राजस्थान के लिये सिर्फ ७५ वैगन सोफ्ट कोक का माहवारी कोटा कोल कंट्रोलर द्वारा निर्धारित किया गया है, उसमें से जयपुर के लिये २० से २५ गाडी प्रति माह दी जाती रही है । कमी का कारण कोटे का कम होना है ।

(२) कोटा की कमी होने के कारण ।

(३) जी हां, पर्याप्त नहीं है । कोटा बढ़ाने के लिये कई दफा कोल कंट्रोलर व केन्द्रीय सरकार को लिखा गया, किन्तु कोटा बढ़ाने के लिये कोल कंट्रोलर ने असमर्थता प्रकट की ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि जयपुर में इस वक्त कोयले के कोटे में कमी की गई है, पहले जो लोगों को मिलता था उसमें कमी की है ?

श्री चंदनमल वैद : मैंने निवेदन किया कि २०-२५ वैगन हर माह जयपुर में दिया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कह रहा हूं कि पहले इससे अधिक दिया जाता था ?

श्री चंदनमल वैद : इससे पहले भी इतना ही देते थे ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): हमारे यहां पलाना जैसी कोयले की खान है, फिर भी इतनी दिक्कत हो रही है तो यहां से कोयला क्यों नहीं निकाला जाता ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : कोयले का कोटा क्यों नहीं बढ़ाया जाता ?

श्री चंदनमल वैद : इसलिये कि उत्पादन नहीं बढ़ता ।

प्रश्न संख्या २११

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान ।

(अनुपस्थित)

भरतपुर में पीतल के बर्तन बनाने वाली फार्मों द्वारा सेल्स टैक्स

२१२. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भरतपुर में पीतल के वर्तन बनाने वाली किसी फर्म ने अपने उत्पादन की बिक्री पर कभी कोई सेल्स टैक्स जमा कराया है ? यदि हां, तो किस किस ने, कितना कितना, कब और कहां ?

आबकारी एवं कर मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : फर्म के नाम और सालाना जमा कराई गई रकम की लिस्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री रामकिशन : लिस्ट मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : छोटी लिस्ट हो तो सुना दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : सुना देता हूं :

भरतपुर में पीतल के बर्तन बनाने वाली उन फर्मों के नाम व रकम जो उन्होंने १९५५-५६ से १९६१-६२ तक सेल्स टैक्स दिये हैं :

सन्	बूचीराम ग्यासीराम	नत्थीलाल फूलचंद	बालमुकुन्द मक्खनलाल
१	२	३	४
नं.	रु० न पै.	रु० न.पै.	रु. न. पै.
१९५५-५६		३००.४३	३४७.६६
५६-५७		६५४.३३	३८४.८०
५७-५८		८८६.१३	८७२.०६
५८-५९		७२७.१२	६८४.३१
५९-६०	१३२.५६	८५०.२८	२०७०.३७
६०-६१	६५३.४२	७३६.२७	३५५०.००
६१.६२	४६०.०२	५४१.१०	१८१८.४५

श्री रामकिशन: आपके हिसाब से तीनों डीलर्स ने सेल्स टैक्स दिया है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां।

ब्लाक खोलने हेतु प्रार्थना-पत्र

२१३. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या पाटन तहसील की जनता व पंचायत समिति के द्वारा ब्लॉक खोलने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन पर विचार करेगी ?

(ग) क्या यह सही है कि यह क्षेत्र चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के अन्तर्गत आता है ?

उप-मन्त्री, विकास (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (क) जनता द्वारा प्रेषित कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। पंचायत समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) अक्टूबर १९६२ से पूर्व प्रसार खण्ड खोल दिया गया है।

(ग) जी हां।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : समझ में नहीं आया। ऊंचे स्वर से बोलना चाहिए।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माइक से मुंह दूर रखते हैं इसलिये सुनाई नहीं देता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने कहा कि १९६१-६२ में प्रसार खण्ड खोल दिया गया है, वहां तो सी. डी. खण्ड है।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : मैंने कहा १९६२ से पूर्व प्रसार खण्ड खोल दिया गया है।

Page No.10

श्री हरिप्रसाद शर्मा : चम्बल प्रोजेक्ट एरिया होने के कारण आप इसकी आवश्यकता नहीं समझते क्या ? इतनी देर किस तरह हुई ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : *पूर्व प्रसार खण्ड का समय पूरा होने पर फर्स्ट स्टेज विकास खण्ड का कार्य शुरू हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द।

सांभर शामलात झील को भारत सरकार को स्थानान्तरित करने सम्बन्धी एवार्ड

२१४. **श्री रामानंद अग्रवाल** (अलवर): Will the Minister for Industries be pleased to state:—

1. Whether the award of Shri V.T. Krishnamachari on the transfer of Sambhar Salt Lake to Government of India has been received by the Government of Rajasthan ?

2. If so, what is the award ? Please place a copy of the same on the Table of the House. What action does the Government propose to take to get it altered in case the Government is not satisfied with the award given.

3. What claim was made by the Rajasthan Government in their memorandum to the arbitrator ?

उप-मंत्री उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : 1. Yes.

2. The award is advantageous to the State Government. A copy thereof is placed on the table......

---

*यह अनुपूरक उत्तर बाद में उपमंत्री महोदय द्वारा अनुमोदन के समय लिखित में भेजा गया जिसे अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार मुद्रित करवाया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसका जवाब तो हिन्दी में दिया जा सकता है प्रश्न अंग्रेजी में है तो क्या हुआ।

श्री चंदनमल वैद: प्रश्न अंग्रेजी में है इसलिये उत्तर में अंग्रेजी में दे रहा हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : प्रश्न पूछने वाले ने गलती की है तो आप क्यों गलती कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल): Let him accept his mistake.

श्री मानिकचन्द सुराणा : कम्युनिस्ट पार्टी ने यह गलती की है तो कांग्रेस वह क्यों कर रही है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : There is no mistake.

श्री चन्दनमल वैद : प्रश्नकर्ता ने क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछा है और वे बताना चाहते हैं कि वे अंग्रेजी जानते हैं तो मैं भी जवाब अंग्रेजी में देकर बताना चाहता हूं कि मैं भी अंग्रेजी जानता हूं। अगर हिन्दी में प्रश्न पूछते तो मैं भी हिन्दी में जवाब दे सकता था।

श्री रामकिशन (वैर): कांग्रेस भी कम्युनिस्टों को फोलो कर रही है।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल वैद : A copy thereof is placed on the table of the House.

कई माननीय सदस्य : समझ में नहीं आ रहा है।

श्री चन्दनमल वैद : Moreover before referring the case to the arbitrator,

Page No.11

(श्री चन्दनमल बैद)
it was agreed that the decision which would be given by the arbitrator would be abided by both.

श्री रामकिशन : हिन्दी में पढ़िये, समझ में नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Order please !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार को आप निर्देश देने की कृपा करें।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : इसके मायने यह हैं कि अंग्रेजी में बोल ही नहीं सकेंगे।

श्री रामकिशन: बंगला में बोल सकते हैं।

श्री कुमारानन्द: बंगला में क्यों, अंग्रेजी में बोल सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, यह निर्देश होना चाहिए कि सरकार का हिन्दी में काम होना चाहिए। सरकार यह निर्देश देती है कि अधिक से अधिक काम हिन्दी में किया जाय, लेकिन जब मंत्री महोदय से अनुरोध किया जाता है कि वे हिन्दी में बोलें तो जो सरकार आदेश देती है, उसका पालन वे स्वयं नहीं करते हैं तो फिर दूसरों से कैसे पालन करायेंगे ?

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, प्रोनन्सियेशन अंग्रेजी का इतना खराब है कि समझ में नहीं आता है।

श्री चन्दनमल बैद : By both the Government i. e. Central and State.

XXXX

श्री चन्दनमल बैद : The State Government made a claim of Rs. 35 lacs per annum on Salt..

श्री रामकिशन : अंग्रेजी ठीक बोलिये। सब गलत बोलते हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : इसमें भाषा की गलती है और······

श्री अध्यक्ष : यह कहीं नहीं लिखा है कि भाषा ग्रामेटिकल हो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कुछ तो हो।

श्री अध्यक्ष : शांति हो, आपकी तरफ से।

श्री चन्दनमल बैद : 1. Yes.

2. The award is advantageous to the State Government. A copy thereof is placed on the table of the house. Moreover before referring the case to the arbitrator it was agreed that the decision which would be given by the arbitrator would be

---

XXXX अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No.12

(श्री चन्दनमल बैद)
abided by both the Governments i. e. Central and State.

3. The State Government made a claim of Rs. 35 lacs per annum on Salt as against 15 lacs at present plus royalty on tonnage on the bye-products or in the alternative a lump sum of Rs. 17 lacs p. a.; thus making a total claim of 54 lacs of rupees.

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या.......

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अंग्रेजी में पूछना।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : आपके इशारे पर पूछेंगे क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए अपने सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन्स हिन्दी में रखूंगा।

क्या यह सही है कि आर्बीट्रेटर ने इसमें राजस्थान सरकार को, जहां राजस्थान सरकार ने ३५ लाख सालाना क्लेम किया था उसके मुकाबले में केवल १६ लाख रुपया सालाना देने का निर्णय किया है ?

श्री चन्दनमल बैद : १६ लाख रुपया पांच साल की गारंटी है, ऐसा निर्णय किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यानी जहां राजस्थान सरकार ने ३५ लाख रुपया सालाना का लम्प सम में रायल्टी में क्लेम किया था वह उसके मुकाबले में पांच साल के लिए टेम्पोरेरिली १६ लाख रुपया सालाना की गारन्टी दी है – क्या यह निर्णय है ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राजस्थान सरकार इस निर्णय को केवल, क्योंकि यह आर्बीट्रेशन के कारण लागू हुआ है, इसलिये मानने को तैयार है या इसको उचित और वाजिब समझती है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं बता चुका हूं कि यह एडवान्टेजियस है।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया): इस संबंध में पूरी तरह से निर्णय देखा जाय तो विदित होगा कि गारन्टी दी गई है, मिनिमम गारन्टी है; उसके साथ आर्बीट्रेशन के जरिये राजस्थान गवर्नमेंट का उसमें शेयर मान कर अल्टीमेटली प्रोफिट में ज्यादा बढ़ सके, इस बात को स्वीकार किया गया है और इसलिये राजस्थान गवर्नमेंट ने इस आर्बीट्रेशन को स्वीकार किया है।

२१५. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़): क्या मंत्री, रसद विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले की तहसील कुशलगढ़ की जनता को ३ माह से मिट्टी का तेल मिलना बिल्कुल बन्द हो गया है ?

(२) क्या इस संबंध में जनता द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष शिकायतें पेश की गई हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों ने जनता की कठिनाई दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

(श्री हीराभाई)

(३) क्या सरकार इस संबंध में तुरन्त कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, रसद (श्री चन्दनमल बैद) :

(१) यह सही नहीं है ।

(२) कोई शिकायत पेश नहीं हुई है ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री हीराभाई: आपने अभी पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह सही नहीं है, यह आपने किस आधार पर कहा है ।

श्री रामकिशन (वैर): आप मिट्टी का तेल तो खरीदते नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकिशन ।

श्री हीराभाई : आपने कहा कि यह सही नहीं है तो यह कैसे सही नहीं है ? मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर घासलेट तीन महीने तक बिल्कुल बन्द कर दिया गया था और पब्लिक को नहीं दिया गया । आपको इसके लिये रिमाइन्डर पर रिमाइन्डर दिये गये, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई । वहां तेल बेचने वालों ने कहा कि अभी लाइसेन्स नहीं दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण न दें । प्रश्न पूछें ।

श्री हीराभाई : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं । इन्होंने कहा कि यह सही नहीं है, यह कैसे सही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आपको इस संबंध में जानकारी करा दी गई है ।

श्री चन्दनमल बैद : इस वक्त कुशलगढ़ तहसील में कोई मिट्टी के तेल की कमी नहीं है । जनवरी और फरवरी में ४३२ टिन घासलेट के भेज दिये गये हैं ।

श्री हीराभाई : कौनसी तारीख को भेजा गया । संकटकालीन स्थिति जब से पैदा हुई तभी से घासलेट बन्द हो गया और उसके बारे में अभी फिलहाल : · · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री बता चुके हैं कि कितने पीपे वहां पहुंचा दिये गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): नवम्बर-दिसम्बर से घासलेट नहीं मिला ।

श्री चन्दनमल बैद : जनवरी के शुरूआत में वहां ४३२ टीन पहुंच चुके हैं और अब कोई भी कमी नहीं है ।

श्री हीराभाई : तीन-चार महीने तक वहां पर तेल नहीं पहुंचा तो उन्होंने क्या कार्यवाही की ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर ! ! आप भाषण दिये जा रहे हैं ।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और वहां लोगों को घासलेट नहीं मिला । · ·

श्री अध्यक्ष: Order ! Order !! Order please !

(फिर भी बोलने का उपक्रम किया)

माननीय सदस्य को मैं वार्निंग देता हूं कि यदि वे बगैर इजाजत के बोलेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी । आप सदन की कार्यवाही में इस तरह बाधा नहीं डाल सकते । आपको जवाब मिल चुका है । माननीय सदस्य

(श्री अध्यक्ष)
को हमेशा समय से ज्यादा बोलने की इजाजत देता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका दुरुपयोग करें।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री राधाकिशन।

भरतपुर में चमडा उद्योग के लिये दिया गया ऋण

२१६. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भरतपुर में चमडा उद्योग के लिये किन्हीं फर्मो को कर्ज दिया गया है? यदि हां, तो किस किस को और कितना कितना?

(२) क्या सरकार ने इस उद्योग को कभी चैक किया है? यदि हां, तो यह उद्योग कहां चल रहा है और इसमें कितना माल तैयार होता है?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल बैद): (१) जी हां, जिनको कर्जा दिया गया है उसकी तालिका संलग्न है।

(२) जी हां, ये जिला उद्योग अधिकारी एवं उद्योग प्रसार अधिकारी द्वारा समय समय पर चैक किया जाता है। भरतपुर में जिन स्थानों पर ये उद्योग चल रहे हैं वे संलग्न सूची में दिये हुए हैं। इन कुटीर उद्योगों के उत्पादन सम्बन्धित सही आंकडे इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री रामकिशन: इसमें प्रश्न के (२) भाग में यह पूछा गया है कि सरकार ने इन उद्योगों को कभी चैक भी किया। आपने कोई तारीख नहीं दी कि कब २ चैक किया गया। आपने अपना अस्पष्ट उत्तर दे दिया है।

श्री चन्दनमल बैद: ३१ उद्योगों को कर्जा दिया गया है। ये घरेलू उद्योग-धन्धे हैं। इनमें हिसाब-किताब रखने की जरूरत नहीं है। अगर हिसाब-किताब रखने की पाबन्दी उन पर लगा दी जावेगी तो ये चल नहीं सकते। उद्योग अधिकारी समय समय पर चैक करते रहते हैं।

श्री रामकिशन: आपने बताया कि ३१ उद्योगों को कर्जा दिया, जैसी कि आपने सूची दी है। दरख्वास्तें इसके लिये बहुत आई, मगर आपने उनको ही दिया जिनके नाम सूची में दिये हैं। क्या उद्योग अधिकारियों ने इसकी जानकारी की है और कभी चैक किया है?

श्री चन्दनमल बैद: मैंने कहा कि समय समय पर अधिकारी चैक करते रहते हैं।

श्री रामकिशन: किसी एक का तो आप हाल बतावें कि किसका और कब चैक किया है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

ग्राम महाजन के लोगों के लिये पानी की व्यवस्था

२१७. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह-नगर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गांव महाजन, तहसील लूणकरणसर में मीठिया कुंआ ही सारे गांव को पानी देने का साधन है?

Page No.15

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(२) इस मीठिये कुए का पानी क्या रेल्वे वाले भी लेते हैं ?

(३) क्या इस कुंए से पानी के नल राजा महाजन के किले में से होकर गांव में आते हैं ?

(४) क्या राजा महाजन के किले में से गांव के पानी को रोका जा सकता है ?

(५) यदि हां, तो क्या यह सही है कि राजा महाजन कई बार गांव का पानी रोक चुके हैं ?

(६) क्या सरकार इन परिस्थितियों में नल लगा कर गांव वालों को पानी देने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी नहीं। चार कुए और हैं।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। नल किले तक ही है। गांव में नहीं जाते।

(४) जी हां।

(५) राजा महाजन ने गांव वालों को पानी लेने से रोक दिया था।

अब यथापूर्व गांव वालों को पानी मिल रहा है।

(६) इस समय गांव महाजन में नल-जल योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या मीठिया नाम का कुआ गांव में नहीं है ? आपने अपने उत्तर में बताया कि 'जी नहीं' ; इसका मतलब यह कि कोई नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वहां पर चार कुए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप इस तथ्य से इन्कार कर रहे हैं कि जो नल राजा महाजन के किले में से होकर आता है बन्द कर दिया गया और क्या वह बन्द किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : वह नल किसके द्वारा लगाया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : राजा महाजन को कोठी से पानी देने के लिये गांव वालों के आपस में समझौता हुआ था; उसके अनुसार पानी गांव वालों को दिया जाता है। अब आपस में समझौता हो गया है।

श्री अध्यक्ष : कुआ सार्वजनिक है या प्राइवेट है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : प्राइवेट है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजा महाजन के किले में से होकर नल आता है जिसके जरिये पब्लिक को पानी दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : यह तो व्यक्तिगत कुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिस समय अन्दर से नल बन्द कर देते हैं तो उससे गांव वालों को पानी की तकलीफ हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No.16

निर्धन विद्यार्थियों की श्रेणी के अन्तर्गत विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति

२१८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत** (भीम) : Will the Minister for Education please state:—

1. What is the total number of students who were granted scholarships under the category of poor students during the last year ?

2. Is the Government aware that the fathers and the guardians of a large number of them pay Income Tax ?

3. Is it a fact that the fathers of a large number of such students are Government servants drawing salary above Rs. 250/- a month ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : Students were granted scholarships to poor students during the last year.

2. No.

3. Not in a large number but in few hard cases; under the extreme poverty category scholarships have been granted.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): क्या यह distinction या merits पर निर्भर है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : No, Sir, it depends upon merits and poverty.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत : क्या इस बात की पूरी सावधानी रखी जाती है कि जिनके गार्जियन्स इनकम टैक्स देते हैं उनको नहीं दिया जाए और क्या वे इस संबंध में मजिस्ट्रेट से सर्टीफिकेट लेते हैं जिनको देते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या पोवर्टी स्ट्रिकन लडकों का ध्यान रखा जाता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक्स्ट्रीम पोवर्टी वालों का अलग खाना है।

श्री मयुरेशबिहारी (बांदीकुई) : Is it the basis for granting merit ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Well, Sir, I could not hear because of the noise created on that side.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री कुमारानन्द।

स्मारकों को हटाना

२२९. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : Will the Chief Minister be pleased to reply:—

1. Who was Sir Curzon Wylle ?

2. Is there any Memorial of Sir Curzon Wylle in Ajmer? If so, when this Memorial was erected and why?

3. Is it not true that the patriotic people of Ajmer-Merwara had drawn the attention of the Rajasthan Government several times for removing this Memorial of Sir Curzon Wylle from Ajmer and to replace it by erecting a Memorial of Late Shri Madan Lal Dhingra the martyr revolutionary who was hanged in England in 1908 for shooting Sir Curzon Wylle?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : 1. Col. W. H. Curzon Wylle was associated with Ajmer-Merwara from

(श्री परसराम मदेरणा)

the year 1891 and served as Commissioner of Ajmer-Merwara. He was also Agent to the then Governor General and Chief Commissioner of Ajmer-Merwara from 1900 to 1909. He served a the Political A.D.C. to th Secretary of State of India, London.

2. Yes. It is reported that a white Marble Pavalion was erected by his numerous friends, admirers in Rajputana and Ajmer-Merwara.

3. No.

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या...

श्री कुमारानन्द : अजमेर-मेरवाड़ा के···

श्री अध्यक्ष: Order ! Order please !! श्री कुमारानन्द ।

श्री कुमारानन्द : अजमेर-मेरवाड़ा के शहीद मदनलाल धींगड़ा ने कर्जन वायली को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस, इंग्लैण्ड म अण्डर सेक्रेटरी का काम कर रहे थे, उनको गोली (शोट) किया था और इसलिये कि बहुत से रिप्रेसिव लॉज उन्होंने पास किये थे जिनसे हमारे बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हुए थे, डिटेन्शन में हुए थे। इसलिये मदनलाल धींगड़ा ने कर्जन वायलीली को गोली से मार दिया। १९०९ में मदनलाल धींगड़ा को फांसी हुआ था······

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): १९०५ में·····

श्री कुमारानन्द : नहीं, १९०९ में फांसी का हुक्म हुआ, इसमें गलत लिखा है। फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए उसने कहा, 'हमने हमारा काम किया है, फांसी के तख्ते से जितनी बूंद खून गिरेगा उतना ही मदनलाल धींगड़ा बनेगा।' तो कर्जन वायली के शूटिंग के बाद यहां के राजा-महाराजा, सबने मिल कर मीटिंग किया उन्होंने मदनलाल धींगड़ा को कण्डेम किया और कर्जन वायली का मेमोरियल बनाया। तो मंत्री महोदय इस विषय में बताने की कृपा करें कि कर्जन वायली के मेमोरियल को, उस इन्स्टीट्यूशन को हटाया जायगा या नहीं ?

श्री रामकिशन : मंत्री महोदय जानते ही नहीं, क्योंकि क्रांति के दिनों में कोई मंत्री थे ही नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक फोरिनर्स के स्टेच्यूज का सवाल है सारे राजस्थान में उनके स्टेच्यूज़ को १९५७ के ऑर्डर में हटा दिया। यह मेमोरियल था और इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया। अब अगर माननीय सदस्य इन्सिस्ट करते हैं तो मेमोरियल को हटा देंगे।

श्री कुमारानन्द : क्या मदनलाल धींगड़ा के मेमोरियल के बारे में जनता ने मांग की थी ?

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक कर्जन वायली के मेमोरियल के रिमूवल का सवाल है इसे रिमूव करा दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि एक नॉन ऑफिशियल रिज़ोल्यूशन इस बात की मांग करते हुए कि मदनलाल धींगड़ा का मेमोरियल उस स्थान पर बनाने के बारे में आया था वह सरकार को रेफर हुआ था, which was not discussed later....

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : It never come into ballot also.

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार को भेजा गया था।

श्री मथुरादास माथुर : But no dicision was taken ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार को भेजा गया था और उपमंत्रीजी ने कहा कि मांग नहीं की गई। एक पुराने क्रांतिकारी जो हमारे सदन के सदस्य हैं उनकी तरफ से की गई थी तो यह बात सरकार के नोटिस में आई हुई बात है कि इस तरह जनता चाहती है तो क्या सरकार ने इस बारे में निर्णय लिया है ?

श्री परसराम मदेरणा : वह रिजोल्यूशन माननीय सदस्य का था वह डिस्कस नहीं हुआ, उस रिजोल्यूशन से सरकार को इत्तला नहीं थी। इसलिये यह सरकार के कन्सीडरेशन में नहीं है, पर मेमोरियल को रिमूव करने का डिसीजन ले लिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २२०, श्री तेजाराम गहलोत।

पाली जिले में भू-राजस्व की बकाया रकमें

२२०. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) पाली जिले में सन् १९५५ से १९६२ तक भू-राजस्व की बकाया (एरियर्स ऑफ लैण्ड रेवेन्यू) के रूप में प्रत्येक वर्ष व प्रत्येक तहसील में कितनी-कितनी राशि बकाया रही ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त बकायात में से कितनी रकम पर ब्याज लगाया गया व कितनी रकम पर ब्याज नहीं लगाया गया तथा जिस रकम पर ब्याज लगना चाहिये था और नहीं लगाया गया वह ब्याज कितना होता है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) बकाया रकम का स्टेटमेंट सदन की मेज पर रखने के लिये संलग्न है।

(२) बकाया रकम में से तमाम रकम पर ब्याज लगाया जा रहा है। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इस बकाया रकम पर ब्याज नहीं लगाया है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैंने पूछा है कि उक्त बकाया पर ब्याज लगाया या नहीं; स्टेटमेंट में दिया है ३ लाख की रकम ५५ में बकाया थी, ६२ में ३९ लाख हो गई, ब्याज नहीं लिया गया इसीलिये एरियर में रखा गया; तो क्या उसमें ब्याज की रकम जोड़ी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी जानकारी है उसके अनुसार यह बात है। यह केल्कुलेशन की बात है, जमा रहने के बाद जो रहता है उसका ब्याज जो जोड़ा जाना चाहिये था वह जोड़ा गया।

श्री तेजाराम गहलोत : रकम वसूल की गई, पर उसका ब्याज जोड़ कर वसूल नहीं की गई; तो वसूल की हुई रकम का ब्याज ड्यू था वह कैसे वसूल किया जावेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तो कह रहा हूं कि ब्याज जोड़ा गया है। यदि आप ऐसे इन्सटान्सेज दें कि ब्याज वसूल नहीं किया गया तो इसकी जांच की जायगी।

श्री तेजाराम गहलोत : आप जांच कर लें।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह, प्रश्न संख्या २२१।

जयपुर डिवीजन के खनिज कार्यकर्त्ताओं को ऋण के लिये स्वीकृत धन-राशि

२२१. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् ६१-६२ में तथा सन् ६२-६३ में अब तक जयपुर डिवीजन के लिये खनिज कार्यकर्त्ताओं को कर्ज देने के लिये सरकार की ओर से कितनी धन-राशि स्वीकृत थी ?

(ख) इस धन-राशि में से कब कब कितनी कितनी रकम जयपुर डिवीजन के खनिज विभाग द्वारा इन खनिज कार्यकर्त्ताओं को ऋण के रूप में तकसीम करने के लिये ट्रेजरी से ली गई और कितना कितना रुपया किस किस तारीख को तकसीम किया गया ? इन तारीखों में यदि अन्तर है, तो क्यों ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) सन् ६१-६२ म १०,०००) रु० व सन् ६२-६३ में ५,०००) रु० जयपुर खंड के खनिज कार्यकर्त्ताओं को कर्ज के लिये स्वीकृत हुए।

(ख) सन् ६१-६२ की स्वीकृत रकम में से ५,५००) रु० तारीख ३१-३-६२ को जयपुर ट्रेजरी से ड्रॉ किया गया था और उसको निम्न तारीखों में तकसीम किया गया :—

तारीख		रुपया
१२-४-६२		३,५००)
१८-४-६२ ..	..	५००)
२०-४-६२ ..	..	५००)
३-५-६२ ..	..	५००)
१-६-६२ ..	..	५००)
	योग	५,५००)

तकसीम करने की तारीखों में अन्तर इसलिये है कि लोन रूल्स के अनुसार जब जब खनिज कार्यकर्त्ताओं ने फोर्मेलिटीज की पूर्ति की एवं एग्रीमेंट की रजिस्ट्री करवा कर रसीद प्रस्तुत की तब तब ही रुपया तकसीम किया गया। उससे पहले तकसीम करना नियम विरुद्ध है। सन् ६२-६३ में इस संबंध में कोई रकम अब तक ट्रेजरी से ड्रॉ नहीं की गई है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि रूल्स के माफिक रुपया ट्रेजरी से उसी समय ड्रॉ किया जाता है जब कि तमाम फार्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फोर्मेलिटीज में देर हुई है।

श्री भैरोंसिह : फोर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई तो ड्रॉ कैसे कर लिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक-आध केस में देर हुई है।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया न कि ट्रेजरी से रकम ड्रॉ करने के बाद फोर्मेलिटीज को पूरा करना था, जब फोर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई तो रकम ट्रेजरी से कैसे ड्रॉ की गई ?

आपने बताया कि ३१-३-६२ को ट्रेजरी से ड्रॉ किया और १२-४-६२ से १-६-६२ तक रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया । तो तीसरे महीने में ड्रॉ किया और ६ठे महीने तक डिस्ट्रीब्यूट किया; यह कैसे किया गया ? फोर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई थीं तो ड्रॉ कैसे कर लिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुछ फोर्मेलिटीज अधूरी रह गई थीं, वे १०-१२ रोज में पूरी हो गई, तब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ।

श्री भैरोंसिंह : जब तक पूरी खाना-पूरी नहीं हो जाती तब तक रुपया ट्रेजरी से ड्रॉ नहीं किया जा सकता ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : करीब करीब पूरी हो गई थीं, फिर स्क्रुटिनी करने पर कुछ कमी पाई गई तो उनको पूरा किया गया ।

श्री भैरोंसिंह : करीब करीब पूरी हो गई थीं, तो ३१-३-६२ को ड्रॉ कर लिया फिर ६ठे महीने तक पडा क्यों रखा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, क्वेश्चन बडा इम्पोर्टेंट है । उन लोगों को इतने दिनों तक टहलाते रहे हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मिला तो उन्हीं को है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं कि देर हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : युटिलाइज कहां हुआ, तीसरे महीने में रुपया ट्रेजरी से ड्रॉ किया और ६ठे महीने में डिस्ट्रीब्यूट किया; तो इतने दिनों तक यह रुपया किसके अकाउण्ट में किसके पास रहा ? मैं केवल तारीख ही मालूम थोडे ही करना चाहता था । प्रश्न का खास मकसद तो यही है कि यह रुपया कहां पडा रहा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, प्रश्न संख्या २२२ । श्री नाथूलाल करौल ।

पंचायत सांगानेर द्वारा भूमि का एलॉटमेन्ट

२२२. **श्री नाथूलाल करौल** (चाकसू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या जिला जयपुर, पंचायत समिति सांगानेर के तहत पंचायत, सांगानेर ने व समिति के विकास अधिकारी ने गांधी-पार्क की जमीन सिंधियों को निजी दूकान बनाने के लिये अलॉट कर दी है ? यदि हां, तो किस रेट पर ?

(ख) गांधी पार्क में सरकार का कितना पैसा पहले जब इसको बनाया गया था तब खर्च हुआ था ?

(ग) इस जमीन को अलॉट करने से कितनी आमदनी हुई और वह आमदनी पंचायत की है या पंचायत समिति की ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी-शंकर नन्दवाना) :(क) जी हां । ३) रुपया प्रति गज ।

(ख) गांधी पार्क के निर्माण के लिये पंचायत समिति द्वारा पूर्व म २,०००) रु० की धन-राशि सहायता के रूप में दी गई थी ।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(ग) ३,५५०)· रु० । यह आय ग्राम पंचायत की है ।

श्री नाथूलाल करौल : ग्राम पंचायत की आमदनी है और ग्राम पंचायत की जमीन थी तो विकास अधिकारी ने कैसे अलॉट किया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ग्राम विकास अधिकारी ने मीटिंग की थी तो वे भी शामिल हुए ।

श्री नाथूलाल करौल : पंचायत ने ३ रु० गज से अलॉट किया तो यदि नीलाम किया जाता तो आमदनी ज्यादा होती या कम ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वहां सिंधियों की थडियां पहले लगी हुई थीं इसी विचार से उनको अलॉट किया, कलेक्टर से ३ रु० गज के हिसाब से यह जमीन लेने की उन्होंने मंजूरी ले ली थी ।

श्री नाथूलाल करौल : गांधी पार्क बनाने में जितना रुपया खर्च हुआ क्या वह पंचायत का था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : २ हजार पंचायत समिति का था, बाकी पंचायत का था ।

श्री नाथूलाल करौल : क्या २ हजार रुपया वापिस ले लिया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अभी नहीं ।

श्री नाथूलाल करौल : तो क्या सरकार में घाटा रहेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सरकार वसूल कर लेगी ।

पुस्तकों की उपलब्धि

२२३. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान में इस वर्ष कितनी कक्षाओं की पुस्तकें पर्याप्त रूप से बाजार में नहीं मिलतीं ।

(२) पुस्तकों का वितरण पुस्तक विक्रेताओं को किस आधार पर किया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि कोटों से पुस्तकों का वितरण समान रूप से नहीं होता जिससे पुस्तक विक्रेताओं में असंतोष है ?

(४) क्या पुस्तक विक्रेता सरकारी कोटे से पुस्तकें खरीदते समय कोटे का रजिस्टर देख सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) कुछ पुस्तकें सत्र आरंभ होने के समय समुचित मात्रा में उपलब्ध न थीं और सत्र आरंभ होने के बाद बाजार में लाई गई । पुस्तकें यह हैं:—

१. हिन्दी-कक्षा ३ व ४

२. गणित-कक्षा ३, ४ व ६

३. सामान्य विज्ञान-कक्षा ४

४. सामाजिक ज्ञान-कक्षा ६

इनके अलावा ड्रॉइंग-कक्षा ६, ७ व ८ की पुस्तकें भी समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं ।

(२) जब रजिस्टर्ड पुस्तक विक्रेता अपनी मांग को कार्यालय, मैनेजर, सेण्ट्रल डिपो, जयपुर के सामने प्रस्तुत करने पर

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
उसमें जो किताबें अगर पूरी तादाद में उपलब्ध हैं तब उसमें कोई कमी नहीं की जाती है और अगर स्टॉक में पुस्तकें कम होती हैं तो समानता का बर्ताव किया जाता है यानी अगर किसी पुस्तक विक्रेता की मांग पर उसकी मांग की गई पुस्तकों का जो प्रतिशत एक पुस्तक विक्रेता का कम किया है वही सब के साथ किया जाता है, फिर भी पुस्तकों के स्टाक का ध्यान पूर्णतया रखा जाता है। इस तरह चालान उतनी ही रकम का जितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं सही करके पुस्तक विक्रेता को दे दिया जाता है। विक्रेता उसको बैंक में जमा करा कर पुस्तक लेने हेतु जब प्रस्तुत करते हैं तो उस ही दिन के नम्बर से चाहे चालान किसी भी तारीख का सही किया हुआ हो या बैंक में जमा कराया हुआ है पुस्तकें वितरण की जाती हैं।

(३) हर पुस्तक विक्रेता की यह कोशिश होती है कि उसको पुस्तकें जल्दी प्राप्त हों। चाहे पुस्तक विक्रेता छोटा हो या ऊंचे स्तर का, परन्तु जिन पुस्तकों का स्टॉक कम होता हैं तो अक्सर यह देखा गया है कि वे इतनी तादाद मांगते हैं।

(४) जी नहीं। क्योंकि यह विभागीय रिकॉर्ड है।

श्री विजयसिंह झाला : कुछ में आपने एडमिट किया है कि पुस्तकें नहीं हैं:—

कक्षा २ व ४	..	हिन्दी
कक्षा ४ ..	..	जनरल साइन्स
कक्षा ५ व ६	..	अर्थमेटिक।

ये तो सितम्बर तक उपलब्ध नहीं हो सकीं।

कक्षा ६, ७ व ८ गृह विज्ञान

कक्षा ६, ७ व ८ ललित कला

ये अभी तक भी उपलब्ध नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हिन्दी में क्लास २ और लगाई है। कक्षा ४ में सामान्य विज्ञान के लिये मैंने कहा ही था। कहीं कहीं कक्षा है·····

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है···

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं समझ गया।

श्री अध्यक्ष : समझ गये, फिर उत्तर क्यों नहीं देते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अभी अपना उत्तर पूरा दिया ही नहीं था।

इतनी ही पुस्तकें मार्केट में कुछ देरी से उपलब्ध हो सकीं, यह मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था। दूसरों के संबंध में देरी से उपलब्ध होने का विभाग के सामन प्रश्न नहीं आया, इसलिये यह समझा जाना चाहिये कि पुस्तकें पर्याप्त हैं।

श्री विजयसिंह झाला : सितम्बर तक देरी से मानते हो उपलब्ध होना, लेकिन जो पुस्तकें अब तक उपलब्ध नहीं हुई उनको देरी से नहीं मानते हैं क्या और दोनों को मानते हैं तो विद्यार्थियों को जो नुकसान हुआ है और हो रहा है तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : देरी उपलब्ध होना वैसा प्रश्न नहीं जसा कि

Page No.23

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
माननीय सदस्य मानते हैं। इन पुस्तकों में २५ से ६० परसेण्ट तक पुस्तकें पहले से ही उपलब्ध थीं। उसके बाद प्रति माह संख्या में बराबर आती रहीं। और वह देरी इतनी खटकने वाली नहीं थी जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को हानि हो।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि जयपुर बुक डिपो ने यह मांग की थी कि ललित कला और जो मैंने पुस्तकों के बारे में पहले कहा उनके आने में देरी हुई और कुछ तो आज तक भी उपलब्ध नहीं हैं; तो क्या यह नजाकत खटकती हुई नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नजाकत तो आप में है। किसी डिपो में आपकी दिलचस्पी है......

(व्यवधान)

आपकी किसी डिपो के तथ्यों में दिलचस्पी है.........

(व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि आपकी किसी डिपो में दिलचस्पी है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का यह एक एलीगेशन है और उनको ये शब्द विदड्रॉ करने चाहियें।

श्री अध्यक्ष : तथ्यों में भी दिलचस्पी है यह बाद में जोड़ा था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था उस समय।

श्री अध्यक्ष : अब ये जवाब दे सकते हैं कि अगले सत्र के लिये क्या इन्तजाम किया है और क्या कमी रहेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिपार्टमेंट के सामने जितनी भी कठिनाइयां हैं उनको देखते हुए दूर करने की जो कोशिश की गई है उसको भी देखते हुए मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि अगले सत्र में ऐसी कठिनाइयां न हो पायेंगी, कुछ अंश में हो जायं तो हम मुकाबला करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : ये आश्वासन खोटे आश्वासन हैं। इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होने की व्यवस्था सुचारु रूप से होनी चाहियें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैंने निवेदन किया कि मशीनरी को देख कर, और दूसरे फेक्टर हैं जो भविष्य में आते हैं उनको देख कर पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जाय। माननीय विरोधी पक्ष के लीडर महोदय ने जैसा कहा वैसे आश्वासन मैं नहीं देता हूं, किन्तु प्रयास और प्रयत्न को देख कर उसके आश्वासन देता हूं।

श्री विजयसिंह झाला : जैसी नजाकत आप में है वैसा ही जवाब है.....

श्री निरंजननाथ आचार्य : I take a serious exception to it, Sir.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो सच्ची बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुकाबले में नजाकत तो वहां से पैदा हो रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही नहीं है कि जो पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं हैं उनको दूसरे प्रेसों में अनआॅथोराइज्ड तरीके से छपवा कर बाजार में बेचा गया ? क्या यह डिपार्टमेंट के नोटिस में है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिपार्टमेंट के नोटिस में अवश्य है, अध्यक्ष महोदय इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि करने वालों को रोकने का प्रयत्न किया है और डिपार्टमेंट ऐसे लोगों से भी सजग है जो शिक्षा में खराबियां पैदा करने का प्रयत्न करते हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत) : क्या आपने ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली है जिन्होंने गत वर्ष में या इस वर्ष में इस प्रकार की पुस्तकें छापी हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यदि स्मगलर्स की सूची तैयार की जा सकती है तो यह भी हो सकती है लेकिन यह बडा मुश्किल है, अध्यक्ष महोदय कि इस प्रकार के लोगों की कोई सूची बनाई जाय । कानूनी दिक्कत है । हम इस बारे में जरूर प्रयत्नशील हैं कि इसके संबंध में असेम्बली में कोई लेजिस्लेशन लाया जाय ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या उत्तर प्रदेश के अन्दर जो प्रणाली है कि सरकार कवर पेज छपवा लेती है और रॉयल्टी प्राप्त कर लेती है और किताब कोई छपवाले वैसी प्रणाली यहां पर शुरु करने का प्रयत्न किया जायगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उत्तर प्रदेश की प्रणाली कहां से लायें ? मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप उस पर विचार करिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप बता दीजिये । उचित प्रणाली होगी तो अपनाई जायगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय ने बताया कि कानूनी दिक्कत है जिसके कारण अनआॅथोराइज्ड पुस्तकें छपवालीं तो कानूनी दिक्कतें क्या थीं जिनके कारण सरकार उनके विरुद्ध कोई एक्शन न ले सकी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पीनल कोड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कानूनन पकड सकें । पुलिस उसमें आती नहीं, कॉग्नीजेबल केस बनता नहीं । जब तक कॉग्नीजेबल केस न हो पुलिस आती नहीं ।

श्री विजयसिंह झाला : आपका जवाब ऐसा नहीं है कि जिस पर संतोष किया जा सके । या तो कार्य करने में कुशल नहीं हैं····

श्री अध्यक्ष : फिर भाषण देने लग गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौन कुशल है, यह जानते हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : मैं फोर इन्फोर्मेशन देना चाहता हूं कि पुस्तकों के संबंध में सदन का एक बोर्ड बनाया जाय जो इसकी जांच करे ।

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्रश्न नहीं ।

(१२ मध्यान्ह)

(श्री अध्यक्ष)

यहां तो माननीय सदस्य केवल फेक्ट्स पूछ सकते हैं। सूचना कोई हो वह प्राप्त कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि ऑफेन्स में इस कारण नहीं ले सकते कि इण्डियन कॉपी राइट्स के तहत आपने कॉपी राइट रिजर्व नहीं कराया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कॉपी राइट रिजर्व कराया जा सकता है या नहीं, इसको एक्ज़ामिन करवा रहे हैं; इसके बारे में ऑथेण्टिकली कुछ नहीं कह सकता।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : यह आप कब से एक्ज़ामिन करवा रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जब यह प्रश्न दिमाग में पैदा हुआ।

श्री मोहनराज (बाली) : माननीय उप-मंत्री महोदय के उत्तर से मालूम हुआ है कि वे आगामी सत्र में भी काफी पुस्तकों की उपलब्धि नहीं करा सकेंगे, वे इस बार पूरा आश्वासन नही दे पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं जिससे कि वे पुस्तकों की उपलब्धि करा सकें तो और किसी साधन से छपवा सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं माननीय सदस्य को पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि इसके बारे में फाइनेन्शियल दिक्कत है रूल्स के सम्बन्ध में फाइनेन्स मिनिस्टर सहयोग देंगे तो मैं पूरा विश्वास दे सकता हूं। इसके लिये हम टेण्डर्स इन्वाइट करते हैं और उसमें जो लोएस्ट टेन्डर होता है उसको हमें देना पड़ता है और ऐसी हालत में होता क्या है कि प्रेस वाले कई दिक्कतें पैदा करते हैं, इसलिये फाइनेन्शियल रूल्स में अमेण्ड हो जाता है जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसेज़ के संबंध में क्वालिटी को देखा जाय। हमें भी आपसे ज्यादा जल्दी है इसलिये बाद में ऐसे प्रश्न पैदा नहीं होंगे बहुतांश में, और होंगे तो भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष . Next Order ; Order !!

छोटा डूंगरा तथा बड़ा डूंगरा के आदिवासी किसानों की जमीन

२२४. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जिला बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ के कस्बा छोटा डूंगरा तथा बड़ा डूंगरा के आसपास के गांवों के आदिवासी किसानों की जमीन अन्य लोगों ने हस्तान्तरित कर तथा खरीद कर रजिस्ट्री करवाली है ?

(२) यदि हां, तो सन् १९५६ से अब तक तहसीलदार द्वारा उक्त एरिया के ऐसे कितने किसानों की जमीन हस्तान्तरित व बेचान होकर रजिस्ट्रियां करदी गई हैं ?

(३) क्या राज्य सरकार ने यह कानून बनाया है कि आदिवासी की जमीन अन्य लोग नहीं खरीद सकते ? यदि हां, तो अधिकारियों ने रजिस्ट्रियां कैसे करदी हैं ?

(४) क्या उपरोक्त रजिस्ट्रियां हो गई हैं तो उनको नाजायज़ मानकर वापिस आदिवासियों को उक्त जमीन सौंप दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) छोटा डूंगरा एवं बड़ा डूंगरा तथा उसके आसपास का मवाजियात में कुल पांच दस्तावेज आदिवासियों की जमीन के तस्दीक हुये जिन्होंने अपनी भूमि अन्य व्यक्तियों को (लवानों को) बेचान की है।

(२) सन् १९५६ से आज तक कुल पांच ऐसी रजिस्ट्रियां तस्दीक हुई जिनमें से एक का दाखिल खारिज पायलोट स्कीम में सन् ५६ में हुआ है, जिसका अमल हो चुका है। शेष चार रजिस्ट्रियों के आधार पर म्युटेशन नहीं खोले गये एवं न अमल दरामद ही किया गया है।

(३) इस प्रकार की रजिस्ट्री करना रजिस्ट्रेशन एक्ट की किसी भी धारा में निषिद्ध नहीं है।

(४) जो एक रजिस्ट्री पायलोट स्कीम कि अन्तर्गत दाखिल खारिज किया गया उसे दाखिल खारिज को निरस्त करने के लिये बेचने वाला आदिवासी के आवेदन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

श्री हीराभाई : ऐसा कोई टाइम दे रखा है कि इतने टाइम पर कर सकते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो कानून में देखिये।

श्री हीराभाई : माननीय मन्त्री महोदय यह अवश्य जानते हैं कि आदिवासी और अनुसूचित लोग अनपढ़ हैं। उनको यह भी मालूम नहीं कि मयाद है या नहीं, इसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय से सहयोग चाहता हूं। यह जो कानून बना दिया गया है इस कानून को देखते हुए हमारे संबन्धित अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाय। जिन्होंने इस प्रकार के फैसले दिये हैं उनको वापस रद्द कर दिया जाय?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा कि मैंने निवेदन किया, रजिस्ट्री कराने में किसी प्रकार की देरी नहीं होती और न कोई अधिकारी ऐसा कर सकता है; जो रजिस्ट्री करने से इन्कार करदे आसानी से रजिस्ट्री हो जाती है। एक्जीक्यूटिव इन्स्ट्रक्शन्स निकलने का परिणाम है इन सात वर्षों के अन्दर पांच रजिस्ट्रियां हुई हैं। जिस समय तक एक्जीक्यूटिव इन्स्ट्रक्शन्स नहीं निकले थे, उसके बाद कोई उदाहरण नहीं जो रजिस्ट्री करायी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस प्रकार को वोइड करार दिया है या इन-वोइड।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कुम्हेर तहसील के रेकॉर्ड्स्

२२५. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि सितम्बर, १९६२ में सब-तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर के रेकॉर्ड्स गुम कर दिये गये हैं? यदि हां, तो जो रेकार्ड्स गुम किये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(ख) क्या यह सही है कि गुमशुदा रेकॉर्ड्स में से कुछ रिकॉर्ड जीर्ण हालत में किसी कुए में मिले हैं? यदि हां, तो क्या कोई रिकॉर्ड्स काम में आने लायक बच हैं? और यदि नहीं, तो उन रिकॉर्ड्स को दुबारा तैयार कराने की क्या कोई कार्यवाही की गई है?

(ग) राज्य सरकार ने इस घटना के विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है?

(नत्थी सिंह)

(घ) क्या यह सही है कि संबन्धित अधिकारियों को इस प्रकार की कोई सूचना मिली है जिसमें पंचायत समिति के कुछ पदाधिकारियों को इस घटना से संबन्धित बताया गया है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कोई जांच की गई है ? यदि की गई है तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

(ङ) क्या राजस्व विभाग के कोई उच्च अधिकारी इस सिलसिले में घटनास्थल पर जांच हेतु पहुंचे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(च) क्या यह सही है कि गत कुम्हेर पशु मेला के नायब तहसीलदार कुम्हेर मेला ऑफिसर थे तथा प्रधान, पंचायत समितिकुम्हेर चेयरमेन तथा उन दोनों में मेले के हिसाब के संबन्ध में मतभेद था ? क्या यह भी सही है कि गुमशुदा कागजात में उक्त मेले के हिसाब संबन्धी कागजात भी शामिल हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (क) यह सही नहीं है कि सितम्वर, १९६२ में सब-तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर के रिकार्ड्स गुम कर दिये गये थे। अपितु तारीख ३ सितम्बर, १९६२ को सब-तहसील कुम्हेर में पीछे की खिड़की से घुसकर व अलमारी का ताला तोड़कर चोरी हुई थी। चोरी गये रिकॉर्ड की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) चोरी शुदा रिकॉर्ड में से बिल्कुल फटी हुई हालत में कागजों के टुकड़े कुए में मिले हैं। साधारणतः कोई रिकॉर्ड काम में आने लायक नहीं बचा है। जिस रिकॉर्ड का मैटीरियल, जैसे इमसलात, तकावी, पी. डी. आर. और एनक्रोचमेन्ट फाइल्स व दीगर रिकॉर्ड जो तहसील, कलेक्टरी या अन्य महकमों से उपलब्ध हो सकते हैं उनको दुबारा तैयार कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(ग) पुलिस की तफतीश जारी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी हां, पहुंचे हैं।

(च) यह सही है कि विगत कुम्हेर पशु मेला के मेला ऑफिसर नायब तहसीलदार कुम्हेर थे। मतभेद के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। चोरी किये गये कागजात में मेले के हिसाब संबंधी कोई कागजात नहीं हैं।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री नत्थीसिंह : कौन अधिकारी जांच करने पहुंचे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एस. डी. ओ.।

श्री नत्थीसिंह : जिनकी फहरिस्त दी गई है क्या वे सब कागजात चोरी हो गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां।

श्री नत्थीसिंह : आपने कहा, जांच जारी है, क्या उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं दे दी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एस. डी. ओ. ने जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर यह मामला पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस की तफसीश जारी है।

श्री नत्थीसिंह : जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत हुई, क्या उन अधिकारियों के वहां रहते आप समझते हैं कि जांच ठीक प्रकार से हो जायगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनके रहने कासवाल नहीं, वह तो क्लर्क है।

श्री रामकिशन (वैर): टीपें बदली जा रही हैं। जिन अधिकारियों का इससे संबंध है, क्या आप यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि जिनकी शिकायत है उनका ट्रान्सफर किया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ऐसी कोई शिकायत नहीं कि उनकी उपस्थिति के कारण कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा होती हो।

श्री नत्थीसिंह: क्या इसके लिये कोई दरख्वास्त दें तभी आप मानेंगे क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: दरख्वास्त का सवाल नहीं, तथ्य आने चाहियें तभी कोई कार्यवाही की जा सकती है।

श्री नत्थीसिंह: पूरा तहसील का रिकॉर्ड गुम हुआ है। जो सूची आपने दी है उसको देखने से पता चलता है तमाम रेकॉर्ड गायब हो गया है और अब रेकार्ड को बदला जा रहा है; किसी का नाम था, किसी के नाम लिखा जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह तो आपका गोलमाल प्रश्न है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय यह चोरी हुई थी उस समय दूसरा क्लर्क उस जगह काम कर रहा था और जो उस जगह हमेशा से काम करता आ रहा था वह छुट्टी पर था। छुट्टी खत्म होने के बाद वह क्लर्क आ गया, इसलिये उसके किसी प्रकार बाधा पहुंचाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जिस किस्म की सूचना दी गई है उससे यह जाहिर है कि वह इस प्रकार की सूची है जिसका रिकॉर्ड कलेक्टर ऑफिस में मिल सकता है और उससे वापिस तैयार कराया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह: (किशनपोल, जयपुर) जब तहसील का रेकॉर्ड गायब हो गया तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि उसको गुम करने वाला वही हो सकता है जो उस रेकॉर्ड में इन्टरेस्टेड हो। दूसरी आलमारियों से तो चोरी नहीं हुई, केवल एक ही आलमारी का ताला क्यों तोड़ा गया ? वहां के स्टाफ से यह संबंधित हो सकता है। इसलिये जब तक पूरे स्टाफ को वहां से रिमूव नहीं किया जाता इन्क्वायरी सही रूप में नहीं हो सकती। अतः आपको इन्क्वायरी कराना है तो पहले स्टाफ को रिमूव कराइये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): ऐसा भी हुआ है कि पहले किसी के नाम से रजिस्ट्री हुई है अब किसी के नाम कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नत्थीसिंह: पुलिस का एक थानेदार, लोअर ग्रेड का थानेदार तहसीलदार के खिलाफ, बड़े अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकता है; जहां सरकार का रेकार्ड गायब हो गया इसलिये इसकी जांच के लिये कोई ऊंची केडर का अफसर होना चाहिये। यह जो आप लोअर ग्रेड के अधिकारी से जांच करवा रहे हैं, क्या यह उपेक्षा की भावना नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: डिप्टी-सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस जांच कर रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह: थानेदार कुम्हेर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: थानेदार एसिस्ट कर रहे होंगे। डिप्टी-सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस संबंध में जबकि हजारों आदमियों की जिन्दगी का सवाल है कोई स्पेशल आफिसर जांच के लिये मुकर्रर करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसकी आवश्यकता अनुभव की गई तो ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: अब यहीं मामले के लिये प्रार्थना कर रहे हैं कि यह अहम है । तो क्या आप विचार करने के लिये तैयार हैं और किसी उच्च अधिकारी को भेज कर करा लेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जांच तो कराना चाहते हैं । किसी को बचाने का सवाल नहीं है, बल्कि तथ्य और सत्यता पर पहुंचने का सवाल है और इसके लिये जिस आवश्यक कदम की आवश्यकता होगी वह उठाया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : जब प्रश्न पर इतना जोर दिया जा रहा है और आप भी तथ्य जानना चाहते हैं तो गृह मंत्रीजी सी. आई. डी. का कोई आदमी भेज दें या फिर इस मामले को अपने हाथ में ले लें ।

गृह-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): हाउस की यही मंशा है तो सी. आई. डी., का आदमी भेज देंगे ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये परिशिष्ट ८ देखिये)

१९६३-६४ में नये करों द्वारा अनुमानित आय का विवरण

(सदन की मेज पर रखना)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): मैं १९६३-६४ में नये करों द्वारा अनुमानित आय के विवरण की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं ।

कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं तथा उस पर विचार के लिये प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा के खड़े होने पर)

Shri Handa, please take your seat while I am on my legs.

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(१२.११ म. प.)

अनुपूरक अनुदानों की मांग ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में संघानित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६ लाख ७ हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Page No.30

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) :

1. Demand No. LIII, Major Head 19-General Administration be reduced by Re. 1/- (to discuss the unnecessary expenditure incurred on the appointments of Deputy Ministers).

2. Demand No. LIII, Major Head 19-General Administration be reduced by Re. 1/- (to discuss the improper method adopted in the utilisation of medical aid).

3. Demand No. LIII, Major Head 19-General Administration be reduced by Re. 1/- (to discuss the inefficient constitution of the Revenue Board).

4. Demand No. LIII, Major Head 19-General Administration be reduced by Re. 1/- (to discuss the improper way in absorbing the surplus staff).

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ५. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में १००) रु० की कटौती की जाय (अधिक उप-मंत्रियों की नियुक्ति के औचित्य पर विचार करने हेतु) ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ६. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य-शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में १) रु० की कटौती कर दी जाय (उप-मंत्रियों के खर्चे में बढोतरी पर प्रकाश डालने के लिये)।

श्री रामकिशन (वैर) : ७. "अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन की निर्धारित राशि में १) रु० की कटौती कर दी जाय (उप-मंत्रियों की नियुक्ति पर होने वाले व्यय पर विवाद हेतु) ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : ८. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में १००) रु० की कटौती की जाय (उप-मंत्रियों की संख्या कम करने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु) ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : ९. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती की जाय (उप-मंत्रियों की नियुक्तियों के साथ जोड़े गये स्टाफ गैर जरूरती हैं, इस पर वाद-विवाद करने हेतु) ।

१०. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती की जाय (सिविल सचिवालय में चिकित्सा व गाड़ियों के होने वाले गैर उपयोग में सुधार लाने हेतु वाद-विवाद करने के वास्ते) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : "अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती कर दी जाय (अधिक उप-मंत्रियों की नियुक्ति पर विचार करने हेतु) ।

१२. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती कर दी जाय (राजस्व मंडल के लिये एक अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति पर विचार करने हेतु) ।

Page No.31

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : १३. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती की जाय (उप-मंत्रियों की नियुक्तियां की जाने व उसके फलस्वरूप बढ़े हुए व्यय पर विचार करने हेतु) ।

१४. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती कर दी जाय (सचिवालय के लिये ७५,००० रुपये की अतिरिक्त अपेक्षित राशि अनावश्यक होने पर विचार करने हेतु) ।

१५. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में १००) रु० की कटौती की जाय (सरप्लस कर्मचारी वर्ग के वेतन तथा भत्तों के लिये मांगी गई धन-राशि पर विचार करने हेतु) ।

श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : १६. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में १००) रु० की कटौती की जाय (मंत्रि मंडल में उप-मंत्रियों की कमी करने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु) ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : १७. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती की जाय (उप-मंत्रियों की नियुक्तियों के लिये चाही हुई रकम में काफी फिजूल खर्चा है इसमें कमी करने पर बहस करने के लिये) ।

१८. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती की जाय (सरप्लस स्टाफ के लिये चाहे गये खर्च की रकम में काफी फिजूल खर्ची है इसे कम करने पर बहस करने के लिए) ।

१९. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती कर दी जाय (चीफ अकाउन्ट्स आफिसर के बढ़ाये गये स्टाफ के खर्च की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिये इसे नहीं करने पर बहस करने के लिये) ।

२०. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती कर दी जाय (सिविल सचिवालय के लिये खर्च के लिये चाही रकम में काफी फिजूल खर्ची है, इसे नहीं किये जाने पर बहस करने के लिये) ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : २१. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती काट दी जाय (चीफ अकाउन्ट्स ऑफिसर के स्टाफ के बढ़ाये जाने के संबंध में खर्च की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिये इसे नहीं करने पर बहस करने के लिये) ।

२२. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती काट दी जाय (सरप्लस स्टाफ के लिये चाही गई खर्च की रकम में काफी फिजूल खर्चा है, इसे कम करने पर बहस करने के लिये) ।

२३. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती कर दी जाय (उप-मंत्रियों पर खर्च के लिये चाही हुई रकम में काफी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
फिजूल खर्चा है, इसमें कमी करने पर बहस करने के लिये) ।

२४. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती कर दी जाय (सिविल सचिवालय पर खर्च के लिये चाही हुई रकम में काफी फिजूल खर्चा है, इसे नहीं किये जाने पर बहस करने के लिये) ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : २५. अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन में एक रुपये की कटौती की जाय (सचिवालय पर फिजूल खर्ची रोकने पर वहस करने हेतु)]

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस मांग के सम्बन्ध में मेरे ४ कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला कटौती का प्रस्ताव दो उप-मंत्री इस वर्ष में जो नियुक्त किये गये हैं और उन पर एक लाख चालीस हजार का खर्चा हुआ है, उस सम्बन्ध में बहस करने के लिये मैंने प्रस्तुत किया है ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसी मंत्री या उप-मंत्री को मन्त्रि मण्डल में लेने का अधिकार है वह माननीय मुख्य मंत्रीजी को है; उस अधिकार के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । लेकिन मंत्री और उप-मन्त्रीजी की संख्या का भार जब राजस्थान की जनता पर आता है तो उस कारण से कितने मन्त्री होने चाहिये, कितने उप-मन्त्री होने चाहिये, इस सम्बन्ध- में सदन के माननीय सदस्य को भी इस बात का अधिकार है कि वह सरकार से इस बात की मांग करे कि आज के इस वित्तीय संकट की स्थिति में जितने कम मंत्रियों से काम चल सकता हो उतने से ही काम चलाया जावे । यह केवल हिन्दुस्तान में ही इस प्रकार की परिपाटी हो इस प्रकार की बात नहीं, पर जहां जहां भी युद्ध हुए हैं वहां भी युद्धकालीन सरकारें बहुत सूक्ष्म बजट में चली हैं । दूसरे महायुद्ध में ब्रिटेन के अन्दर जो मन्त्रिमण्डल था, युद्ध चालू होते ही छोटी सरकार के रूप में परिणित हो गया । इस प्रकार से हमारे देश के सामने आज तक कोई संकट नहीं आया था कि जिस संकट को सामने रखकर हम मंत्रि मण्डलों में कटौती करने के प्रश्न पर विचार करते । वैसे तो सामान्यतया मन्त्री मण्डल ज्यादा व्यक्तियों का नहीं हो, यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है । लेकिन जब विशेष परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है, प्रदेश के सामने वित्तीय संकट उपस्थित होता हो उस हालत में बहुत ही अनिवार्य रूप से यह स्थिति पैदा हो जाती है कि मन्त्रि मण्डल के सदस्यों की संख्या कम की जाय ।

हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्रीजी जिस समय राजस्थान में मन्त्रि मण्डल बना था उस समय से लेकर अब तक सबसे ज्यादा यदि मन्त्रियों का नम्बर उन्होंने अपने साथ लिया है तो इस वर्ष में लिया है । सन् १९५४ में पहले मन्त्रि मण्डल के बनने के समय इतनी संख्या नहीं थी । अजमेर के इन्टीग्रेशन पर ५६ में दूसरा मन्त्रि मण्डल बना । उस समय इतनी संख्या नहीं थी, ५७ के आम चुनावों के पश्चात् मन्त्रि मण्डल जब बना तो उसमें भी इतनी संख्या नहीं थी । पर ६२ में आम चुनावों के वाद जो मन्त्रि मण्डल बना उसमें दस उप-मन्त्री और ८ मन्त्री की संख्या निर्धारित की गई और आज वे उसी प्रकार से काम करते आ रहे हैं । उस हालत में आपने जो अनुपूरक अनुदानों

(श्री भैरोंसिह)

द्वारा मांग की है वह विशेष तौर पर दो मन्त्रियों के लिये की है। जो खर्चा होने वाला है उनके लिये, उसके लिये बताया है कि उनके वेतन पर, उनके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पर, उनके साथ लगाये जाने वाले स्टाफ पर, उनकी मोटर गाड़ियों पर; दो उप-मन्त्रियों पर कुल मिलाकर १,४० हजार का खर्चा होगा। वह इस बात का संकेत करता है कि राजस्थान के उप-मंत्रियों का खर्चा ७० हजार रुपये का है प्रत्येक का और वह भी पूरे वर्ष भर का नहीं दस महीने का। क्योंकि इन दो उप-मन्त्रियों की नियुक्ति शायद, मैं भूला नहीं हूं तो, जून के महीने में हुई थी। जून से लेकर अब तक के दस महीने के अर्से में ७० हजार रुपये प्रत्येक उप-मन्त्री पर खर्च किया जाना कहां तक वाजिब है इस पर तो सरकार स्वयं विचार करे।

पर मैं सरकार से और इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान की सरकार की जिस तरह की वित्तीय स्थिति जब संकटमय हो रही है और जिसके लिये हम दूसरों से त्याग करने की अपीलें करते हैं तो सबसे पहले सरकार को और उसके मन्त्रि मण्डल को इसके लिये अपनी ओर से आदर्श उपस्थित करना चाहिये और वह आदर्श इस प्रकार का होगा और उस हालत में तो वह और भी निहायत जरूरी है जिस समय कि हम इस वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिये करोड़ों रुपयों का टैक्स जनता पर लगाते हैं, जनता से हम अपने अपने बजटों में खर्चों में कटौती करने की अपील करते हैं, उनसे बचत करने की मांग करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिये सबसे पहले मन्त्रिमण्डल को, उसके सदस्यों को अपने जीवन को आदर्श बनाना होगा। आज न राजा हैं, न महाराजा हैं। न शासक एक व्यक्ति है जिसके आदर्श से प्रेरणा लेकर जनता अपने जीवन के अन्दर उस आदर्श के अनुरूप स्वयं आचरण करने की चेष्टा करे। आज सामूहिक रूप से मन्त्रिमण्डल जो होता है वही राजा का स्वरूप है, वह उन व्यक्तियों का स्वरूप है, वे उन शासकों का स्वरूप हैं, जिनसे जनता प्रेरणा ले सकती है।

पर बदकिस्मती यह है कि जब जनता से कम खर्च करने की बात हम कहें, अधिक कर देने की बात कहें, अधिक त्याग करने की बात कहें, अधिक सेविंग करने की बात कहें उस हालत में हम जो अपेक्षा करते हैं जनता से उसी प्रकार से हम स्वयं आचरण नहीं करें तो यह मान कर चलिये कि आपके आचरणों का इतना असर नहीं पड़ सकता, जनता आपसे भी अपेक्षा करके चलती है, आप में भी त्याग देखना चाहती है जिसके लिये उसे कहा जाता है। पर बदकिस्मती है कि आज ये दुनिया भर से त्याग की बातें करते हैं, पर अपने खर्चों में कमी करने की व्यवस्था नहीं कर पाते। सदन में बहस के दौरान मुख्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था, वह मन्त्रियों की तसल्ली के लिये अच्छा था कि मन्त्रिमण्डल में वे किसी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे। मैं जानकारी करना चाहता हूं कि राजस्थान में उप-मन्त्री नहीं रहें तो मन्त्रि मण्डल के मन्त्री काम नहीं कर सकते, राजस्थान के शासन का संचालन नहीं कर सकते, बाधाएं उपस्थित होती हैं तो उनको हल नहीं कर सकते ? यह सही है कि आप मानकर चलें कि मन्त्रि मण्डल में ऐसे व्यक्ति हैं जो ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकते उनको एक उप-मन्त्री की सहायता की

(श्री भैरोंसिंह)

आवश्यकता होती है । मैं कहता हूं मुख्य मन्त्री महोदय से कि आप, जो मन्त्री इस प्रकार के हैं उनसे छुट्टी ले लीजिये और जो मन्त्री योग्य होकर आते हैं उनको प्रोमोशन दीजिये; हमें आपत्ति नहीं । पर एक मन्त्री के लिये केवल इसलिये सहायता के लिये उप-मन्त्री की नियुक्ति करना कि वह काम नहीं कर सकेंगे किसी प्रकार का यह दृष्टिकोण यदि है तो किसी भी प्रकार से यह उचित नहीं है ।

अब मन्त्रिमण्डल का खर्चा भी, मैं निवेदन करूं कि थोड़ा नहीं बढ़ा । सन् ५१-५२ में जिस समय पहली आपकी सरकार बनी तो उस समय आपका खर्चा केवल था ४,३५ हजार रुपया सारे मन्त्रिमण्डल पर । ५२-५३ में कम हुआ ४ लाख ११ हजार । ५३-५४ में खर्चा बढ़ा ४,६४ हजार । ५८-५६ में जब मन्त्रिमण्डल था तो खर्चा था ६,१५ हजार । ६०-६१ में ८ लाख । ६२-६३ में ६ लाख १६ हजार और अब ६३-६४ का जो बजट में प्रोवीजन किया है वह हो गया है ६,७७ हजार रुपया । जो ५१-५२ में चार लाख खर्चा होता था जिस मन्त्रिमण्डल पर, उस पर ६३-६४ में ६,७७ हजार खर्चा होगा । यह किस बात का संकेत है ?

एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम नॉन-प्लान एक्सपेन्डीचर को कम करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन होता नहीं है । प्लान एक्स-पेन्डीचर और नॉन-प्लान एक्सपेन्डीचर के अन्दर जब सदन में आपसे मांग की जाती है कि आप नॉन-प्लान एक्सपेन्डीचर में कमी करो तो आप मजबूरी बता देते हैं और कह देते हैं कि कमिटेड एक्सपेन्डीचर है उसमें कमी नहीं कर पाते हैं । मंत्रिमण्डल में कितने सदस्य हों यह कोई कमिटमेन्ट नहीं है, इस सदन का कमिटमेन्ट नहीं हो सकता, यह सरकारी स्तर पर कोई कमिटमेन्ट नहीं हो सकता । यह एक ऐसा अन-कमिटेड एक्सपेन्डी-चर है जिसको मुख्य मंत्रीजी चाहें तो समाप्त कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इसको समाप्त करते चलना चाहिए ।

हिन्दुस्तान में एक राज्य है पंजाब । पंजाब ने इस प्रकार की नजीर उपस्थित की है । आप स्वयं देखिये पहिले वहां के मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या कितनी थी और आज क्या है ? आज उसकी संख्या किस सीमा तक आ गयी है ? वहां पर कमी होने के बाद कोई लूट मार नहीं हुई, सेक्रेटेरियट से फाइलें चुराकर नहीं ले जाई गई, कहीं पर अव्यवस्था आज के दिन नजर नहीं आती । पहले जिस संख्या में काम करते थे उससे कम संख्या में उसी प्रकार से आज भी शासन चलता है । जब एक प्रदेश ने इस प्रकार का आदर्श उपस्थित किया है तो यह हमारे लिए सौभाग्य की चीज है कि हम संख्या में कुछ कमी करके जनता के सामने आदर्श उपस्थित करें कि १८ की जगह ८ सदस्यों से भी उतना ही काम कर सकते हैं । यह भावना केवल मेरी ही नहीं, बल्कि आपके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो पीछे बैठे हैं उनकी भी मंशा है कि इस प्रकार के मसले पर ज्यादा खर्च नहीं किया जाये । आपके गृह मंत्रीजी हैं उनकी भी यही राय है और हमारे जो नये उप-गृह मंत्री जी हैं उनकी भी राय यही है कि इस प्रकार का ज्यादा खर्चा नहीं किया जाये । जब आपके ऐसे बड़े बड़े नेता इसको स्वीकार करके चलें कि मन्त्रिमण्डल के मामले में ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए तो मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप सदन के नेता अवश्य हैं लेकिन

Page No.35

(श्री भैरोंसिंह)

पी. सी. सी. के नेता पीछे वाले हैं। उनकी बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर वह स्वीकार नहीं करते हैं तो जनता यह कहेगी कि आर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं है। अगर आर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसका कन्ट्रोल नहीं होता वहां पावर्स का सबोर्डिनेशन होता है और यह डेमोक्रेसी के लिये बहुत घातक चीज होती है। बांसवाड़ा से आये हुए हमारे जो माननीय सदस्य हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे कहूंगा कि उनकी जो मनशा है वे उसको प्रत्यक्ष रूप में लाने की चेष्टा करें और सरकार के ऊपर दबाव डालें। १९५३-५४ में वे एस्टीमेंट्स कमेटी के मेम्बर थे, जिसने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रिपोर्ट दी। आज जो गृह मंत्री हैं वे भी उसके मेम्बर थे। हमारे आज के उप गृह-मंत्री हैं वे मेम्बर थे और बिजली पर कितना खर्च होता है, पानी पर कितना होता है, ट्रंक कॉल्स पर कितना होता है, टेलीफोन पर कितना होता है; मकान पर कितना होता है; इन सबके ऊपर उस समय की एस्टीमेट्स कमेटी का एडवर्स रिमार्क है और उसके अंतके एक पेरेग्राफ में लिखा है वह, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सदन में पढ़ कर सुनाऊंगा, जिसमें लिखा है:--

"Democracy is new to India. After years of slavery we have..

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, वित्त): हिन्दी में।

श्री भैरोंसिंह: यह अंग्रेजी में ही लिखा है। मैं अनुवाद कर दूंगा।

"After years of slavery we have actieved independence and have adopted a Constitution based on principles of democracy. If we have to make success of democracy in our country we have to show spirit of sacrifice in laying down healthy conventions in serving the State. This burden has fallen on those who have taken reins of Government in their hands. In the initial stages we have to be very cautious and we must all see that the resources of the State should be scrupulously utilised not for profit or any other purpose."

यह उस समय की हालत है जिस समय मंत्रिमण्डल की संख्या केवल ८ थी। ८ मंत्रियों की संख्या के ऊपर जब इस प्रकार की बात को स्वीकार किया और इस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर सरकार की ओर से आज तक कोई एडवर्स रिपोर्ट नहीं आई; उसको मानेगी नहीं सरकार, इस बात का कहीं संकेत नहीं है। सरकार ने इससे कहीं भी डिस्प्यूट नहीं किया, तो यह मानकर चलना चाहिये कि सन् १९५३-५४ में और उसके बाद में चलने वाली सरकार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है वह उसकी राय को अक्षरशः स्वीकार करती है। अब ऐसा लगता है कि इस राय के विपरीत क्यों कार्य किया गया है। मैं इसके पोलिटीकल रीजन्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उप-मंत्रियों की जो फौज भरी है उसका जन-हित की दृष्टि से महत्व नहीं है। इससे आप पार्टी एण्ड्स को एचीव जरूर कर सकते हो, यह कारण

(श्री भैरोंसिंह)

तो जरूर नजर आता है । अलबत्ता कोई कहे कि राजस्थान के मंत्रिमण्डल में इतना सुधार किया । जो हाल सन् ६२ में था जिस समय नया मंत्रिमण्डल बना मार्च में और आज मार्च ६३ में भी वही हालत है जो पहले मार्च ६२ में थी, उसमें कोई अन्तर नहीं आया । यह सही है कि ६२ में जिस संख्या से काम कर सकते थे, जो संख्या के बढ़ने के बावजूद भी कोई प्रशासनिक सुधार नहीं हुआ । फिर किसलिए रखे गये थे उप-मंत्री ? कोई कह दे कि इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर होने के बाद में इन्डस्ट्रीज में कोई प्रोग्रेस हो गयी, शिक्षा मंत्री होने के बाद अध्यापकों के बकाया का भुगतान हो गया, कोई उप-मंत्री कह दे कि उनके मंत्रि-मण्डल में आने के बाद डाकुओं का सफाया हो गया है, कोई कह दे कि चिकित्सा विभाग के उप-मंत्री होने के बाद में बीमारों की संख्या कम हो गई या मरने वालों की संख्या गिर गयी । किस बात का अन्तर नजर आता है ? किसी बात का नहीं । तो फिर हम किस लिए उप-मंत्री रखते हैं ? नीतियां बनाने के लिये हैं ? यहां पर नीतियां निर्धारण का काम केबीनेट करती है । डिप्टी-मिनिस्टर्स केबीनेट के मैम्बर्स नहीं होते । उनको कैबीनेट में नहीं जाने दिया जाता । जिस समय केबीनेट की मीटिंग होती है, उप-मंत्री बाहर बैठे रहते हैं । तो फिर किस आधार पर उप-मंत्री बाहर बैठे रहें और मंत्रिमण्डल के सदस्य बैठे रहें अन्दर । बस मंत्रियों ने जैसा आकर कह दिया कि यह निश्चय हुआ है और इसका एग्जीक्यूशन कराना है तो इसके लिए तो डिप्टी सेक्रेटरी भी काम कर सकता है । मंत्रिमण्डल में किसी प्रकार की कमी नहीं करना चाहते हैं तो मैं सारे मंत्रि-मण्डल से, डिप्टी-मिनिस्टर्स से अपील करना चाहूंगा कि वे अकबर और बाबर से प्रेरणा लें कि जिस समय उनके हाथ में राज्य था वे खजाने से एक पैसा नहीं निकालते थे बल्कि टोपियां सींकर काम चलाते थे । महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लें कि घास की रोटियां खाकर हिन्दुस्तान की रक्षा की थी . . .

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह कौनसे इतिहास में लिखा है कि टोपियां सीते थे ?

श्री भैरोंसिंह: जो इतिहास जानता है वह सब जानता है ।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, वित्त) : औरंगजेब करता था ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी इच्छा औरंगजेब बनने की है तो वह बन जाइये ।

हमें अपने जीवन के अन्दर, अपनी शासन प्रणाली के अन्दर मितव्ययता के आधार पर इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा जो कि दूसरों के लिए आदर्श उपस्थित कर सकें । इस पर बाकी और भी बहुत से मेम्बर्स बोलने वाले हैं, मुझे इस पर केवल इतना ही कहना था ।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव मेरा अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड के बारे में है । रेवेन्यू बोर्ड में एक मेम्बर बढ़ाया गया है, उसके लिए अतिरिक्त खर्चे की आवश्यकता सरकार ने महसूस की है और उसी के लिए अनुपूरक अनुदान इस सदन में प्रस्तुत किया गया है । मैं रेवेन्यू बोर्ड में जितने भी मेम्बर्स हैं आज के दिन, उन सब की योग्यता के ऊपर किसी प्रकार की कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । हमारे राजस्थान के सीनियर आई० ए० एस० आफिसर्स हैं और राजस्थान में उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स खूब है, यह कहा जा

(श्री भैरोंसिंह)

सकता है, लेकिन रेवेन्यू बोर्ड का काम केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स पर चलने वाला नहीं है। उसका काम है रेवेन्यू मटर्स के अन्दर जुडीशियल जजमेन्ट देना, रेवेन्यू बोर्ड का काम है रेवेन्यू लॉज को समझ कर उसके अनुसार फैसला देना। मैं पूछना चाहूंगा कि आपके रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स चाहे वे मेनन हों, बलवंतसिंह जी हों, चाहे गजेन्द्रसिंह जी हों, चाहे सांवलदान जी हों इनमें से कितने आदमी हैं कि जिनने असिस्टेन्ट कलेक्टर का काम किया है, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और एस० डी० ओ० का काम किया है। किसी ने एस० डी० ओ० का ६ महीने काम किया है और ६ महीने एस० डी० ओ० का काम करने वाला व्यक्ति रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन हो, उनकी और किसी क्वालीफिकेशन का जिक्र नहीं करता कि वह मैट्रीकुलेट हैं या क्या हैं; लेकिन अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि रेवेन्यू के मैटर्स के अन्दर रेवेन्यू बोर्ड हाइएस्ट आथोरिटी है और उसके अन्दर यदि इस प्रकार के अनुभवी व्यक्ति जिनको प्रशासन का अनुभव हो सकता है लेकिन जुडीशियल जजमेन्ट देनेका एक्सपीरियन्स नहीं होता, जिनसे हम उम्मीद करें कि आज के इस युग के अन्दर जहां कि रेवेन्यू लॉज इतने कॉम्प्लीकेटेड हैं कि जिनको सिम्प्लीफाई करना हमारी सरकार जरूरी समझती है, उनके सिम्प्लीफिकेशन के लिए कमेटी एपोइन्ट कर रही है। उन रेवेन्यू लॉज के बारे में यदि हम देखते हैं तो सिवाय दो के कोई ला ग्रेजुएट नहीं है। उन दो में से भी एक व्यक्ति कुछ दिनों के लिए कलेक्टर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर्स की स्थिति आजकल भिन्न है। उन्हें कोई रेवेन्यू वर्क नहीं करना पड़ता है, उन्हें कोई जुडिशियल वर्क नहीं करना पड़ता है। कलेक्टर को केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना पड़ता है। जिस कलेक्टर को रेवेन्यू वर्क करना पड़ता है वहां पर एडीशनल कलेक्टर होता है, और एडीशनल कलेक्टर ही सारा वर्क करता है, कलेक्टर कुछ नहीं करता है। कोई एस. डी. ओ. रहे हों या तहसीलदार रहे हों, ऐसा नहीं है। एक सदस्य केवल ६ महीने यहां जयपुर में एम. डी. एम. थे, क्या उन्होंने भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग ली थी और उस ट्रेनिंग के आधार पर वे रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हो गये? बाकी के लोगों में कोई नहीं है कि जिन्हें कानून का एक्सपीरियन्स किसी प्रकार का हो।

अब हमारी सरकार यह कहेगी कि जो नई व्यवस्था की है कि जो सेक्रेटरी सीधे सेक्रेटरियेट से रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर होता है वह कलेक्टर की पोस्ट पर आयेगा और जब वह कलेक्टर की पोस्ट पर आयेगा और रेवेन्यू बोर्ड में जगह खाली होगी तो सीधा कलेक्टर से रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर के पद पर जाकर उसको सुशोभित करेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि आज एक कलेक्टर को जुडिशियल एक्सपीरियन्स नही हो सकता है। उसके सामने इतनी मल्टीफेरियस ड्यूटीज होती हैं कि सारा जुडिशियल का केस वर्क एडिशनल कलेक्टर को देना पड़ता है और वह एडिशनल कलेक्टर वर्क करता है। इसलिये इस पर आगे कमेन्ट नहीं करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी कम से कम उन मामलों को देख लें जिनमें हाई कोर्ट ने रेवेन्यू बोर्ड के बारे में रिमार्क्स दिये हैं जिनमें उन्होंने यहां तक कहने का संकोच नहीं किया, इन्टरप्रिटेशन के बारे में, कि इस धारा का मतलब रेवेन्यू बोर्ड को समझने में कठिनाई प्रतीत हुई है। जहां इस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

की चीज ग्राये वहां मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में ग्राज की स्थिति के ग्रन्दर ग्राप इस बात की चिन्ता करेंगे कि कौन से ग्राफिसर को बनायें ग्रौर कौन से ग्राफिसर को नहीं बनायें। हमने पहले भी इस बात की मांग की थी कि रेवेन्यू बोर्ड के ग्रन्दर जुडीशियल एक्सपीरियन्स के ग्रादमी जाने चाहिए। ग्राप यदि सेशन्स जजेज को नियुक्त कर सकते हों तो सेशन्स जजेज को नियुक्त करा जाय, या सेशन्स जजेज की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं तो राजस्थान में ग्रच्छे ग्रच्छे वकील हैं जो रेवेन्यू की प्रेक्टिस करते हैं, जिनको रेवेन्यू के बारे में ज्ञान है ग्रौर रेवेन्यू प्रेक्टिस में दक्ष हैं। तो जैसे हाईकोर्ट में जजेज एपोइन्ट किये जाते हैं वकीलों में से, तो वहां रेवेन्यू बोर्ड में भी कम से कम २-३ मेम्बर्स इस तरह से वकीलों में से एपोइन्ट किये जायं ताकि एक के एक्सपीरियन्स से दूसरा काम कर सकता है। ग्रभी ४-५ दिन पहले मैं ग्रजमेर गया तो वहां पर रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स के बारे में जो जनता की भावना है ग्रौर वकीलों की जो भावना है कि वे क्या क्या कहते हैं–वह मैं सदन में नहीं कहना चाहता। क्या क्या मेम्बर्स के बारे में उनकी राय है, यदि मैं वह सदन में व्यक्त करूं तो यह शायद कहेंगे कि यह मेरा ग्रनपार्लियामेन्ट्री एक्शन है। मैं उसके बारे में ग्रग्रसर नहीं होना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड की हालत किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। वे किसी भी प्रकार से दुनिया के साथ में न्याय नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता कि वे जान-बूझकर न्याय नहीं करना चाहते। मैं इस तरह की बात नहीं करता कि इस तरह के मेम्बर्स हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार होता है। वह चीज दूसरी है। वह जिस समय मौका ग्रायेगा तब बताऊंगा। इस समय तो इतना ही कह सकता हूं कि जानकारी नहीं होने के कारण रेवेन्यू के मामले में पूरी तरह से जजमेंट नहीं दे सकते। रेवेन्यू के मामलों के ग्रन्दर, टीनेन्सी एक्ट ग्रौर न मालूम कितने कितने कानून इस विधान सभा ने पास किये होंगे उनका ज्ञान उनको नहीं है ग्रौर ज्ञान नहीं होने की स्थिति में एक ऐसी चीज हमारे यहां है ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रपीलेंट ग्राथोरिटी बना रखी है, लेकिन वे सब ग्रार. ए. एस. बनाये हुए हैं ग्रौर ग्रपीलेंट ग्राथोरिटी जो है वह रेवेन्यू के मामलों को देखती है ग्रौर रेवेन्यू एक्सपीरियन्स जिनका होता है उनको प्रमोशन नहीं मिलता। ग्राज कुछ स्टेज रखी है कि कलेक्टर्स को लिया जाना चाहिए। कलेक्टर से सीधा रेवेन्यू बोर्ड में पहुंच गया। एडवोकेट्स को उसमें नहीं लेना चाहिए जब कि गवर्नमेंट मशीनरी में से वहां लेना चाहते हैं। तो एक सजेशन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग रेवेन्यू बोर्ड में जाने को कॉम्पीटेन्ट हो सकते हैं उनको पहले एपीलेट ग्राथोरिटी एपाइन्ट कर दें। जब उनको ३-४ साल का एक्सपीरियन्स होगा ग्रौर उस एक्सपीरियन्स को लेकर रेवेन्यू बोर्ड में जायंगे तो ठीक प्रकार से जजमेंट हो सकेगा।

मैं ग्रन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड में कुछ दिनों का एक्सपीरियन्स होता है ग्रौर एक्सपीरियन्स ज्यों ही हुग्रा उनको दो-तीन साल का उनको वहां से रवाना कर देते हैं। मैं ग्रापकी जानकारी के लिए एक मिसाल प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। ग्रभी रेवेन्यू बोर्ड से दो मेम्बर्स सेक्रेटेरियट में लिये हैं। मैं नहीं कहता कि ग्रापने जिस पर्पज के लिए लिया है उसके उपयुक्त हैं या नहीं। मैं एक बात कहता हूं कि मेम्बर की स्केल का ग्रादमी सेक्रेटरी के

(श्री भैरोंसिंह)

पद पर नहीं आता। आपके रूल्स भी ऐसे हैं कि बाहर से सेक्रेटरी के पद पर जो आयेगा वह उसी कैडर का होगा। लेकिन आपने सुपर स्केल के आदमी को सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त कर रखा है जो कि आपके रूल्स के अनुसार वाजिब नहीं है। इन दो व्यक्तियों ने कुछ दिनों के लिए एक्सपीरियन्स किया, उनको यहां लाकर सेक्रेटरी के पद पर बिठा दिया। अब नये व्यक्तियों को फिर एक्सपीरियन्स होगा तो उनको रिमूव कर दिया जायगा। मैं समझता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड से हटाने की स्थिति केवल उसी हालत में होनी चाहिए जब कि रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी के पद को लेने की स्थिति में आता हो। बाकी जिनका रेवेन्यू बोर्ड में ट्रान्सफर हो गया वह यह सिक्योरिटी लेकर चलें कि रेवेन्यू बोर्ड से उनका स्थानान्तरण होने वाला नहीं है, वे किसी दूसरे स्थान पर जाने वाले नहीं हैं। उनको एक इन्डिपेन्डेंट व्यक्ति के रूप में जजमेंट देना है, कानून के अनुसार जजमेंट देना है। एक्सपीरियन्स गेन करते हैं तब उनका ट्रान्सफर कर दिया जाता है।

इन सारी स्थितियों को लेकर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड में किसी प्रकार से सुधार लाने की चेष्टा करेंगे तो जनता के साथ में बहुत बड़ा न्याय होगा।

दो कटौती के प्रस्ताव मेरे और हैं। एक है मेडीकल फैसिलिटीज़ के बारे में। मुझे इस बात का कोई विरोध नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को मेडीकल फैसिलिटी दी जाय। सरकार ने नियम बना रखे हैं उन नियमों के अनुसार किसी आदमी के घर में कोई बीमार हो जाय तो मेडीकल ट्रीटमेंट में जितना खर्चा हो जाय वह खर्चा पाने का हकदार है। मैं केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं; मैंने कई बार सवाल भी दिये हैं उन सवालों का जवाब नहीं मिला। मैं एक बात की जानकारी करना चाहता हूं। मैं किन्हीं ऐसे डिपार्टमेंट के आंकड़े दूंगा। मैंने दो डिपार्टमेंट्स के बारे में जांच की है, पुलिस के बारे में और प्रेस के बारे में और बाकी के डिपार्टमेंट्स की भी मुझे जानकारी है, लेकिन करेक्ट फीगर्स और करेक्ट आंकड़े सिर्फ इन्हीं दो डिपार्टमेंट्स के बारे में है जिनके बारे में मैंने जांच की है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आप पुलिस लाइन में चले जाइये। वहां पर अब ६ महीने से सुधार हुआ है। मुझे उसके बारे में कहने में संकोच नहीं है, लेकिन पिछले दिनों के अन्दर जितनी मेडिकल फैसिलिटी सिपाहियों को मिलनी चाहिए, जितना एमाउन्ट रखा जाता है वह एमाउन्ट बड़े बड़े अफसरों को जाता है और उन सिपाहियों को कोई मेडीकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। कोई सिपाही बीमार होता है तो कह दिया जाता है कि हास्पिटल में भरती हो जाओ। किसी को टी० बी० है तो कह दिया जाता है कि छुट्टी ले लो या और कोई बीमारी है तो दवा बाजार से खरीद लाओ। जो मेडीकल फैसिलिटी गवर्नमेंट देना चाहती है वह अल्प-वैतनिक कर्मचारियों को नहीं मिलती है। आप जांच करवा लें कि जयपुर की पुलिस रिज़र्व लाइन के अन्दर कितना पैसा आफिसरों को गया और कितना वहां आर० ए० सी० और दूसरे पुलिस के सिपाही हैं उनको मिला। अगर अनुपात लगायें तो ७० और ३० का फर्क मिलेगा। आप प्रेस में चले जाइये और प्रेस में देख लीजिये लास्ट ईअर का तो जितने आधिकारी हैं उनके घर में कितना खर्चा हुआ और जो मजदूर हैं उनके लिए कितना खर्चा हुआ; तो ६० और ४० का अन्तर

(श्री भैरोंसिंह)

मिलता है। यह किस लिए ? यह कहा जाता है कि वे लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर उनकी मेडीकल रिसीट्स को देखा जाय तो ऐसा लगता है कि वे १२ महीनों बीमार रहते हैं।

जब वे बारह महीनों बीमार रहते हैं तो उनको छुट्टी दीजिये, बीमार किस प्रकार काम करते होंगे, लेकिन १२ महीने बीमार रहते हैं और दवाइयां लेते हैं। मैं समझता हूं, डा० हेलिंग का नुस्का राजस्थान में सबसे अधिक स्टेन्डर्ड की दवाइयों का नुस्का होता है और ऐसा स्टेन्डर्ड नुस्का डाक्टर हेलिंग देते हैं। लेकिन दूसरे डाक्टरों की दवाइयां तो इतने स्टेन्डर्ड की नहीं होती, फिर भी किताबों से निकाल कर मंहगा से मंहगा नुस्का दिया जाता है ताकि मंहगी से मंहगी दवाइयां खरीदी जाती हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि मेडीकल फैसिलिटी देना चाहती है, सरकार की मंशा है कि सबको समान रूप से फैसिलिटी दी जाय तो इसको उसी तरह से लागू करने की चेष्टा करें ताकि अल्प वैतनिक कर्मचारी उससे महरूम नहीं रह जावें और केवल बड़े बड़े कर्मचारी ही लाभ उठालें। यही बात सभी डिपार्टमेन्ट्स में है। मैंने दो डिपार्टमेन्ट्स के फिगर्स जांच किये हैं और उनको यहां लाया हूं; यदि आप जरूरत समझें तो फिगर्स बताऊं।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है सरप्लस कर्मचारियों के बारे में। पिछली बार वित्त मंत्रीजी ने यहां कहा था कि राजस्थान के बजट में कटौती करना चाहते हैं। हमने उस कटौती का स्वागत किया। उस समय ख्याल था कि हमारी सरकार बड़े बड़े ऐसे फिजूल खर्ची के जो विभाग हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है इस प्रकार के खर्चे में सरकार कुछ कमी करेगी। अब वहां कितनी कमी हुई है, यह मैं बजट के समय बताना चाहूंगा। मैं इस समय यह कह कर चलना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना जब समाप्त हुई उसमें एम्पलायमेन्ट का कोटा जितना था उसको पूरा नहीं कर पाये, राजस्थान में बेकारी पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाये और उस समय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में इस बात का आश्वासन दिया था और घोषणा की थी राजस्थान में कि इतने लोगों को को प्राइमरी स्कूलों में लिया जायगा और इतनों को अमुक अमुक जगह पर लिया जायगा। यह सब प्रकार का आश्वासन उन्होंने दिया था; उससे भी हम यह समझ कर चले थे कि सरकार बेकारी दूर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन कुछ ऐसा लगा कि हमारी सरकार फिजूल खर्ची को नहीं रोक रही है लेकिन वह अल्प वैतनिक कर्मचारियों के पेट पर छुरी चला रही है। आज कोई सरकार से पूछे कि आपको राजस्थान में कमी करने का स्थान और कोई नजर नहीं आया, इस प्रकार का कोई डिपार्टमेन्ट या वर्क नजर नहीं आया जिसमें कमी कर सकते सिवाय चपरासियों में कमी करने के। चपरासियों में कमी करके क्या आप ऐसा समझते हैं कि जो आपने ४ करोड़ के टैक्स लगाये हैं उनका समाधान हो जायगा या भारत सरकार से ३५ करोड़ रुपयों का कर्जा लिया है उसकी पूर्ति हो जायगी ? मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि चपरासियों में कमी करने से यह ति नहीं होने वाली है। अलग अलग डिपार्टमेन्टस में से कम तनख्वाह वालों को निकाल दिया उसके कारण राज्य के बजट पर विशेष असर नहीं पड़ने वाला है, असर पड़ेगा और चीजों पर। लेकिन हमारे वित्त मंत्रीजी ने पिछले सदन में कहा था, जब सदन में बजट प्रस्तुत किया था, कि जिनको सरप्लस किया जायगा उनका एब्जोर्पशन किया जायगा लेकिन एब्जोर्पशन कानूनी ढंग से

(श्री भैरोंसिंह)

करना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, सैटलमेन्ट डिपार्टमेंन्ट और कंसोलिडेशन डिपार्टमेन्ट को ले लीजिये इन दो डिपार्टमेंन्ट में सरप्लस करने वालों के नाम मेरे पास हैं। मैंने पिछली बार भी प्रस्तुत किये थे और आज भी लाया हूं। कमी की गई तो उस कर्मचारी की की जानी चाहिये थी जो सबसे जूनियर हो, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा गया और जिसकी १५ वर्ष की सर्विस है उसको सरप्लस कर दिया गया और २ वर्ष से सर्विस में है उनको परमानेन्ट करना चाहते हैं। पिछले दो वर्षों में जिनको सरप्लस किया है उनके बारे में इस बात का निर्णय लिया जाना चाहिये कि जो सीनियर लोग सरप्लस कर दिये गये हैं उनको रिटेन करना चाहिये और जो जूनियर मोस्ट रिटेन किये गये हैं उनको सरप्लस करना चाहिये। जब वित्त मंत्रीजी से इस बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो एब्जोर्प्शन कमेटी का मेम्बर हूं, मेरा काम तो एब्जोर्प्शन करना है।

(१२.४५ म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

अब मैं एब्जोर्प्शन कमेटी की बात आपको बताना चाहता हूं, सभापति महोदया। जब मैं पिछली बार जोधपुर गया था तब मुझे मालूम हुआ कि बिलाड़ा ब्लॉक में जो फेमिली प्लानिंग सेन्टर है, राजस्थान में जितने भी फेमिली प्लानिंग सेन्टर्स हैं उन सब में महिलाओं को रखते हैं और ये महिलाएं फेमिली प्लानिंग का प्रचार करती हैं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे वित्त मंत्रीजी को कि उन्होंने वहां भी दखल करना शुरू किया और बिलाडा फेमिली प्लानिंग सेन्टर में कंसोलिडेशन विभाग के इन्सपेक्टर मंजूर अहमद को वहां भेज दिया। अब वे वहां पर फेमिली प्लानिंग को कंसोलिडेट करेंगे। मुझे समझ में नहीं आया कि सरकार करना क्या चाहती है? नाम के बारे में मैं डेफिनिट नहीं हूं। उनका नाम मंजूर अली है या मंजूर अहमद है, लेकिन उन्होंने कन्सोलिडेशन विभाग में ३ वर्ष तक ट्रेनिंग ली, उनको वहां से सरप्लस कर दिया।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): उनका नाम मंजूरबाई होगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): मैं यह समझ लूं कि मंजूरअली को वहां रखा गया है, किस पद पर रखा गया है?

श्री भैरोंसिंह: फेमिली प्लानिंग सेन्टर में इन्सपेक्टर होता है या क्या होता है, यह मुझे पता नहीं लेकिन वह वहां फेमिली प्लानिंग सेन्टर का इन्चार्ज है। बिलाडा ब्लॉक में जो फेमिली प्लानिंग सेन्टर है वहां पर उनको भेजा है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: फेमिली प्लानिंग में आदमियों को भी समझाने की जरूरत पडती है।

श्री भैरोंसिंह: मैं तो ऐसा समझता हूं कि आदमियों को समझाने की अगर जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपको भी समझाने की जरूरत पडेगी।

श्री भैरोंसिंह: मैं तो समझा हुआ हूं।

(श्री भैरोंसिंह)

एब्जोर्शन कर लिया, उससे मेरा विरोध नहीं है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि उस आदमी की योग्यता और उपयोगिता को देखते हुए जिस स्थान पर लगाना चाहिये उसी स्थान पर उसको रखना चाहिये। उस स्थान पर नहीं लगा कर दूसरे स्थान पर लगा देते हैं तो लोगों को यह नजर आता है कि जहां पर भी जो जगह नजर आई वहां पर सरप्लस हैंड को लगा दिया। मैं इसलिये मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जो भी लोग सरप्लस घोषित किये गये हैं उनके बारे में इस बात की घोषणा करें कि सीनियोरिटी के बेसिस पर सरप्लस घोषित किया जायगा जो सबसे ज्यादा जूनियर है उसको सबसे पहले सरप्लस किया जायगा, सीनियर को सरप्लस नहीं किया जायगा और जिन सीनियर आदमियों को सरप्लस कर दिया गया है उनको वापिस लिया जायगा। जिन लोगों को सरप्लस करके एवजोर्ब किया है उनको योग्यता के आधार पर एवजोर्ब किया जायगा ताकि उनकी योग्यता का उपयोग किया जा सके। अगर योग्यता के आधार पर नहीं करते हैं तो मानना पड़ेगा कि सरकार एबजोर्ब तो कर रही है, लेकिन उनकी सर्विस युटिलाइज हो सके, ऐसी बात नहीं है। ये चार कटोती प्रस्ताव रखता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): सभापति महोदया, अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९, सामान्य प्रशासन के संबंध में मेरा भी कटोती प्रस्ताव है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने अपने कटोती प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए कुछ कर्मचारियों की छंटनी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। राज्य के वित्त मंत्री महोदय ने राज्य की बिगड़ती हुई वित्तीय हालत को ध्यान में रखते हुए जहां एक ओर नये नये कर लगाने का काम अपने हाथ में लिया वहां दूसरी ओर जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी छंटनी का भी काम उन्होंने अपने हाथ में लिया, छंटनी का काम उन्होंने जिस भावना से लिया था उसका परिणाम क्या हुआ और जहां तक मेरी जानकारी है सभापति महोदया, सदन के अनेक माननीय सदस्य भी इस बात को जानते होंगे कि पिछले दिनों में राज्य सरकार की ओर से इस घातक नीति के परिणाम स्वरूप राज्य के जिन कर्मचारियों की छंटनी की गई और जो सिद्धान्त सर्वमान्य उनके लिए निर्धारित किये गये उन सिद्धान्तों के अनुसार वह छंटनी नहीं की गई। कई ऐसे महकमे थे कई विभागों के अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों से वे नाखुश थे, चाहे वे सीनियर हों, जिन कर्मचारियों को वे अपने विभाग से हटाना चाहते थे, किसी भी कारण से, ऐसे समस्त कर्मचारियों को राज्य सराकर के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, जूनियरिटी के आधार पर छंटनी होनी चाहिए थी, उसकी चिन्ता न करते हुए अनेक प्रकार की ऐसी छंटनियां की गईं। मैंने इस सम्बन्ध में इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के बारे में लगभग दस-बारह उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री महोदय को प्रोजेक्ट की जानकारी भी दी थी कि किस प्रकार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो व्यक्ति रिजेक्ट कर दिया गया, जिसका पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को रिटेन कर लिया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
गया और जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिलेक्ट कर लिया गया, उनको सरप्लस डिक्लेअर कर दिया गया। मैं उस सम्बन्ध में ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक नहीं, ऐसी अनेक घटनायें हैं कि विभागों में कहीं पर जाति के आधार को लेकर जाति-विशेष के लोगों को रिटेन किया गया और वही एकमात्र योग्यता मानी गई और वह व्यक्ति सीनियर हैं, या जूनयिर हैं इस बात की चिन्ता न करते हुए जाति विशेष के व्यक्तियों को विभागाध्यक्षों ने रिटेन किया और जो सीनियर आदमी हैं, उस आदमी को वहां से रिट्रेन्च कर दिया।

सभापति महोदया, मैं उन सारे विषयों में ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। एक उदाहरण रख दूं कि एक एल. डी. सी. था जो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रिजेक्ट हो गया, उसका पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा आदमी जो एल. डी. सी. का काम करता है, उसको कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट में ६०० की ग्रेड में रख दिया गया। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन आदमी है और उसकी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, या एलएल.बी. नहीं है। वह पब्लिक सर्विस कमीशन से रिजेक्ट हो गया और जो एल.डी.सी. का काम कर रहा था उसको कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर बना कर लगा दिया। उसकी क्वालिफिकेशन एक ही है कि वह राज्य के एक बड़े अधिकारी का सुपुत्र है। मैं समझता हूं मैं निवेदन करना चाहूंगा....................

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): कौन साहब हैं ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): नाम बोल दिया करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपके महकमे के हैं। आई. जी. पी के सुपुत्र हैं, श्री के. के. शर्मा; जिनको कम्युनिटी ऑफिसर लगा रखा है।

श्री रामकिशनः (वैर): मने बताया था वित्त मंत्री को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वह एल.डी.सी. है उसकी क्वालिफिकेशन ये हैं और उसे पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजेक्ट किया है। यह बताते हुए मैंने लैटर में लिखा है:–

"The only qualification that he possesses is that he is the son of I. G. P. and nothing more than that." आप कुछ नहीं कर सके...

श्री बालकृष्ण कौल: एब्जोर्प्शन कमेटी ने नहीं किया है।

श्री रामकिशनः मैंने आपको लिस्ट दी है, उसमें है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: एब्जोर्प्शन कमेटी ने नहीं किया। मैंने आपको लिखा है कि किस लेवल पर कहां पर क्या हुआ है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप एब्जोर्प्शन कमेटी के चेअरमैन थे, मैं आपकी पर्टीक्यूलरली रेस्पोन्सिबिलिटी मानता हूं, भले ही आप उसको मुख्य मंत्री जी पर टाल दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे सारी बातों के लिए मुख्य मंत्रीजी जिम्मेदार हैं। कई बातें जो हर रोज होती हैं उन सबके जवाबदार, वे हैं। मैं इन सारी बातों में नहीं जाना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि छंटनी का काम शुरू किया, इस काम की शुरुआत की, तो इसके सिद्धान्त प्रतिपादित किये। नये वित्त मंत्री आये हैं, पहले वाले वित्त मंत्री थे उनके समय में लाखों रुपये के घोटाले हुए थे, उसकी चिन्ता उन्हें नहीं थी, चाहे कोई भर्ती होता रहे उसकी चिन्ता नहीं थी। आपसे मैं यह शिकायत करना चाहता हूं कि आपने भी देखने की कोशिश नहीं की··········

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इतना अर्ज कर दूं कि एब्जोर्शन कमेटी का काम रिडक्शन के मामले देखना नहीं था, जो सरप्लस लोग आये, उनको एब्जोर्ब करने का काम था। इसलिए आपकी जो शिकायत है उसके लिए वित्त मंत्री जिम्मेदार नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): ठीक है, आप छुट्टी पा गये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): It is a question of joint responsibility. Why the one who is responsible not replying?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : We are all responsible.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: But who is not responsible? Why he is interferring and who is responsible? Why he is not standing to reply?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि जोइन्ट रेस्पोंसिबिलिटी के सबब से वित्त मंत्री भी रेस्पोन्सिबिल हैं, यहां तक कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य का यह ख्याल दूर कर देना चाहता हूं, एब्जोर्प्शन कमेटी के क्या फंक्शन्स थे, उनके लिए मैंने उस चीज का जिक्र किया।

श्रीमती सभानेत्री: माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, मुझे इस बात से सरोकार नहीं कि जो कुछ भी शिकायतें हैं, उनका सम्बन्ध वित्त मंत्री जी से है या उनका सम्बन्ध मुख्य मंत्रीजी से है। इसके लिए जो कोई भी जवाबदार हो, मेरा कहना है कि सरकार जवाबदार है और सरकार की जवाबदारी है तो सरकार इस बात का जवाब दे कि इस प्रकार की बातें क्यों होती हैं? मेरा व्यक्ति विशेष से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से।

मैं निवेदन कर रहा था कि एक नहीं अनेक इस प्रकार के उदाहरण हैं, और मैंने कम से कम दस–बारह इन्सटान्सेज कोट किये, उनकी क्वालिफिकेशन्स दी थीं और पूरे फैक्ट्स दिये थे और कहा था कि ये आदमी सारे के सारे रिटेन किये हैं; इस आधार पर किये गये हैं कि जाति विशेष के लोग हैं और बाकी, को रिट्रेंन्च किया गया है। सभापति महोदया ऐसे लोगों को रिट्रेंन्च किया जिनको पोस्ट्स से रिट्रेंन्च तो कर दिया लेकिन पोस्ट अबोलिश नहीं की हैं और जिसको रिटेन किया वह जूनियर आदमी था, वह पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट नहीं हुआ था, उसको ६०० की ग्रेड में लगा दिया। वह बात हमारे ध्यान में आई, और आगे तक गई। मुझे जानकारी मिली है कि मुख्य सचिव महोदय ने दिलचस्पी ली और मामलों में छानबीन करके न्याय दिलाने की चेष्टा की है और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मुख्य मंत्रीजी भी इसमें इन्ट्रेस्टेड दिखाई देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बातें भी होती हैं, उनको भी जाने दें तो जो छोटे छोटे कर्मचारी थे, माननीय वित्त मंत्री जी ने, या माननीय मुख्य मंत्री जी ने इनमें छंटनी कर दी। मैं पूछना चाहूंगा, जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, या एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, एस्टीमेट्स कमेटी के सदस्य, जो आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सवाल हैं, या राज्य के होम मिनिस्टर का यह अन्यान्य का सम्बन्ध है, उनकी राय कुछ भी हो कि इस प्रकार प्रशासन में खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, [illegible] प्रशासन के खर्चे में कटौती करनी है–इस प्रकार की राय दी है, उसको कितना महत्व माननीय मुख्य मंत्रीजी देंगे या राज्य सरकार देगी, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिद्धान्त के अलावा भी सम्पूर्ण भारतवर्ष और सारे राजस्थान में संकटकालीन स्थिति का नाम लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सैंकड़ों दौरे किये होंगे, मंत्रिमंडल के सारे मंत्रियों ने दौरे किये होंगे और राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति का आह्वान किया होगा, हर एक नागरिक को यह नारा दिया होगा कि एक एक नया पैसा बचाओ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, स्माल सेविंग स्कीम का नारा दिया होगा, बचत करने के लिए प्रोत्साहन दिया होगा, खर्च में कटौती करने के लिए कहा होगा, पेट बांधें, लग्ज़रीज में कमी करें, कम खायें, व्रत रखें, उपवास रखें–इस प्रकार के उपदेश और प्रवचन सारे मंत्री महोदयों ने दिये होंगे। मैं इन सारी बातों में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत आपसे आप क्यों नहीं करना चाहते जिससे कि राजस्थान के जन-जीवन को और जन-मानस के सामने आप उदाहरण रखें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जन–जीवन और जन-मानस पर तब तक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है जब तक कि शुरुआत आप नहीं करें, इसके औचित्य के सम्बन्ध में, इसकी गम्भीरता के बारे में सरकार का उस प्रकार का व्यवहार नहीं हो। जब तक सरकार का ऐसा व्यवहार नहीं होगा तब तक इसके बारे में जनता पर असर पड़ने वाला नहीं।

आखिर जो आंकडे इस सदन में रखे गये, मंत्रियों की संख्या जो १९५१ में थी उसकी तुलना में हमारे मंत्रियों की संख्या बढती जा रही है, जैसा मैंने पिछली बार कहा था, मैं सोचता था सभापति महोदया, कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी पंजाब में गये उस समय पंजाब से इस प्रकार का प्रभाव, इस प्रकार का इन्फैक्शन साथ में लेकर आते और जो कटौती पंजाब में की वैसी माननीय मुख्य मंत्री जी यहां करते। हो सकता है कि उनके सामने कुछ कठिनाइयां हों, जिस प्रकार पंजाब में कुछ मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिये, वैसा ही कराने के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां भी प्रयत्न किये हों, मंत्रियों से इस्तीफे मांगे हों और मंत्रियों ने देने से इन्कार कर दिया हो या ऐसा डिसीप्लेन नहीं हो कि वे अपने आप इस्तीफे दे दें या सरेन्डर कर दें; तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में वे यह मांग करें, सदन में खड़े होकर इस्तीफा देने के लिये कहें। मैं देखता हूं कि कौन मना करता है ? कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है जो इस्तीफा देने से इन्कार कर सके। इसलिए या तो इस्तीफे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
मांगे नहीं, और मांगते तो शायद गृह मंत्री जी कहते कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा । मुझे सबसे बड़ा सन्देह यह है कि झगडा इस बात का हुआ होगा कि किसको निकाला जाय और किसको नहीं निकाला जाय ।

अब डिप्टी मिनिस्टरों की बात आती है, सभापति महोदया। तो सवाल यह खडा होता है कि वास्तव में सबसे ज्यादा गुस्सा आता है तो मंत्रियों पर आता है और दया आती है तो उप-मंत्रियों पर आती है।

इसका कारण है कि वे सदन में सबसे पीछे बैठते हैं। बैक बेंचेज पर बैठते हैं और किसी मंत्री को काम जाना होता है तो वह उप-मंत्रीजी को वहां पर बिठला जाता है। वे वहां बैठे बैठे देखते रहते हैं क्योंकि उनको कोई अधिकार तो होता नहीं । उनको इस प्रकार से बिठला जाते हैं जिस प्रकार अपने यहां होता है कि कोतवाली में कोई बडा कोतवाल या थानेदार होता है वह अपने यहां के छोटे-बडे जमादार को कह जाता है कि मैं जरा बाहर होकर आता हूं आप बैठे रहें और वह बैठा रहता है। उनको किसी भी संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार करने का अधिकार दे कर जाते नहीं । सरकार की तरफ से अधिकारपूर्ण रूप से कोई भाषण कर सकते नहीं । वे केवल इसलिये यहां पर बैठे रहते हैं कि कहीं ऑपोजिशन की तरफ से चैअर को यह कहने पर कि कोई भी मंत्री नहीं है तो कोई चैअर से यह नहीं कह सके कि मंत्री नहीं है, इसके अलावा उनको कोई अधिकार नहीं है। उनको अधिकार है केवल प्रश्नों के उत्तर देने का, जिसमें वे उलझ जावें । उनको यह आश्वासन दिया हुआ है कि जिस समय आप उलझ जावेंगे और अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम आपकी मदद करेंगे । उप-मंत्री कोई पोलिसी तय करने के मामलों में भाग नहीं ले सकते । केबिनेट मीटिंग में भाग नहीं ले सकते ।

सभापति महोदया, इससे भी ज्यादा बात यह है कि उप-मंत्रियों को हमारे यहां के अधिकारी कुछ गिनते नहीं। वे यह समझते हैं कि उनको किसी पोलिटिकल प्रेशर या रीजनल प्रेशर या कॉम्युनल प्रेशर के कारण लिया है जिससे कि उदयपुर के लोग नाराज न हो जावें इसलिये उनको लिया गया है । इसलिए जो ऑर्डर वे देते हैं उनका सरकारी अधिकारी पालन नहीं करते हैं। उनकी कोई बात चलती नहीं। इसका उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा । एक अध्यापक को नौकरी से निकाला गया । उसका कोर्ट से एक्वीटल हो गया और कोर्ट ने उसको वापिस नौकरी पर लेने का आदेश दिया। डाइरेक्टर के ऑर्डर हो गये, मगर डिप्टी डाइरेक्टर ने उसको वापिस लेने से इन्कार कर दिया और कहा कि हम नहीं लेते। वह अध्यापक डिप्टी मिनिस्टर के पास गया । डिप्टी मिनिस्टर ने उसको अच्छी तरह से सुना और १३ दिसम्बर, १९६२ को उन्होंने डिप्टी डाइरेक्टर को फोन किया। मगर उसको नहीं लिया। डिप्टी डाइरेक्टर कहता है कि डिप्टी मिनिस्टर बहुत फिरते हैं ।

(विराम)

दुबारा डी. ओ. लिख कर भेजा कि इसको ले लिया जावे । मगर आज तक-दिसम्बर से आज मार्च हो गया है–तीन महीने हो गये हैं—कोई उस पर अमल नहीं हुआ है। यह साफ बताता है कि उप-मंत्री को कोई नहीं पूछता है । सभापति महोदया, इन

(श्री सतीशशचन्द्र अग्रवाल)

उप-मंत्रियों की यह हालत है और वह भी उन उप-मंत्रीजी की जो अपने को सबसे अकलबन्द होशियार समझते हैं। दूसरे बेचारों का तो कहना ही क्या है?

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सिद्धान्तिक रूप से जब आप यह चाहते हैं कि संकटकालीन स्थिति में खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिये और कम होना चाहिये इसके लिये आपको कदम उठाना चाहिये। इसके लिये आप फैसला कर लीजिये कि क्या करना है। मैंने पिछली बार भी कहा है कि आप इसके लिये कोई न कोई गली निकाल लें और गली निकाल कर जनता के सामने उदाहरण रखें। आप चाहें तो एक व्यक्ति पर छोड दें या और कुछ करें, यह फैसला करने की बात आपकी है। मैं यह कहूंगा कि जब तक संकट-कालीन स्थिति बनी हुई है तब तक के लिये आप यह फैसला कर लें कि डिप्टी मिनिस्टरों में से कुछ को कम करेंगे। मगर मैं साथ २ यह भी कहूंगा कि इसमें भेदभाव हो जावेगा। अगर केबिनेट में किसी प्रकार भेद भाव हो जाए कि इन डिप्टी मिनिस्टरों को नहीं निकाला जावे तो आप फैसला कर दें कि सभी डिप्टी मिनिस्टर्स को कम कर दिया जावे। क्योंकि अगर एक लडका क्लास में फेल हो जाता है तो उसको बुरा लगता है। इसलिये दो-चार जितने भी लडके फेल हो जाते हैं सबको निकाल दिया जावे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। इसलिये आप यह फैसला कर दीजिये कि सब को घर भेजा जाता है। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि कुछ केबिनट मिनिस्टर जो ऐसे हैं जो बीमार रहते हों और अपनी जिम्मे-दारी को महसूस नहीं करते हों या अपने पद को अच्छी तरह से नहीं निभा सकते हों उनको जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को पेन्शन दी जाती है उसी तरह से उनको भी रिटायर करके पेन्शन का आप चाहें तो प्रोविजन रख सकते हैं। हमारे दो साहब के लिये पेन्शन का आप कर सकते हैं। उनके लिये आप बिल विधान सभा में लाकर पास करा सकते हैं और आप चाहें तो उनको कम्पल्सरी रिटायरमेंट दे सकते है जिस तरह से दूसरे लोगों को दी जाती है। यदि आप इस प्रकार का कोई बिल हमारे सामने लावेंगे तो हम पास कर देंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते है या नहीं करना चाहते हैं तो आप राज्यपाल को कहिये कि वे सारी केबिनेट को भंग करदें और फिर आप नई केबिनेट बनावें। कई तरीके हैं करने के। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, मगर आप करना नहीं चाहते। यह सारी जवाबदारी आपकी है। आप उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं और मिनिस्ट्री में कटौती करना नहीं चाहते। जब मंत्रि-मंडल में कटौती की बात आती है तो आप कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश का हवाला देते हैं कि चन्द्रभान जी, जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, ने अपने यहां मिनिस्टरी में कमी करने से मना कर दिया है। मैं कहूंगा कि आप गलत बात का क्यों उदाहरण हमारे यहां देते हैं। आप पंजाब का उदाहरण क्यों नहीं लेते। कैरों ने वहां पर किया है, उसको फोलो करें।

यहां पर दो उप-मंत्री बढे। जैसी मेरी जानकारी है उन पर १ लाख ७० हजार रुपया खर्च होता है। इसलिये एक डिप्टी मिनिस्टर का खर्चा ७ हजार रुपया महीने से अधिक है। मैं यह कहूंगा कि इतना खर्चा करने की क्या बात है। इसमें सभी खर्चे शामिल या

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस संबंध में विचार करना चाहिए। हम आज एक-एक पैसा बचाने के लिये कहते हैं और टैक्स बढाते हैं और जनता से यह कहते हैं कि पैसा पैसा जोडो, बूंद बूंद के घडा भरता है। मगर यहां ७ हजार रुपये एक उप-मंत्री पर जिसमें, उसके मेडिकल अलाउन्स, तनख्वाह, बंगला आदि का सब खर्चा मिला कर है बहुत ज्यादा है और अगर इस पर कोई लगाम लगा सकते हैं तो हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर लगा सकते हैं। इसका क्या परिणाम होगा इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप तो ऊपर से आये हुए हैं। आप यहां के लीडर की मर्जी पर नहीं हैं, आप तो केन्द्र के वडे नेता हैं। उनकी मर्जी पर है और उनके द्वारा पैराशूट से आये हैं। आपको चिन्ता किस बात की है? इसके अलावा यह सदन इस बात में आपका समर्थन करेगा। आप तो किसी बात की चिन्ता मत करिये। आप ही कुछ कदम उठाइये जिससे लोग कहें कि आप शासन-तंत्र को ठीक करना चाहते हैं। आप दिखा दीजिये न कि अजमेर का कोई पानी था। पिछले साल भी हमने देखा कि ३५ करोड के कर्जे मे डाल दिया और एक आप भी ह जो स्टेट को उसमें से निकालने की कोशिश में हैं। मंत्री सदन में गैरहाजिर होते हैं इसलिये कि वे बीमार अपने आपको वताते हैं। लेकिन वे विद्यालय में उद्घाटन करने के लिये फिर क्यों चले गये? मैं आपको ही इसके लिये क्यों कहता हूं, दूसरों को तो नहीं कहता? इसलिये कहता हूं कि आपमें कुछ करामात मुझे दिखाई देती है। आप रिस्क ले सकते हैं। आपने कई एन्टरप्राइजेज किये हैं। आपने अपने जीवन में किसी बात की चिन्ता नहीं की। आप एन्टरप्राइज करें और संपूर्ण मंत्रि-मंडल है उसके बारे में कोई फैसला करें। यह बात व्यवहारिक दृष्टि से उचित है और सदन की मांग है।

मैंने थोडा इसलिये कहा है कि आपको किसी तरह का दुख नहीं हो सके। दुख के साथ व्यवहार करना ठीक नहीं है। मैंने जो बातें आपके सामने रखी हैं उनके पीछे जो गंभीरता है उनको देखते हुए मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे और मेरा कटौती का प्रस्ताव है और सदन के दूसरे माननीय सदस्यों ने भी अपने कटौती के प्रस्ताव रखे है उन्हें स्वीकार किया जावेगा। इन्हीं शब्दों के

मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत): श्री मुरलीधर व्यास!

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): सभानेत्रीजी, मैंने दो कटौती प्रस्ताव रखे हैं; पहला तो जो मंत्रियों के लिये विशेष खर्चा हुआ है इस संबंध का और दूसरा एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में नाकामयाब हुआ है इस संबंध में।

जहां तक पहले कटौती प्रस्ताव का सवाल है, अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी विचार प्रकट किये; इस संबंध में जहां तक कटौती का सवाल है जितने कटौती प्रस्ताव देखें चाहे वे विरोधी पक्ष से हैं चाहे कांग्रेस पक्ष से हैं, दोनों ही पक्षों ने मांग की है कि मंत्रियों के लिये जो खर्चा बढाया गया है, वह ठीक नहीं है और इससे यह मालूम जरूर हो जाता है कि इस मामले में

(श्री मुरलीधर व्यास)
सभी एक राय हैं और इस पर मुख्य मंत्रीजी को गम्भीरता से सोचना चाहिये।

जहां तक सुरक्षा के संबंध में राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ काम किये हैं वे वाकई हिन्दुस्तान में हमारे राजस्थान का नाम ऊंचा करने वाले रहे हैं और इन्होंने इस संबंध में जो कदम उठाये हैं, जो व्यवस्था की है, बडी महत्वपूर्ण और प्रेरणाप्रद हैं। तो सुरक्षा के संबंध में सारे हिन्दुस्तान में जो वातावरण चल रहा था तो यह सुनने में आता था कि हिन्दुस्तान की दो स्टेट्स, राजस्थान और पंजाब, इन दो स्टेटों के मुख्य मंत्री कैरों और सुखाडिया सुरक्षा के कामों में बहुत दिलचस्पी से काम कर रहे हैं और सभी तरफ इसकी सराहना भी होती थी। कैरों साहब ने जो कुछ काम किये उनके कामों के साथ साथ आम लोगों से कहते रहे सुरक्षा के लिये त्याग, बलिदान, धन देने चाहिये; पर इस बात को कहने के साथ साथ बल देने के लिये एक कदम यह उठाया कि उनका मंत्रि मण्डल बहुत बडा था उसको छोटा कर दिया, इस बात की प्रशंसा हिन्दुस्तान में सर्वत्र हुई। मैं यह सोचता था कि जिस प्रकार राजस्थान सुरक्षा के मामले में आगे रहा और मुख्य मंत्रीजी ने जो रोल अदा किया जो सब ही के लिये [illegible] के कदम थे; अगर इस मामले में राजस्थान के मुख्य मंत्री कदम उठाते तो वह गौरव जो कैरों को मिला वह राजस्थान को भी मिलता। पर इस संबंध में जब कभी भी किसी ने, चाहे पत्रकारो ने मुख्य मंत्री के सामने चर्चा की तो मुख्य मंत्री ने जो जवाब दिया, हो सकता है वही जवाब आज भी हो, पर वह जवाब न हमको संतोष दे सकता है, न राजस्थान की जनता को न हिन्दुस्तान की जनता को। जिस जवाब के पीछे आम जनता का संबंध हो, अगर इस जवाब का असर आम जनता से होता है जिसका महत्व है सुरक्षा के प्रयत्नों में, तो उनके जवाब से जो प्रेरणा सुरक्षा में मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती।

हो सकता है मंत्रि-मंडल में परिवर्तन हो जाने से बजट की दृष्टि से कोई लम्बा चौडा फर्क न पडे, पर कभी कभी कोई कदम जनता की प्रेरणा के लिये उठाना पडता है। उस कदम को टाइम पर नहीं उठाते तो जिस लक्ष्य को लेकर हम काम करना चाहते हैं उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। महात्मा गांधी ने छोटे छोटे कदम उठाये, छोटे छोटे आन्दोलन किये, वे जानते थे कि इनसे कोई ज्यादा काम नहीं होने वाला है; जैसे नमक आन्दोलन किया, विलायती कपडों की होलियां जलाईं, इसलिये कि इनसे जनता में भावना पैदा हो। तो वे कदम समय पर उठाते हैं तो उसका असर मुल्क पर अच्छा होता है। चीन ने हमारे देश पर हमला किया तो सुरक्षा के संबंध में आम लोगों में एक धारणा बनी, भावना पैदा हुई, उस धारणा को हमें आगे से आगे बढाना है; मुल्क की, आम लोगों की धारणा को, भावना को आगे बढाना चाहते हैं सुरक्षा के मामले में तो कुछ कदम आज इस तरह के उठायें चाहे वे छोटे ही हों उनका असर पडता है।

सुरक्षा के मामले में कहा कि सुरक्षा के लिये एकत्रित किये गये धन में गडबडी हुई है, उनको यह यहां नहीं लाना चाहिये। लोगों ने देश के लिये दिल से पैसा दिया है और देश की रक्षा के लिये देते हैं तो उनको अधिकार भी है कि उसमें जो खामियां हों खराबियां हों उन्हें बतायें; पर बताने का लक्ष्य यह हो कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

जो हमारा लक्ष्य है उसमें आगे बढ़ें, दुर्भावना से नहीं। सुरक्षा में धन संग्रह में इतनी गल्तियां नहीं हुई, दूसरे प्रान्तों में मैं गया तो वहां पैसे वगैरह में बडी गडबडी हुई है, हमारे यहां अच्छा प्रयोग हुआ है, पर म यह कहना चाहता हूं कि जो वातावरण बना वह कुछ कारणों से बिगडा, इसका कारण यह था कि कहीं पर कुछ लोगों ने अतिशयोक्तियां कीं, गलत काम किये, कुछ प्रचार भी हुआ, इस प्रकार के प्रचार को रोकना चाहिये, अब इस हालत को बढने नहीं देना चाहिये। मुल्क की प्रेरणा के लिये जो कदम उठाये उनको जारी रखना चाहिये। मुल्क के लिये टैक्स की, धन देने की और दूसरी बातें करते हैं तो सामने वाले आदमी यह कहते हैं कि आप क्या कुर्बानी करते हो ? मन्त्रियों ने क्या कुर्बानी की है, प्रशासन के बडे बडे खर्चे हैं उनमें क्या कमी की है। इसके जवाब में हम जो लोकतान्त्रिक तरीका है यही हम कह सकते हैं कि जनतन्त्र में चुने हुए आदमियों के हैड्स हैं उन्होंने यह कुर्बानी की है। वह जवाब देने का मौका आज है, मंत्रि मण्डल में कमी की जाय तो इससे आम जनता को बडी प्रेरणा मिल सकती है, मंत्रि मण्डल में कमी के पीछे हमारी मंशा यह है कि देश की सुरक्षा के कामों में हम इस प्रकार जनता की भावना को बल देकर ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये सर्वत्र मांग की जा रही है कि मंत्रि मण्डल में कटौती की जाय, कमी की जाय। मंत्रि मण्डल में पुराने क्या झगडे हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहता, यह जानता हूँ कि पहले कुछ कम मंत्री थे, बाद में बढाये गये, यह पार्टी का मसला हो सकता है पर आज की इन परिस्थितियों में मंत्रि मण्डल में कमी करनी चाहिये और इस प्रश्न को मजाक का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये, यह हमारे मुल्क की मांग है, आम जनता की मांग है।

शायद जवाब मिलेगा कि मंत्री, उप-मंत्री कम कर देंगे तो काम में बडी दिक्कत होगी। जहां ४०-४० मंत्री थे वहां कम किया तो वहां किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। तो मन्त्रियों की कमी से काम में कमी आ जायगी, यह बात सही नहीं है। बल्कि मैं तो सच कहना चाहता हूं कि आज तो कई मन्त्रियों के पास में, एक रोज का रेकार्ड ले लीजिये कि मंत्रियों के पास में कितना काम है, दिन भर में कई मंत्री तो ऐसे हैं जिनके पास पांच फाइलें भी नहीं आती हैं क्योंकि सारा वर्क सेन्ट्रलाइज्ड है। वर्क के तरीके से काम चलता हो ऐसा नहीं है। कई मंत्रियों का तो यहां तक है, मैं आलोचना नहीं करता, मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक काम का सवाल है तो आम लोगों को तो ज्यादा काम करने के लिए प्रेरणा देना है, तो वे स्वयम् भी तो ज्यादा काम करें। आपत्ति-काल को देखते हुए प्रशासन में भी ज्यादा काम हो, ज्यादा काम करने का तो अपने आप स्वीकार करना चाहिये ताकि दूसरों को भी तो बता सकें। इस वस्तु-स्थिति को बडी गम्भीरता के साथ देखना चाहिये। डिपार्टमेन्ट्स में अधिक काम होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में ७ से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिये। यह भी संख्या कुछ कम नहीं है और इन मंत्रियों को अपने आप से काम करना है तो लोगों को प्रेरणा देने के लिए मंत्रियों को हजार रुपया मिलता हो, पन्द्रह सौ रुपया मिलता हो, राजस्थान के मंत्रियों को कम से कम समझिये या अधिक से अधिक समझिये ५००) से अधिक नहीं लेना चाहिये। इसकी घोषणा

Page No.51

(श्री मुरलीधर व्यास)
होनी चाहिये ताकि लोगों को मालूम हो सके कि सुरक्षा के माने में मंत्रियों ने त्याग किया है। आप देखिये कि सारे राजस्थान में इसका अच्छा असर होगा। उनको पैसा कम लेना चाहिये और साथ ही साथ दूसरे खर्च भी कम करना चाहिये। टेलीफोन का खर्चा आकर पडता है एक लाख रुपया। इस नये बजट में तो १ लाख ८ हजार रखा है। इसके साथ साथ मोटरों आदि का भी बडा खर्चा होता है। अभी अभी मैंने अखबार में पढा कि कोई मंत्री महोदय मोटर में बैठ कर सैर करने के लिए निकले, मोटर चलाना सीख रहे थे, उन्होंने मोटर टकरा दी, मोटर टूट गई। डांगी साहब का नाम था। इस प्रकार से मोटरों का नुकसान होता है······

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री, सिंचाई) : सभापति महोदया, मैं खुद के बारे में बोलना चाहूंगा। स्वतन्त्र पार्टी के आमेर से आने वाले माननीय सदस्य और अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैं उस गाडी में बैठा हुआ था, मैं गाडी चला रहा था, गाडी टकरा दी। मैं उस गाडी में नहीं था······

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या यह परम्परा है कि भाषण के बीच में ही दूसरा भाषण देने लगे?

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, वित्त) : आपको कहना है वह चेयर से कहें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : पर्सनल एक्स्प्लेनेशन के लिये नियमों में प्रावधान हैं।

श्रीमती सभानेत्री : उत्तर दे दें।

श्री दिनेशराय डांगी : मुझे यह कहना है कि यदि सदस्य महोदय फैक्ट्स न जानते हों तो उन्हें फैक्ट्स मालूम कर लेने चाहिये और असेम्बली में जो इस प्रकार के एलीगेशन्स लगाते हैं तो या तो उनके बारे में आप फैक्ट्स रखें या आप उनको विद्ड्रा करें। उन्होंने जो यह एलीगेशन लगाया कि मैं गाडी चला रहा था और टकरा कर वह गाडी टूट गई। मैं कहना चाहूंगा कि न तो मैं गाडी चला रहा था, न ही वह गाडी टकरायी गई, न मैं उस समय उस गाडी में था। गाडी के चेम्बर में एक पत्थर लग गया था। तब न तो मैं उस गाडी में उस समय था ही और न ही मैं उसको चला रहा था। इसलिये ये जो गलत बातें सदन में रखी गई हैं; किसी आदमी के कैरेक्टर के प्रति गलत बातें रखना और चार्ज लगाना उचित नहीं है और इसको वापिस लिया जाना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या यह माना जाय कि आपकी गाडी पर कोई असर नहीं हुआ?

श्रीमती सभानेत्री : आप (श्री मुरलीधर व्यास) अपना भाषण जारी रखें। व्यक्तिगत आरोप न लगावें।

('शराब पी कर गाडी चला रहे थे' ऐसी आवाज)

श्री मुरलीधर व्यास: कई बातें सुनने में आयीं कि शराब पीकर········

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सुनी हुई बातें सही नहीं होतीं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जांच की बात है कि कौन शराब पीता है।

श्री दिनशराय डांगी : सभापति महोदया, मैं जानता हूं कि असेम्बली में कितने आदमी हैं जो शराब पीते हैं। किसी व्यक्ति के करेक्टर के प्रति इस प्रकार से लांछन लगाना गलत बात है और बेईमानी है। इस प्रकार के आरोपों को या तो सही साबित किया जाय, इसके बारे में फैक्ट्स रखें जायं, वरना मैं किसी व्यक्ति के पर्सनल कैरेक्टर के प्रति इस प्रकार लांछन लगाये जाने पर डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य व्यक्तिगत आरोप न लगाकर अपना भाषण जारी रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने तो अखबारों में पढा था। मैंने तो अखबार में पढा था। आप पीते हैं या नहीं; मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। यदि कोई मंत्री शराब पीता है तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता। मंत्री लोगों से तो दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं और वे ही खुद ऐसा करें तो यह कहां तक उचित है !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : जानकारी नहीं है तो आप कैसे कह देते हो कि शराब पीते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : सभापति महोदय, पर्सनल एलीगेशन लगाये गये हैं। इसके लिये सदस्य महोदय को पहले चेयर से पर्मीशन लेनी चाहिये कि मैं इस प्रकार के एलीगेशन लगाऊंगा। उनको चेयर से आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये। नम्बर दो, माननीय सदस्य जितने जिम्मेदार हैं और जितनी उनकी प्रतिष्ठा है उसके अनुरूप उनके ये आरोप नहीं हैं। इस प्रकार के आरोप किसी सदस्य पर लगाना उनके मुंह से पहली बार सुना है। वैसे वे आरोप नहीं लगाते हैं। जिनके विषय में आरोप लगाये हैं उनको संतोष न हो, अखबारों में कई प्रकार के एलीगेशन्स आ जायं तो इसके माने यह नहीं है.........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : यह आपसे ताल्लुक रखने वाली बात नहीं है। आप क्यों सदन में इस प्रकार हमारा समय खराब करते हैं ? हमारा टाइम खराब होता है।

श्रीमती सभानेत्री : (श्री व्यास से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जिनके संबंध में बात है उनकी आप वकालत करने के लिए खडे हो गये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वकालत का प्रश्न नहीं है, सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस प्रकार के आक्षेप न लगाये जायं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप शान्त रहिये।

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : Order Please. मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप इस विवाद में न पडें और आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : तो ऐसे कई मंत्रियों से कई एक्सीडेन्ट्स भी हुए हैं, होते हैं, गाडियां टूटती हैं तो सरकार का नुकसान होता है। इस बात के लिए तो गाडियां होती

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं कि मैं किसी को लेकर घूमने चला जाऊं, सैर करने चला जाऊं, मोटर गैरेज की गाडियों को लेकर निकलते है, तो मंत्रियों से एक्सीडेंट होते हैं। जहां तक इस बात का प्रश्न है और इस प्रकार की बातें हैं, मैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बात की जांच करें। मंत्रि मण्डल के सदस्य के संबंध की बात है और जांच के बाद सदन को रिपोर्ट दें। मेरा तो इस विषय में किसी मंत्री को व्यक्तिगत रूप से लेकर नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं से मुल्क के अन्दर बडा भारी असर होता है। यदि इस प्रकार की घटनाओं का स्पष्टीकरण होता है तो यह उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिये भी अच्छा है।

एक ओर तो महात्मा गांधी के आदर्श की बातें की जाती हैं, त्याग और कुर्बानी की बातें करते हैं; तो दूसरी ओर सदन के अन्दर त्याग और कुर्बानी की बातें की जाती हैं और बातें रखी जाती हैं, उसकी ओर जरा विचार तो करना चाहिये। मंत्रि मंडल खर्चा करता है। मैं आंकडों के बारे में नहीं जाता। दूसरे प्रान्तों में यह खर्चा किया है और क्यों नहीं इसमें भी नहीं जाता। समय की मांग है। तीन मुख्य बातें हैं। मंत्रि मंडल की ओर से होना आवश्यक है। पहली ७ से अधिक मंत्री न हो। दूसरी पांच सौ से अधिक उनका वेतन न हो, और तीसरी बात कि चाय पार्टी जिससे दुरुपयोग होता है, यह नहीं होनी चाहिये। लोगों की यह आम धारणा है कि मंत्री लोग चाय पार्टी करते फिरते हैं। एक मंत्री आये संकट-काल में, सेठ-साहूकार के यहां चले गये पार्टी खाने। उधर लोग मर रहे हैं और मंत्री लोग चाय पार्टी में लगे हुए हैं। जब दौरे पर जायं तो सरकिट हाउस में उतर, वहां अपना खाना खा लिया तो इस तरह से लोगों पर बडा अच्छा असर पड सकता है। मैं तीन बातें कम से कम रखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री इस पर गम्भीरता से सोचेंगे। दूसरी बात अखबारों में देते हैं कि काम ज्यादा है वे न देंगे। काम अधिक है तो आप खुद ही उसको कर लीजिये।

दूसरा जो कट मोशन है····

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य यह आपका कटौती प्रस्ताव पुलिस की डिमान्ड आवेगी तब रखा जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं यह मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सारे सदस्यों की मांग है और जनता की भी मांग है और जनता की मांग लोकतन्त्र में सर्वोपरि होती है यह ध्यान रखें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदया, मेरा भी कटौती प्रस्ताव है। सामान्य प्रशासन का जहां तक सम्बन्ध है कई माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। कांग्रेसी और विरोधी पक्ष के लोगों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं और सब ही ने यह चाहा कि उप-मंत्रियों पर जो खर्चा हुआ है वह नाजायज है। पिछले साल चुनावों के बाद ही बडा मंत्रि मंडल बना था तब भी मंत्रियों की संख्या के विषय में एतराज किया था, मुख्य मंत्री जी से छोटा मंत्रिमंडल बनाने की मांग की थी। लेकिन उन्होंने उस समय मंत्रियों की संख्या १६ कर दी। मुख्य मंत्रीजी ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक बात तो साफ निकलती

(श्री रामकिशन)

है कि हम बार बार मुख्य मंत्रीजी से अपील करते हैं, लेकिन उन पर अपीलों का कोई असर नहीं होता । उनको अपील करना निरर्थक ही है । लोकतन्त्र में तो अपील ही कर सकते हैं । लेकिन वे लोकतन्त्र की भावना का आदर करना जानते ही नहीं । ऐसा लगता है कि लोकतन्त्रीय प्रणाली से उनको पाला पडा ही नहीं । इतने मंत्रियों की संख्या हो जाने पर भी जब दो उप-मंत्रियों की और नियुक्ति की गई तो मैंने खुद ने उनको एक पत्र लिखा लेकिन, और तो और, पत्र का जवाब तक उन्होंने नहीं दिया खैर मुझे उसके विषय में अभी कुछ भी निवेदन नहीं करना है । दूसरे श्रेणी का नेतृत्व तैयार करने के लिए ही उप-मंत्री रखे जाते हैं । उनका उद्देश्य यह नहीं होता है कि वे कोरे दौरा ही किया करें । स्पष्ट उद्देश्य है कि नम्बर २ का नेतृत्व तैयार किया जाय । मैं समझता हूं कि यह नहीं किया गया और इस सिद्धान्त से भी उप-मंत्रियों की नियुक्ति ठीक नहीं है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना को ले लें । जो खर्च इसमें हो रहा है, इतना योजना पर नहीं जितना फिजलखर्चियों पर खर्च हो रहा है । इस प्रकार काम का सवाल नहीं रहता । मैं याद दिलाऊं, जब केरल में पहला मन्त्रि मण्डल बना तब उसने केवल ३ मन्त्री रक्खे और उस मंत्रि मण्डल ने जो काम किया उस पर प्रोफेसर राव ने कहा कि उप-मंत्रि मंडल की प्रशासनिक दक्षता काफी ऊंची रही । यह प्रो० राव की उनकी रिपोर्ट में है जो उन्होंने दी । मतलब यह कि मन्त्रियों की संख्या अधिक होने से ही कोई प्रशासनिक दक्षता आती हो, ऐसी बात नहीं है ।

फिर एक बात और है कि किसी योग्यता की दृष्टि से उप-मन्त्रियों की नियुक्ति की जाती हो, ऐसी भी बात नहीं । यह निश्चित बात है कि कांग्रेस में आज दो गुट्ट हैं और उनको सन्तुष्ट करने के लिये ही उप-मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है । मैं मुख्य मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, अपील शब्द का उपयोग मैं अब नहीं करूंगा क्योंकि उसका असर उन पर पडेगा नहीं और मेरी अपील व्यर्थ जायगी । तो मुझे उनसे पूछना है कि आप अपनी आपसी लडाई का दण्ड राजस्थान की जनता को क्यों देना चाहते हैं ? आप आपस में लडें झगडें, किसी भी गुट्ट के हों इसमें हमें कोई मतलब नहीं; पर लडाई तो लडें आप और उसका खामियाजा भुगते जनता का खजाना यह कहां तक उचित है? इस बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण है ?

अब अचानक संकट आ गया । संकट के समय में लोग यह मांग कर रहे हैं कि मंत्रि मण्डल को छोटा किया जाय । या योग्यता के आधार पर मन्त्रि मण्डल में लोगों को रखा जाय । इतिहास साक्षी है, कि जब जब युद्ध जैसी संकट की स्थिति जिस मुल्क में आई वहां के मन्त्रि मण्डल ने छोटा रूप ले लिया और योग्य व्यक्तियों को ही उसमें रखा गया । इंगलेंड में ऐसा ही हुआ । हिटलर तानाशाह था । उसने भी अपना मन्त्रि मण्डल छोटा किया, मुसोलिनो ने भी मन्त्रि मण्डल छोटा किया । रूस के तानाशाह ने भी यही कुछ किया । पर यहां तो मुश्किल यह है कि चूंकि प्रधान मन्त्री ने जवाब दे दिया है कि इस देश में यहां यह होना असम्भव है । तो उनके यह कहने के बाद राज्यों में किसी मुख्य मन्त्री में यह साहस नहीं कि वह इसे संभव कर दिखावे । हां, पंजाब ने ही साहस का परिचय दिया । पर लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री के साथ कुछ कमजोरियां और मजबूरियां हैं आपसी गुट्टों के कारण । और चूंकि उनको अपनी कुर्सी मजबूत बनानी थी और अपने वोटों

(श्री रामकिशन)

को मजबूत करना था इसलिये इतने मंत्री उप-मंत्री रख दिये। जहां तक योग्यता का सवाल है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो बाद में नियुक्त हुए हैं वे अधिक योग्य हैं। पर यहां अगर केवल योग्यता का ही सवाल होता तो राज्य का नक्शा कुछ और ही होता, लेकिन यहां नियुक्ति का आधार दूसरा है। जो उप-मन्त्रीजी नियुक्त हुए हैं शिक्षा विभाग के उनकी जानकारी में यह बात मैं लाना चाहता हूं कि अभी बम्बई में एक गोष्ठी हुई थी अर्थ शास्त्रियों की। उनके सामने सवाल आया युद्ध के लिये पैसा कहां से और कैसे इकट्ठा किया जाय ? प्रोफेसर राव और सेनायका ने, जो देश के माने हुए अर्थशास्त्री हैं, ने सुझाव दिया है कि देश में प्रशासनिक खर्चे में ३० परसेन्ट और कटौती कर दी जाय तो देश को ८ अरब रुपये तक की बचत हो सकती है। पर इनकी कौन सुनता है ? क्योंकि प्रधानमन्त्री तो दिल्ली में बहुत ऊंचे बैठे हैं। उन्हें तो किसी को सुनने की चिन्ता ही नहीं। ये दोनों प्लानिंग कमीशन के बहुत बड़े अर्थ शास्त्री सदस्य हैं जो प्रशासनिक व्यय में कमी करना परमावश्यक समझते हैं और यह उन्होंने साबित भी कर दिया है; पर कौन सुनेगा इनकी ? पर मन्त्रि मण्डल में कटौती करना युद्ध के संचालन के लिये परम आवश्यक है। तो इस तरह तीन दृष्टियों से योग्यता, काम, और प्रति व्यक्ति आमदनी से तो यह सिद्ध हो गया कि तथ्य और औचित्य इसी में है कि कम से कम मन्त्रियों की संख्या रखी जाय।

दूसरे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उप-मन्त्री के पास तो कोई काम ही नहीं है। मुझे भी उन पर दया आती है, बेचारों पर।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभानेत्री महोदया, माननीय सदस्य के सम्बन्ध में हमारी और सारे सदन की भी बड़ी अच्छी राय है, पर जब कभी वे इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं तब सम्भवतः उनकी प्रतिष्ठा के यह यह प्रतिकूल पड़ता है। 'बेचारा' शब्द, यह हमारी परम्पराओं के प्रतिकूल रहा है और इस सदन में भी परम्पराओं के अनुकूल नहीं रहा और सम्भवतः अनपार्लियामेन्टरी शब्द समझा गया है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे शब्दों का वे प्रयोग न भी करें तो आपकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आवेगी।

श्री रामकिशन : मैं समझता हूं कि उप-मन्त्रीजी जब बेचारे हैं तो उनको बेचारे बनने में दिक्कत क्या है ?

श्रीमती सभानेत्री (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत) : बेहतर है कि आप इन शब्दों का प्रयोग बार बार न करें।

श्री रामकिशन: मैंने तो एक बार ही किया है; उप-मन्त्रीजी की स्थिति बताई थी, जयपुर वालों ने उसे ही प्रकट किया है। उनको भी इसका अनुभव है। कांग्रेस में दो गुट्ट हैं। इसलिए इन्होंने क्या ऐसा किया है कि एक गुट्ट का मन्त्री है तो उसके पीछे दूसरे गुट्ट का उप-मन्त्री लगा दिया है। अब उप-मन्त्री का मन्त्री काम देता ही नहीं। उनके पास तो केवल मोटर और टेलीफोन रख दिया है। कुछ उप-मन्त्री तो ऐसा कहते हैं कि हमारे पास काम तो कुछ है नहीं। क्या करते हैं कि पत्नी को मोटर से बाहर छोड़ आते हैं और उनसे टेलीफोन पर पर बातें करते रहते हैं। अब अफसर उनकी बात मानें नहीं, उनकी कुछ चले नहीं, और मन्त्री भी उनको कोई हुकम देने नहीं दें,

Page No.56

(श्री राम किशन)
तो इस तरह के उप-मंत्रियों से क्या फायदा ? मैं समझता हूं, केवल कांग्रेस की गुटबन्दी के पोइन्ट आफ व्यू से यह खर्चा हो रहा है। जो व्यवहारिक खर्चा नहीं है। निश्चित रूप से यह खर्चे की मांग अनुचित है और इस तरह का खर्चा नहीं होना चाहिये।

जयपुर से आने वाले सदस्य महोदय ने सुझाव दिया था कि सभी उप-मन्त्रियों को हटा दिया जावे। पर मेरा निवेदन है कि महिला सदस्यों को न हटाया जाय। देश में महिलाओं को बहुत दबाया गया है। उनके साथ बडा दुर्व्यवहार हुआ है। तो उनको हटाने का प्रश्न नहीं है। फिर हरिजन, शूद्र और महिला आदिवासी जो हैं उनको जब तक आप विशेष अवसर नहीं देंगे तब तक जन-मानस ठीक नहीं हो सकता, जनतन्त्र सही माने में पनप नहीं सकता, समाजवाद स्थायी रूप से आ नहीं सकता। मेरा मुख्य मन्त्री से निश्चित निवेदन है उनके बारे में कि उनको वे हटावें नहीं। वैसे मुझे जरूरत भी नहीं है उनको कहने को क्योंकि वे हटावेंगे भी नहीं। फिर भी कभी उनको विचार आवे हटाने का तो वे कम से कम महिला सदस्यों के बारे में अवश्य मेरे निवेदन पर विचार करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): माननीय डांगीजी के लिये ?

श्री रामकिशन : मैंने निवेदन किया न कि हरिजन और शूद्र जो हैं उनको भी नहीं हटाया जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप–मंत्री, शिक्षा) : माननीय सदस्य ने 'शूद्र' शब्द कहा। इसका कॉन्स्टीट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है। मेरा विश्वास है कि उन्होंने यह शब्द गलती से कह दिया, किसी की प्रतिष्ठा पर आघात करने की दृष्टि से नहीं कहा। 'शूद्र' से उनका क्या तात्पर्य है ?

श्री रामकिशन : उप-मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये मैं कहूं कि मनु ने जिनको द्विज नहीं माना है उनको शूद्र की संज्ञा दी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मनु का प्रश्न नहीं रहा। यहां तो कॉन्स्टीट्यूशन सर्वोपरी है।

श्री रामकिशन : कान्स्टीट्यूशन में भी मनु को स्मरण किया गया है। हवाला दिया गया है कहीं २; यह मैं माननीय उप-मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये बता दूं, अगर उनकी जानकारी अधिक नहीं है तो। आप द्विज हैं, इसलिये इनका विरोध करते हैं। मैं निवेदन करूं कि हरिजन, शूद्र, आदिवासी, महिला वर्ग को मन्त्रि मण्डल में से कम नहीं किया जाना चाहिये। रह गये द्विज वर्ग। मेरी समझ में उनकी जरूरत नहीं। जहां जहां द्विज मन्त्रि-मण्डल में शीर्ष स्थान पर हैं उन्होंने काम बिगाड डाला। दिल्ली के सिंहासन पर द्विज बैठा है, उसकी हिम्मत खर्चा कम करने की नहीं हुई, यहां द्विज हैं वे भी घबराते हैं। अपनी कुर्सी को खतरा समझता है, कांग्रेस के अन्दरुनी गुट्ट को सन्तुष्ट करने की नीयत से वे सब कर रहे हैं, जनता के हित की उनको चिन्ता नहीं। जनता के हित की चिन्ता पंजाब के मुख्य मन्त्री ने की, क्योंकि वह द्विज नहीं हैं। जमीन से किसान के घर से पैदा हुआ है इसलिये उसने हिम्मत की। पर दिल्ली से लेकर जयपुर तक जहां द्विज बैठे हैं उनमें अकड बहुत ज्यादा है, अकड के साथ ही वह मना कर जाते हैं कि हम नहीं घटा सकते। तो मैं समझता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण बहुत ही घातक है इस दृष्टि से और अगर हम युद्ध-प्रयत्नों में तेजी लाना चाहते हैं और देश में जोश पैदा

(श्री रामकिशन)
करना चाहते हैं, उत्पादन बढाना चाहते हैं तो यह पहली और जरूरी चीज है जिस पर सरकार को विचार करना चाहियें ।

एक तरफ सरकार कहती है जनता से कि सुरक्षा के लिये कम खर्च करके बचाया जाय, उत्पादन के लिये प्रयत्न किये जावें, खर्चा कम किया जावे । पर मुझे दुख है कि सरकार एक तरफ तो यह उपदेश जनता को दे रही है, पर खुद क्या कर रही है, खुद इसके विपरीत चल रही है । आबू के राजभवन के सजावट के लिये २० हजार खर्च करने जा रही है, उसकी शान शौकत को बढाने के लिये, मैं समझता हूं सरकार के उपदेश को देखते हुए यह खर्चा किसी भी तरह तर्क संगत नहीं है ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य गवर्नर के बारे में कुछ न कहें ।

श्री रामकिशन : आपने कहा है कि नाम का उल्लेख न करें । मैंने पद का प्रयोग किया है । नाम का नहीं ।

श्रीमती सभानेत्री : यह कट मोशन में एडमिट नहीं किया जावेगा ।

श्री रामकिशन : इसमें व्यवस्था का सम्बन्ध है और व्यवस्था यह है कि राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं किया जावेगा, तो अब या तो इस व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जावे । मैं सम्पूर्णानन्दजी कहता तो बात और थी, लेकिन राजभवन ही मैंने कहा है । मैंने कोई विपरीत बात नहीं कही ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने तो अपनी व्यवस्था पढी है । कई बार प्रश्न सदन के सामने आया और स्पष्ट हुआ कि एक्सपेन्डीचर तक पर हम कुछ नहीं कह सकते उनके ।

श्री रामकिशन : कॉन्स्टीट्यूशन में स्पष्ट है कि बहस कर सकते हैं, वोट नहीं दे सकते ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह नानवोटेबल एक्सपेन्डीचर है, सदन के सम्मुख न तो यह आता है और न इस पर बहस हो सकती है । इस पर कई व्यवस्थाएं हैं ।

श्री रामकिशन : पर कॉन्स्टीट्यूशन में और भी स्पष्ट व्यवस्था है कि बहस कर सकते हैं, वोट के लिये नहीं कह सकते ।

श्रीमती सभानेत्री : आपका कट मोशन डिप्टी मिनिस्टरों पर है ।

श्री रामकिशन : यह तो मैंने इसलिये निवेदन किया कि जो शीर्ष स्थान पर बैठे हैं वे वहां बैठ कर जनता को खर्च कम करने, तकलीफें देखने, त्याग करने का उपदेश देते हैं, पर स्वयं कुछ त्याग का आदर्श पेश करने को तैयार नहीं हैं । तो उसी पर मैं कह रहा था । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह के खर्चे अनुचित हैं । जनता पर इसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता ।

उप-मन्त्री महोदय इतिहास के भी ज्ञाता हैं । फिजूलखर्ची में पृथ्वीराज चौहान और जहांगीर का उसमें नाम आता है । पर यह कैसे मालूम करें कि उस जहांगीर का खर्चा बड़ा था या आज के इन नये जहांगीरों का ? खोज की गई तो मालूम हुआ कि पुराने जहांगीर को तो किसी इतिहासकार ने बदनाम किया, उसकी उससे दुश्मनी थी इसलिये । पर नये जहांगीरों की फिजूल खर्ची तो हमारे सामने प्रत्यक्ष आंकड़ों में साबित है । इन नये जहांगीरों की मोटरों पर पचास हजार प्रत्येक का खर्चा होता है । टेलीफोन पर एक लाख का खर्चा, फर्नीचर इत्यादि पर दो दो लाख का खर्चा ।

Page No.58

(श्री रामकिशन)

और न जाने कई खर्चे कितने कितने हैं ? आज इतिहास को फैसला करना होगा नये सिरे से, पुराने जहांगीर के साथ भी न्याय करना होगा आज के इन कांग्रेस के नये जहांगीरों को देख कर कि आज के आजाद भारत के नये जहांगीर उस प्राचीन जहांगीर से कहीं ज्यादा खरचीले हैं, ज्यादा विलासी हैं, ज्यादा शान-शोकत वाले हैं। इन नये जहांगीरों के कारनामों के चलते देश में त्याग के लिये उत्साह का वातावरण ठीक तरह से पैदा नहीं हो सकता।

इस छंटनी के सम्बन्ध में सवाल आया। मैंने इस सम्बन्ध में २१ आदमियों की सूची दी। जयपुर से आने वाले सदस्य ने भी इस सम्बन्ध में कुछ लोगों की छंटनी के सम्बन्ध में जिक्र किया। सीनियर को जूनियर कर दिया उद्योग विभाग में। नाम क्यों लूं ? मैंने एक सूची दी है। कहा गया; मेरा काम यह नहीं है, मेरा काम तो लोगों को लगा देना है; आप इन्डस्ट्री मिनिस्टर से मिलें। मिनिस्टर से मिलना तो आसान नहीं है आजकल, उनको फुर्सत नहीं मिला करती। मैं उप-मंत्री इन्डस्ट्री से मिला। एक मन्त्री तो ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, मिलने के लिये जब कभी जाते हैं तो यही सुनते हैं वे बीमार हैं, इसलिये नहीं मिल सकेंगे। मुख्य मंत्री के लिये हम जैसे छोटे आदमी को उनके दरबार में मौका मिलना आसानी से सम्भव नहीं है। तो उप-मन्त्री से मिले। कहा, २६ साल की उनकी सर्विस है। इन्सपेक्टर बनाया है। चूंकि वहां के डाइरेक्टर नाराज हैं इसलिये इस मामले में वे कुछ नहीं कर रहे हैं। २६ आदमियों के नाम आये थे छंटनी में। वित्त मन्त्रीजी का दरवाजा खटखटाया, टेलीफोन से, इसके बिना तो जाना अपना समय खराब करना है। पर जब उप-मंत्रीजी के पास गये तो विश्वास हुआ कुछ होगा। नौजवान हैं, कुछ करेंगे। उन्होंने साहस भी दिखाया। सूची दी उनको। पता नहीं लगा, वे क्या कर रहे हैं। दो महीने बाद कुछ जानना चाहा तो जवाब दिया कि वह सूची तो खो गई है। तो हमारी तो धारणा है कि इन मन्त्रियों और उप-मंत्रियों से राज का कल्याण नहीं होता। अगर होता तो मैं समर्थन भी करता १८ नहीं २८ कर देते तो भी दुखना नहीं; अगर जिम्मेदारी लें इस बात की कि कोई कागज सचिवालय में ६ महीने से ज्यादा नहीं ठहरेगा, किसी भी आदमी का मुकदमा अधिक से अधिक दो सालों में फैसल हो जावेगा तो मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन मंत्रियों और उप-मंत्रियों को ही नहीं बनाये रक्खें; बल्कि बाकी के कांग्रेस पक्ष के जितने भी ८० या ९० के करीब सदस्य हैं सभी को आप मिनिस्टर बना दें तो हम बुरा नहीं मानेंगे। खर्चा ज्यादा बढ जावेगा कोई चिन्ता नहीं। पर लोगों को जो और तरह से खर्च करना पड़ता था और हैरान अलग से होना पड़ता था उसके मुकाबले में अगर उनको न्याय मिल जाता है और काम जल्दी उनका सुलट जाता है तो इस बोझे को भी वे बर्दाश्त कर लेंगे। पर आज तो हालत यह है कि ८ मन्त्री थे तब भी काम की यही रफ्तार थी। अब १६ सोलह और १८-१८ हो गये तब भी वही रफ्तार है। एक आध मन्त्री, उप-मंत्री जोर भी लगाते हैं तो दूसरा उन्हें दबा देता है। इसलिये इनकी संख्या कम करना जरूरी है और इनकी फिजूलखर्ची खत्म करने के लिये जरूरी है कि ऐसे कामों पर लगाम लगाई जावे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभा नेत्रीजी, मन्त्रि मंडल में कटौती किये जाने के

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। वैसे तो विरोधी दल के नेताओं ने काफी अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है कि जब देश में इतना बड़ा संकट है तो अनावश्यक खर्च हटा दिया जावे। मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज हमारे सामने जो कांग्रेस दल के अन्दर की स्थिति आई है वह वास्तव में मुख्य मंत्री महोदय के लिये एक दयनीय स्थिति है। मैं पूछना चाहता हूं, फिर भी मुख्य मन्त्री महोदय से कि हमारे मुख्य मन्त्री को कुर्सी प्यारी है या देश? इन दो बातों का स्पष्ट उत्तर चाहती है जनता।

आज से कुछ दिन पहले कांग्रेस गुट के दो नेताओं में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। राजस्थान के कौने कौने से लेकर जयपुर तक और दिल्ली तक दौड़-धूप, भागा-दौड़ी हुई। वे सब एक्सपोज़ हुए। राजस्थान के विधान सभाइयों का दल दिल्ली भागा। उस समय यही मुख्य मंत्री थ जिन्होंने भारत सरकार के मन्त्रियों से अपने कांग्रेस के कर्ता-धर्ता, हाई कमाण्ड से अपील की थी, अनुनय-विनय किया था कि वे राजस्थान के मन्त्रि-मण्डल में कटौती करना चाहते हैं, उनको स्वीकृति दी जाय और इसी प्रश्न को लेकर दोनों गुटों में भारी कशमकश और विवाद हुआ था। इतना सब होने के बाद उन्हीं मुख्य मंत्री महोदय को सदन में यह कहते हुए सुना गया कि मन्त्रि मण्डल में से किसी मन्त्री या उप-मंत्री को घटाने की आवश्यकता नहीं है और वह भी ऐसे समय में जब कि देश के लिये एक एक पैसे की जरूरत है तो हमें दिख गया कि मुख्य मन्त्री को आज देश से प्रेम नहीं है, कुर्सी से प्रेम है। जब यह समझा कि कुर्सी मजबूत है तब तो दूसरे गुट के लोगों को निकाल कर निष्कंटक राज्य करने की सोची और जब देखा कि कुर्सी को इससे धक्का लग सकता है तो चुप हो गये और आज कहने लग गये कि कमी करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि आवश्यक समय इससे बड़ा और कोई हो नहीं सकता। देश में संकट की स्थिति आज वे स्वयं स्वीकार करते हैं।

(१.४९ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक व्यक्ति भी, दो व्यक्ति भी अगर उनके मंत्रि मंडल से वे निकाल दें और उस ओर से इस ओर आ जावें तो राजस्थान के मंत्रि मण्डल के सामने एक संकट पैदा हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी सदस्यों ने तो कहा सो कहा ही है, पर सरकारी पक्ष में बैठने वाले लोगों ने भी यह महसूस किया है और करते हैं कि उप-मंत्रियों की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे समय में जब कि देश संकट में है और उप-मंत्री बनने के बाद हम यह देखते हैं कि हमारे राजस्थान के काम में कितनी प्रगति हुई है, समय पर कितना काम हो जाता है, जब किसी प्रकार की तरक्की नहीं कर सकते, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जितनी भी तथा अनावश्यक बातें हैं इनके लिए ध्यान नहीं दिया जाता तो मैं कहूंगा कि जो प्रस्ताव रखा गया है उसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए। इसे अपनी कुर्सी का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये और मुख्य मंत्री जी, जो अपने आपको बहुत प्रगतिशील कहते हैं और सबसे यंग मानते हैं, मैं समझता हूं वे कुर्सी का मोह नहीं रखेंगे और जिस बात के लिए आज से कुछ समय पहले भारत सरकार के सामने प्रश्न पैदा किया था कि वे राजस्थान के मंत्रि मण्डल में कटौती करना चाहते हैं

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

तो आज जब कि अच्छा मौका आया है, देश में संकट आया है और सब मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जो मुख्य मंत्रीजी चाहते थे वह आज समय आया है। इससे दो बातें हो जायेंगी; एक तो उनके मन की पूर्ति हो जावेगी और दूसरी तरफ जो अनावश्यक खर्चा बढ़ गया है वह भी रुकेगा और उप-मंत्रियों के बनाने से जो पार्टीबाजी ज्यादा उलझ गयी है और जो उप-मंत्री लोग दौरे पर जाते हैं तो उस क्षेत्र के एम. एल. ए. से सम्पर्क करने की कोशिश नहीं करते; मंत्री लोग बूंदी में गये, कोटा में भी गये लेकिन उन्होंने कभी कार्य-क्रम नहीं दिया। हां, हमारी विधान सभा के अध्यक्ष जरूर गये। उन्होंने कहा कि आपको तकलीफ हो तो हमारे सामने लाइये। लेकिन उप-मंत्री का कोई प्रोग्राम नहीं आता और वह इसलिए नहीं देते कि कोई आमने सामने होता तो वहां की समस्या के बारे में वहां के अधिकारियों के सामने बात करते और जो अधिकारी उनके चारों ओर लिपट जाते हैं और उनको पूरे एशो-आराम करवाते हैं; मैं समझता हूं कि जिस कर्त्तव्य के लिये वे दौरे करते हैं जिसके लिये लाखों रुपये का खर्चा आया है उसका सदुपयोग कुछ नहीं होता तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा किसी प्रकार से यह व्यक्ति काम के साबित नहीं हो सकते तो इतना पैसा खर्च करना बेकार है। इनकी आड़ में जो अधिकारी हैं वे भी काफी खर्चा करते हैं दौरों पर और काफी भत्ता बनाते हैं। यह मंत्रियों का खर्चा तो अलग है, लेकिन इनके साथ जो जुड़े हुए अधिकारी हैं उनके द्वारा जो खर्चा होता है उसको जोड़ें तो खर्चा लाखों तक पहुंच जाता है। इसलिए जो मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं आशा करता हूं कि इसे मान्यता मिलेगी और जो खर्चा हमारे ऊपर लाद दिया गया है वह कम से कम हो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीराभाई।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, क्योंकि कट मोशन्स बहुत ज्यादा हैं और समय तंग है इसलिये कृपा करके अपने भाषणों को बहुत ही सीमित करने की कोशिश करें और १० मिनट में ही जो तथ्य की बात हो वह कह दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, पोइन्ट आफ आर्डर, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि बारबार इस ओर ध्यान दिलाया कि यदि समय निर्धारित किया जाये तो आरम्भ में ही कर दिया जावे। आरम्भ में कुछ लोग बहुत अधिक समय ले लेते हैं और बाकी के लोग अपनी चीज को पूरी तरह से रख नहीं पाते। लगातार यही ढंग चला आ रहा है। इसके लिए चेयर की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। अक्सर देखा यह जाता है कि बहुत से सदस्य शुरू में एक-एक घंटा और सवा-सवा घंटा बोल जाते हैं और बाकी के सदस्यों को केवल १० मिनट ही मिलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य के सुझाव का आदर करता हूं और प्रयत्न यही किया जायेगा कि समय सभी के लिए निर्धारित कर दिया जाये। मैं माननीय सदस्यों से यही आशा करूंगा कि वे इस प्रकार का सहयोग दें कि दूसरों का समय बच जाये। इसी प्रकार से जो तथ्य की बात है वह जितने थोड़े समय में कह सकें कहें। बाकी आरम्भ में कितना समय लिया गया, इससे मैं अवगत नहीं हूं लेकिन प्रयत्न यही किया जायेगा कि शुरू में ही समय का निर्धारण आइन्दा हो।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) :माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९-उप-मंत्रियों की नियुक्तियां जो की गयी हैं उसके बारे में कटौती का प्रस्ताव रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की जनता उस तरफ देख रही थी कि पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस तरह से इस मुल्क की अच्छी शक्ल-सूरत बने। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप जनता के ऊपर टैक्स लगा कर जनता से पैसा लेते हैं और यह कह कर कि आज देश के लिए संकट आया हुआ है और यह कहते हैं कि सूखे हुए मार्ग को हरा भरा करना है, इसलिए उसको करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जहां पार्टीबाजी के झगड़े को लेकर एक और मंत्री की बढोतरी करना मैं समझता हूं कि यह जनता के लिये हित का काम नहीं हुआ। यह भी हो सकता था कि १६ आना काम पहले हो चुका था, इससे दुगुना काम विकास का हो जाता तब तो मैं समझता कि हमारे उप-मंत्रियों को बढाने से इतना विकास हुआ, इतनी आय बढी और निर्माण का काम हुआ, लेकिन आपको पूरी तरह से मालूम है कि जितना निर्माण का काम था वह संकटकालीन स्थिति के बहाने से या किसी और बहाने से तो हमारे बजट में घाटा बताकर हमारे निर्माण-कार्य बहुत कम कर दिये और कहा गया कि उनको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पूरा करेंगे। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब एक तरफ तो घाटा बताया जाता है और उसकी पूर्त्ति के लिए हाउस से डिमाण्ड मन्जूर करावे हैं और दूसरी तरफ उप-मंत्रियों की वृद्धि होती है, यह बहुत ताज्जुब की बात है। यह जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। जितना भी उप-मंत्रियों का काम है वह नहीं हो रहा है। हां, यह बात जरूर है कि मंत्री महोदय एजेन्ट के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन इस बात को सही रूप में जरूर लाऊंगा। मंत्रियों के यहां लोग शिकायत लेकर जाते हैं और वे अधिकारियों के पास टेलीफोन करते हैं और उसका नतीजा सिफर। तो समझ में नहीं आता कि ये एजेन्ट हैं क्या? काम के लिए मंत्रि मण्डल बनाया जाता है, कोई मोटर गाड़ियों में सैर-सपाटे के लिये थोड़े ही बना है। कोई काम नहीं है। आपको यह मालूम होगा कि आज की संकटकालीन स्थिति में भी कहीं विवाह भी हुए होंगे तो वहां आपका मंत्रि मण्डल सजाने के लिए पहुंचे होंगे। मंत्रियों के साथ में उनका स्टाफ भी पहुंचता है। आज मंत्रि मण्डल से यह काम हो रहा है। सफलता तो वही मिल रही है इस तरह के करने से। कम से कम यह तो ध्यान रखना चाहिए कि आज की संकटकालीन स्थिति में आज चाहे कोई भी हो वहां पर मंत्री महोदय को सरकारी साधनों को या स्टाफ को नहीं ले जाना चाहिए। आज उप-मंत्रियों को कौन हटाने वाला है? अगर वे कुछ करेंगे तो वे उनको हटाने की कोशिश करेंगे। तो इस स्थिति पर काबू करने की जरूरत है। लोगों को भार से दबाने के लिए मंत्रि मण्डल बढाया गया है, वरना कोई काम नहीं हो रहा है।

और कहीं प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर इस तरह का मिलता है कि तमाम कार्य जो कुछ बचा हुआ है वह चौथी पंचवर्षीय योजना में होगा। कोई काम की बात करते हैं तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। मंत्रि मंडल की संख्या बढाने के लिए राजस्थान सरकार को बड़ा सतर्क रहना चाहिए।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात प्रशासन की है। प्रशासन में यह है कि हमारे

(श्री हीरामाई)
सेक्रेटेरियेट से लेकर कलेक्टर और तहसीलदार तक यह लापरवाही होती है। इसकी जिम्मेवारी किस की है ? जिम्मेवारी मंत्री की है। उसके ऊपर जिम्मेवारी किसकी है ? तो वह राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी है। वहां के चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेवारी हो सकती है, लेकिन वहां पर क्या करते हैं? विभाग और राज्य के प्रतिनिधि सरकारी कामकाज को चलाने वाले जो लोग हैं; एक एक मामले में जिनकी कई तरह की शिकायतें हैं वे ५-५ साल तक किसी मामले को नहीं सुलझा सकते हैं। आपको मैं यह निवेदन करूंगा कि एक थोड़ासा मसला सहकारी समिति के बारे में कुशलगढ़ का था। जब वहां मंत्रीजी आये थे तो सहकारी समिति के आदमियों को गांव से बुलाया और बुला कर कहा कि एक आदमी पर मुकदमा चलता था उसकी नकल पेश करने का फैसला हुआ, लेकिन यहां आकर यह आदेश दिया जाता है कि ठेका सहकारी समिति को नहीं दिया जाय। यह आदेश लिख देते हैं। हम पूछते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से तो कहते हैं कि जाओ मिनिस्टर के पास। सेक्रेटरी लोग काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिनिस्टरों ने अधिकार नहीं दे रखा है। इसलिए मिनिस्टर महोदय सिफारिश करना छोड दें; ऐसे कानून बन जाने चाहिए और जो कोई नकल मांगे तो २ या ४ दिन में दे देना चाहिए और जो शिकायतें हों उनका फैसला ६ महीने के अन्दर हुआ है। फिर मंत्री महोदय को क्यों सिफारिश करनी पड़ेगी ? खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग हैं. वे कैसे दूसरे लोगों को नहीं सम्हाल सकते हैं ? वे कमजोर हैं।

उसके साथ ही साथ चिकित्सा के बारे में निवेदन करूंगा कि चिकित्सा के लिए वहां कुशलगढ़ और बांसवाडा में कार दे रखी है। चिकित्सा की व्यवस्था है; लेकिन वहां पर जो गरीब लोग हैं उनको टाइम पर साधन नहीं मिलते हैं....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सामान्य प्रशासन पर बहस हो रही है या चिकित्सा पर हो रही है ?

श्री हीराभाई : चिकित्सा का है आप देखिये जरा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : Now the Hon'ble Member has already taken more than ten minutes. I would request him to finish his speech within two minutes.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझता हूं कि आज का पूरा दिन सिर्फ इसी के लिये रिज़र्व है, डिप्टी मिनिस्टरों के लिए। केवल उसी सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड का सवाल नहीं है। डिमान्ड्स तो और भी हैं, लेकिन इस रफ्तार से ऐसा लगता है कि आज का दिन इसी में पूरा होगा। इस मामले में निर्णय करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उप मंत्री महोदय के विषय पर काफी कह चुके हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपका निर्णय बदलने का इरादा नहीं है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : इसको विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है। जितना संक्षेप में हो सकता है एक मिनिट में कह दें, नहीं तो

(श्री उपाध्यक्ष)
आप दूसरे लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे। आप अधिक लम्बा कहेंगे तो समय नहीं रहेगा, क्योंकि ४ बजे मुखबन्ध का प्रयोग किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वैसे डिप्टी मिनिस्टर्स को एलाउ किया जाय, उनको खुद को मौका दिया जाय तो वे स्वयं ऑफर करेंगे।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार के बारे में कह रहा था· ·

श्री उपाध्यक्ष : आप चिकित्सा के बारे में मत कहिये, आप सामान्य प्रशासन के बारे में कहिये।

श्री हीराभाई : मेरा कटौती प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : तो उसी पर कहिये।

श्री हीराभाई : कटौती प्रस्ताव चिकित्सा के बारे में है। तो वहां पर जो कार दे रखी है उस कार का उपयोग गवर्नमेंट के कर्मचारी करते हैं और अगर कोई देहात में बीमार होता है तो ११-१२ आना प्रति मील का किराया तय कर रखा है कार का। उसके लिए यह है कि अगर किराया नहीं दोगे तो नहीं आ सकते हो। आपको मालूम है कि वहां आर्थिक स्थिति कैसी है? वे किराया नहीं दे सकते हैं और अपनी जान का बचाव नहीं कर सकते हैं तो माननीय मंत्रीजी इस बारे में जवाब देंगे और व्यवस्था करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, एक दूसरी बात प्रशासन का सवाल यह है कि घाटोल में जो बी. डी. ओ. साहब हैं उनको ५-७ साल हो गये हैं लेकिन वहां उनको थोप रखा है, क्योंकि वे कांग्रेस का समर्थन करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके कटौती प्रस्ताव से संबंधित नहीं है।

श्री हीराभाई : प्रशासन से संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष : किन्तु आप अपने कटौती प्रस्ताव तक ही सीमित रहें।

श्री हीराभाई : उसी पर बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां जिनकी जिला परिषद् और कलेक्टर सिफारिश कर दें· · · ·

श्री उपाध्यक्ष : This is out of point.

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष, दूसरी बात संकटकालीन स्थिति म वही होता है· · · ·

श्री उपाध्यक्ष : Order please! माननीय सदस्य अब विषयान्तर कर रहे हैं, इसलिये बाध्य होकर दूसरों को अवसर देना आवश्यक है।

श्री हीराभाई : मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Shri Umraosingh Dhabaria.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा)[1] : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मेरे कटौती प्रस्ताव है इस विषय में; एक उप-मंत्रियों के बारे में और दूसरा रेवेन्यू बोर्ड के बारे में। जहां तक उप-मंत्रियों के दो और विशेष रखने

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

का सवाल है पहले जब कि इसी सदन के अन्दर १९६२-६३ का बजट रखा था उस वक्त उस सरकार की तरफ से बजट-भाषण में स्पष्टतया यह बताया गया कि सरकार अपने प्रशासन के खर्चे में कमी करने का इरादा रखती है, और उन्होंने उस बात को लेकर बहुत सारी बातों में कटौती की। उस कटौती को इस सदन ने बड़े ही आदरपूर्वक माना। परन्तु दूसरी तरफ जब यह प्रश्न आज हमारे सामने आया है तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि गरीबों के पेट पर लात मार कर अपने आपको अमीर बनाने का यह जो फैसला किया जाता है वह वास्तव में इस प्रजातन्त्र के जमाने में छोटी सी बात नहीं है और वह खास तौर से उस समय में की जा रही है जब कि देश के ऊपर एक भारी संकट उपस्थित है, और उसके लिए हर आदमी के पास डिमान्ड लिखी जाती है कि वे सुरक्षा कोष के लिए पैसा दें, हमारे देश के निर्माण के लिए धन उपलब्ध करें और किसी भी तरह से चाहे अल्प-बचत योजना की तरह से या चन्दा देकर या अपने खर्चे में कमी करके या और और तरीके से हो सकते हैं उसके लिए यह किया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं हिन्दुस्तान की संस्कृति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में हम हमेशा इस बात को मानते आये हैं कि हमारे देश के लोगों की भावना है वह त्यागमय है, बलिदान कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं देश को ऊपर उठाने के लिए। बलिदान और त्याग के जरिये ही हम अपने देश को ऊपर उठा सकते हैं और हम अपने चरित्र का अच्छी तरह से निर्माण कर सकते हैं और ऐसा करें तभी दूसरे लोग हमारे चरित्र को देखेंगे तो उससे प्रेरणा लेंगे। आज जितने लोगों का नाम ७ अक्टूबर, ६२ के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर आया है और बड़े बड़े नेता लोग लेते हैं, मैंने उस भाषण को सुना जो आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने, जिस दिन श्री कृष्ण मेनन जयपुर में आये थे, जो भाषण दिया था उसको सुना था। उन्होंने महाराणा प्रताप और भामाशाह का नाम लेकर कहा था कि एक ने बलिदान का उदाहरण और दूसरे ने दान और त्याग का उदाहरण सामने रखा था, तो क्या मैं आज जो डिमान्ड सामने रखी है उस डिमान्ड के समय मुख्य मंत्रीजी से आशा करूं कि उस उद्देश्य और उस बात पर चलने और पथ-प्रदर्शन करने का वे अवसर प्रदान करेंगे। यदि वे दूसरों को बात कहेंगे और खुद उस पर आचरण नहीं करेंगे तो उसका असर कभी नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे मेवाड में एक कहावत प्रचलित है 'भट्टजी भुट्टा खावे और दूसरों को ज्ञान बतावे' अर्थात् कोई पंडितजी कथा सुनाने जावें और लोगों से कहें कि बैंगन नहीं खाना चाहिये और शाम को घर आकर वे खुद बैंगन खावें, तो क्या कभी उसका असर हो सकता है? यह बात ठीक ही है, जिस बात को हम अपने आचरण में नहीं उतार सकते, हम तपस्या नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते, अपने स्वार्थ को कम नहीं कर सकते और दूसरों को कहें तो यह कैसे उचित हो सकता है।

यदि हमारे सामने हिन्दुस्तान के पुराने विद्वानों और जितने महर्षि हुए हैं उनका उदाहरण रखें तो उन्होंने जिस ढंग से देश के लिए और लोगों का चरित्र निर्माण करने के लिए अपने आपको बलिदान किया है, त्याग किया है, खुद शासन छोड़ कर फकी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

बने हैं और दुनिया में फैले हुए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये जो कुछ कर सकते थे किया है, उसी तरह से आज जब देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आज देश पर बड़ा भारी संकट है, देश में आर्थिक संकट है इन सब का मुकाबला करना है तो हर देश-वासी को त्याग करना पडेगा, बलिदान करना पडेगा, अपने चरित्र को ऊंचा करना पडेगा। और यह कब हो सकेगा, जब आप अपने स्वार्थ को छोड देंगे। मैं समझता हूं मुख्य मंत्रीजी इसके लिये जिम्मेदार हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी भी इस देश के वासी हैं, नागरिक हैं; जिसे उप-मंत्री बनाया है वे भी उतना ही हक रखते हैं। तो आज देश के लिये जितनी जिम्मेदारी मुख्य मंत्रीजी पर है उतनी ही जिम्मेदारी उप-मंत्रियों पर भी है। यदि वे खुद समझते हैं कि आज देश पर वास्तव में संकट है और हम सब बचत करना चाहते हैं तो मैं उप-मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि वे मुख्य मंत्रीजी को धर्म संकट में न डालें और उनको यह मौका न दें कि वे आपसे इस्तीफा मांगें। राष्ट्र पर आये हुए संकट का मुकाबला करना चाहते हैं तो उनको जगह छोड कर चला जाना चाहिए।

एक बात उनके काम के बारे में है, उसे मैं और बताना चाहता हूं। मंत्री आप बना सकते हैं, उप-मंत्री आप बना सकते हैं; लेकिन किस कारण से बनाते हैं? इस कारण से बनाते हैं कि काम में स्फूर्ति आवे, चेकिंग ठीक हो डिपार्टमेन्ट्स का काम अच्छे ढंग से और जल्दी चल सके, अच्छे नतीजे हासिल कर सकें उसके लिये मंत्री बनाये जाते हैं; लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो उप-मंत्री काम करते हैं उनके काम के बारे में अन्दाज लगावें तो मैं कह सकता हूं कि उनके कारनामें ऐसे है, उन्होंने जो काम किये है वे ऐसे है कि उनसे बजाय देश के लोगों का चरित्र निर्माण हो, अच्छे ढंग से पवित्रता के साथ हो, उसके बजाय बिगड़ता चला जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं और ५ मिनिट ही हुए हैं।

मैं यह अच्छी तरह से कह सकता हूं कि जो कुछ काम उन्होंने किये है वे नागरिकों का चरित्र भ्रष्ट करने के काम उन्होंने किये हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। इस सदन में एक माननीय मंत्रीजी के द्वारा २६ अक्टूबर को २० दरख्वास्तें यहां सदन में बताई गई थीं और यह कहा गया था कि ये दरख्वास्तें किन्हीं लोगों द्वारा दस्तखत करके और पंचायतों में पास करके भेजी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि वे डॉक्युमेन्टस् सही हैं और यदि इस बात का आधार है कि जिन पंचायतों से पास होकर ये आई हैं उन पंचायतों के मिनिट्स में ये लिखी हुई हैं तो मैं मानने को तैयार हूं कि वे सही है और यदि जिस तारीख की वे हैं उस तारीख को पंचायतों का कोरम नहीं हुआ और मिनिट्स बुक में प्रस्ताव नहीं हैं तो स्पष्ट है कि उन्होंने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके किन्हीं लोगों के द्वारा साइन करवाये हैं। मैं चैलेन्ज देकर कहता हूं कि आज ही किसी अच्छे उच्च अधिकारी को भेज कर इसकी जांच करवाई जाय। यदि सही निकलेगा तो मैं सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं और यदि गलत निकले तो उप-मंत्रीजी जिन्होंने इन्हें पेश किया उनको इस्तीफा देना चाहिये।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

यह चरित्र का सवाल है। सरपंच और पंच जो जनता के सहयोग से वहां पर जाते हैं उनसे झूठी बातें कह कर उनसे दस्तखत करवाते हैं तो यह उनके मोरेल को डीमोरेलाइज करने की बात है। उनका चरित्र इतना गिरा हुआ नहीं था, लेकिन आपने अपने स्वार्थ के लिये पंचायत जैसी संस्था, जिसके द्वारा हम देश का शासन चलाना चाहते है, से ऐसी बात करवाते हैं तो यह गलत बात है।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वह यह है कि हमारे डिप्टी मिनिस्टर महोदय काम करते हैं; लेकिन जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने पहले भी कहा, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, किसी काम को लेकर जो उनके डिपार्टमेन्ट से संबंध रखने वाला हो, उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि इस काम का संबंध मेरे विभाग से जरूर है, लेकिन क्योंकि मंत्री महोदय इसमें रोक लगाते हैं इसलिये नहीं कर सकता, इसलिए इसमें डिले होती है।

मैं दूसरा उदाहरण और बताना चाहता हूं। वह यह है कि किसी क्षेत्र में यदि कोई मिनिस्टर जो उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं होते हैं, जाते हैं, दोरा करते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं तो जिस क्षेत्र में वे जाते हैं उस क्षेत्र के डिप्टी मिनिस्टर उनके साथ रहते हैं, जो जनता की सही भावना को मालूम नहीं होने देते और दूसरी बातों में उनको फंसा कर रखते हैं; यह नमूना है डिप्टी मिनिस्टरों के काम करने का? राजनैतिक वातावरण को कब्जे में रखना और लोगों को राजनैतिक उलझन में फंसा रखना उनका काम है। इसके सिवाय शासन को पवित्र बनाना, एफिशियेन्ट बनाना इनका काम नहीं है, बल्कि लोगों के चरित्र को गिराने के अलावा इनका काम नहीं है। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी से और उप-मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि जहां ये एमर्जेन्सी में मदद देने का दूसरों को सबक देते हैं वहां वे खुद सबक लें और कुर्सियां छोड़ कर अलग हो जावें। क्योंकि ये जहां जाते हैं वहां केवल अपना ही समय खराब नहीं करते बल्कि वहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और जिले के दूसरे अधिकारी हैं उनका भी समय खराब करते हैं क्योंकि उनको इनकी हाजरी में रहना पड़ता है। यही कारण है कि डे-टू-डे काम में ढिलाई आती है, क्योंकि अफसर लोग मिनिस्टरों की हाजरी में रह जाते हैं, काम नहीं कर पाते। इसलिये यह जरूरी है कि मिनिस्टरों के दौरे कम हों, उनकी संख्या कम हो और ज्यादा काम ऑफिस में बैठ कर करें।

रेवेन्यू बोर्ड के बारे में दो शब्द और कहना चाहता हूं। जहां तक एक मेम्बर बढ़ाने का प्रश्न है वहां आप एक नहीं दस बढ़ावें लेकिन इतना ख्याल रखिये कि जिस काम के लिये जिस आदमी को रखा जाता है वास्तव में वह आदमी उस जगह रहने के काबिल है या नहीं और वहां जितने आदमी हैं उनके अलावा एक और आदमी बढ़ाने की जरूरत है या नहीं? इन बातों का ध्यान रख कर बढ़ाना चाहिये। यह नहीं कि क्योंकि एक आदमी को बढ़ाना है, नयी जगह किसी आदमी के लिये क्रिएट करनी है इसलिये बढ़ा रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। वहां पर पहले जो मेम्बर्स हैं और उनके पास जितना काम है उससे उनको फुर्सत नहीं मिलती हो, ऐसी बात नहीं है।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

परन्तु देखते हैं कि आज ऑफिसों के अन्दर एमर्जेन्सी में कह दिया कि साढ़े पांच बजे तक काम होता है; पर मैं इस सदन के माननीय सदस्य और लोग ऑफिसों में जाते हैं तो देखते हैं कि लोग आफिसों में जाकर बैठे रहते हैं और वे तीन घंटे से ज्यादा काम नहीं करते हैं। वे फालतू बैठे रहते हैं, चाय पीने बैठ जाते हैं, और ऑफिसर लोग दो-तीन घंटे इस तरह खराब करते हैं। बाहर लोग चिट देकर बैठे रहते हैं। लेकिन हमें बताया जाता है, अखबारों में लिखा जाता है कि इस तरह के आदेश निकल गये हैं कि लोग साढ़े पांच बजे तक ऑफिसों में काम करें।

म कहना चाहता हूं कि आप पोस्ट क्रियेट करते हैं तो पोस्ट क्रियेट करने की अपेक्षा आप काम में एफिशियेन्सी लाने की कोशिश करिये। इसके लिए स्पष्ट उदाहरण है कि हमारे यहां रेवेन्यू बोर्ड है, उसने जितने फैसले किये और जितने फैसलों की अपील हाई कोर्ट में हुई, तो उनमें से ७० प्रतिशत उनके खिलाफ निकले। यह हमारे यहां के रेवेन्यू बोर्ड के फैसले हैं। इसके अलावा आज कितने ही तहसीलदार सस्पेन्डेड हैं, वे किन कारणों से सस्पेंडेड हैं, इसमें मैं नहीं जाना चाहता; लेकिन उनके जल्दी से जल्दी फैसले क्यों नहीं हो रहे हैं? रेवेन्यू बोर्ड के कई उदाहरण आपके सामने हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री, जिन्होंने इस डिमान्ड को रखा है, से बहुत अदब के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर वे वास्तव में इस बात को मानते हैं कि हमारे देश में संकटकालीन स्थिति है, इसलिए हमारे यहां काम अच्छा होना चाहिए, हमारे यहां पैसे की बचत होनी चाहिए, हमारे यहां काम में एफिशियेन्सी आनी चाहिए; तो इस तरह की जो फिजूल खर्ची है कि आज सत्तर-सत्तर हजार रुपया एक आदमी के ऊपर इस देश में खर्च हो जायं जब कि दूसरे आदमी की एक दिन की आमदनी तेरह आना रोज है तो ऐसे खर्च को कम करना चाहिए। आप कहते हैं कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है, लेकिन जहां एक तरफ सत्तर हजार रुपया एक आदमी का काम चलाने के लिए खर्च करें तो वह पिछड़े हुए प्रान्त का उदाहरण नहीं हो सकता।

मैं कहना चाहता हूं कि यह महात्मा गांधी का देश है, जिसके राष्ट्रपिता लंगोटी लगा कर रहते थे। वहां यह कोट-पेंट, मोटर गाड़ी और रेफरीजिरेटर, ठंडे पानी और गरम पानी की मशीन, रहने के लिए बंगला; इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। इस एमर्जेन्सी के समय में हमारा सादा से सादा जीवन हो, हम अपने खर्च को कम करें, लोगों के सामने उदाहरण पेश करें और फिर लोगों से पैसा मांगे तो अच्छा होगा। ऐसा नहीं हो कि पैसा मांगने जायं तो वहां से ९ रु० १२ आने लायें। वहां पर सौ आदमियों के लिए भोजन की व्यवस्था करें, लड्डू ले लें और दूसरी चीज ले लें और एक हजार रुपया उसमें खर्च कर दें और एमर्जेन्सी के लिए चन्दे का ९ रु० १२ आने लेकर उप-मंत्री जी आयें। इस तरह की दशा हमारे देश में नहीं हो तो अच्छा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री द्वारा जो मांग पेश की गई है, इस मांग के पीछे जो नीति छिपी हुई है, उस नीति का मैं विरोध करता हूं। दो उप-मंत्रियों की नियुक्तियां और की गई और उसके लिए १ लाख ४० हजार की और अधिक

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आवश्यकता पड़ी । उसके पहले भी राजस्थान में आठ मंत्री और आठ उप-मंत्री थे । राजस्थान की जन-संख्या और राजस्थान राज्य की पॉपूलेशन और कार्य को देखते हुए सोलह मंत्रियों के द्वारा इस राज्य का कार्य बखूबी चलाया जा सकता था । हमारी पार्टी की तो यह मान्यता है कि सोलह मंत्री से कम मंत्रियों द्वारा भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अतिरिक्त उप-मंत्रियों की नियुक्तियां की गई । एक प्रश्न यह खड़ा हो सकता है कि मुख्य मंत्रीजी के समक्ष कुछ कठिनाइयां सोलह मंत्रियों की नियुक्ति करने के वक्त रही होंगी और सोलह मंत्रियों की नियुक्ति पार्टी और ग्रुप कन्सीडरेशन से की गई होगी और उसके बाद कुछ काबिल व्यक्तियों की आवश्यकता हुई तो दो उप-मंत्रियों की नियुक्ति की गई । कुछ भी कारण हो, उस कारण को लेकर दो उप-मंत्री और जोड़ लिये । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए कि केबिनेट का कॉन्स्टीट्यूट करने का मुख्य मंत्रीजी को सम्पूर्णतया अधिकार है, आज वे चाहे तो मंत्रियों की संख्या अट्ठारह करने के बजाय अट्ठाईस मंत्रियों की केबिनेट बना सकते हैं और संविधान के अनुसार उनका यह अधिकार है । लेकिन प्रोप्राइटी की जांच करें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सोलह मंत्रियों की नियुक्ति उचित थी, उसके बाद दो नियुक्तियां की गई, वह कहां तक उचित कही जा सकती है । दो उप-मंत्रियों की नियुक्ति की गई, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बाद भी आज काम के बटवारे को देखा जाय तो बहुत से उप-मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास वर्क लोड उतना ही है जितना केबिनेट के मंत्रियों के पास है । उप-मंत्रियों के अन्दर भी डिस्क्रिमिनेशन इस सरकार में विद्यमान है । मैं मांग करूंगा कि यह स्पष्टीकरण करें कि जब वास्तव में अट्ठारह व्यक्तियों की नियुक्ति की आवश्यकता थी, जिसमें से दस उप-मंत्री होने की; तो चार उप-मंत्रियों के पास काम क्यों नहीं है ? यह एक्स्प्लेनेशन दिया जाय । मंत्रियों को उनमें भरोसा नहीं है । तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब मंत्रियों को उनमें भरोसा नहीं है तो जनता का उनमें किस प्रकार भरोसा हो सकता है और राज्य कोष पर ७० हजार का भार कैसे हो सकता है ?

जब भी मुझे सेक्रेटेरियट जाने का अवसर मिला तो मैंने देखा कि वे सीट पर नहीं हैं । साल भर में दस-बीस बार मुझे जाने का अवसर मिला, मैंने उन्हें नहीं पाया, हमेशा दौरा करते रहते हैं । उनके पास कोई फाइल आती नहीं जिस पर उन्हें दस्तखत करने की आवश्यकता हो । मैं कहना चाहूंगा कि तीन-चार व्यक्ति बिल्कुल बेकार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है । इसलिए अच्छा होता कि मुख्य मंत्रीजी हिम्मत करते और चार को सरप्लस मान कर घर भगा देते और उनकी जगह दो उप-मंत्रियों की दूसरी नियुक्तियां कर लेते । इस बात को भी छोड़ दें, तो मैं कहना चाहूंगा कि ९ लाख ७७ हजार रुपया, जो सारे मंत्रियों पर खर्चा करते हैं, उसमें आप मंत्रियों की तनख्वाह को जाने दीजिये । मैं तनख्वाह का प्रश्न नहीं उठाता, मैं उप-मंत्रियों की तनख्वाह का प्रश्न नहीं उठाता; लेकिन एक लाख रुपया उनके टेलीफोन पर खर्च करते हैं, किस प्रकार से यह खर्च वाजिब कहा जा सकता है ? बीस हजार उनके लिए बिजली-पानी पर खर्च करते हैं । आप अन्दाज लगाइये, बीस हजार को अट्ठारह मंत्रियों में बांटें तो एक मंत्री पर एक हजार से ज्यादा एक माह में खर्च होता है । एक हजार को

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
एक मंत्री के हिसाब से लगायें तो कम से कम एक मंत्री के जिम्मे प्रति माह साठ, सत्तर रुपये का बिजली-पानी के खर्च के रूप में आता है। मैं नहीं समझता, एक हजार रुपये पाने वाला व्यक्ति साठ रुपये चुका सकता है। इसलिए इसमें भारी कटौतियां की जा सकती हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि करे कौन ? इसके अलावा बंगला देते हैं, जो अट्ठारह मंत्रियों के बंगले हैं, उनमें से चार-छः को जाने दीजिये जिनके पास छोटे बंगले हैं, लेकिन दस बारह बंगले ऐसे हैं जिनको अगर किराये पर उठा दिया जाय तो सरकार को ६०,००० रुपये की बचत हो सकती है। लेकिन मंत्रियों की तनख्वाह में से अस्सी, सौ रुपये की कटौती करते हैं। इसके बजाय उनको, सौ रुपये का हाउस रेंट अलाउन्स दे दिया जाय, वे मकान तलाश करले या सरकार फ्लेट बना कर, जिनका पी. डब्ल्यू. डी. १०० रुपया रेंट असेस करे, मंत्रियों को दे दे तो मेरा अनुमान है, राजस्थान के वर्तमान बंगलों को किराये पर दे दिया जाय तो ६० हजार रुपये की बचत हो सकती है और इस प्रकार सब कुल मिला कर ८७, ८८ हजार रुपयों की बचत हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक हजार रुपये आप तनख्वाह के दें, उसमें एतराज नहीं है। आप ऐसे फ्लेट्स उन्हें दे दीजिये, जिसका किराया सौ रुपये से अधिक नहीं हो और जिसका कोई भी व्यक्ति सौ रुपया किराया दे सकता हो और जिसका आप सरकारी अधिकारियों से भी सौ रुपया किराया ले सकते हों। आपने एक हजार रुपया तनख्वाह दे दी, छः सौ रुपये के किराये का बंगला दे दिया, यह चाहे आप दे दें, तो मैंने जैसा बताया, सत्तर-अस्सी रुपया बिजली पर खर्चा आता है और इसके अलावा भत्ता चाहे जितना उठाते हैं। भत्ते के आंकड़े देखें तो ९० हजार, ९५ हजार ट्रेवलिंग अलाउन्स में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनकी तनख्वाह को अलग छोड़ दें, लेकिन जो दूसरे व्यय होते हैं; बिजली, पानी के होते हैं, मकान किराये के होते हैं, ट्रेवलिंग अलाउन्स के होते हैं, टेलीफोन के होते हैं–इनमें कटौतियां की जा सकती हैं और इस तरह एक लाख ४० हजार की बचत कर सकते है। इसके द्वारा आप एक उदाहरण भी पेश कर सकते है कि हमने मंत्रियों की संख्या बढ़ाई है, इसके बावजूद भी राज्य कोष पर भार न पड़ने का उदाहरण पेश किया है, कोई खर्चा राज्य कोष पर नहीं डाला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय संकट-काल में देखते हैं कि मंत्रि मंडल में से गुटबाजी की भावना अभी भी दूर नहीं हुई है। जोधपुर में कुछ मंत्रियों ने कांग्रेस प्रेसीडेंट, संजिवैया को चांदी से तोला। मुझे समझ में आता, अगर लाल बहादुर शास्त्री को तोला होता, मुझे समझ में आता, अगर डा. राधाकृष्णन को तोला होता, लेकिन डा. राधाकृष्णन के होते हुए, डा. राजेन्द्रप्रसाद के विद्यमान रहते हुए कांग्रेस के प्रेसीडेंट संजिवैया को चांदी से तोलते हैं, इसमें क्या तुक है ? मैं नहीं समझता कि राष्ट्रीय संकट-काल को किसी पार्टी ऐंगल से देखा जा सकता है। किसी पार्टी प्रेसीडेंट को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संकट का उपयोग कर सकते हैं ? मैं यह मानता हूं कि आज भी कांग्रेस के मंत्रि मंडल के लोग इस बात को देख रहे हैं कि १९६७ जब आवेगा, तब प्रेसीडेंट कौन रहेगा.......

श्री जवालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप लोहिया को तोल सकते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : हम तो तोलने का विरोध करते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : (कोलायत) तोलने का विरोध करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : खुद तुल जाइये और उतना सोना चांदी दे दीजिये ।

श्री रामकिशन : हम आपकी जानकारी के लिए बता दें····

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं ज्वालाप्रसाद जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के प्रधान मंत्री भी सोने और चांदी से तुलने या तुलवाने के खिलाफ हैं । वे आपकी पार्टी के प्रधान हैं और वही आपकी पार्टी के सबसे बडे नेता हैं, वे तुलने के पक्ष में नहीं हैं ।

उन्होंने इन्कार कर दिया बहुत सी जगह पर कि हम सोने और चांदी से तुलने के लिये नहीं जावेंगे । मैं नहीं समझता कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में किस बात को ध्यान में रख कर तुले···

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : वे तुलने के लिहाज से प्रेरित होकर वहां नहीं गये थे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लेकिन बात यह है कि श्री संजीवैया को चांदी से तोला गया । मैं यह कहूंगा कि भेद-भाव की भावना को अभी तक नहीं भुला सके हैं, उसको अब आप भूल जावें ।

जहां तक मिनिस्टरों का सवाल है, मैं उसको पिजन होल की तरह से समझता हूं, कबूतर खाने की तरह से समझता हूं । किसी रेफरेन्स के सिलसिले में कोई कागज किसी मिनिस्टर के यहां से किसी दूसरे मिनिस्टर के यहां चला जावे तो कागज का ६ महीने तक कोई पता नहीं चलता । अभी बिजली विभाग और जन-स्वास्थ्य विभाग में आपस में कुछ झगडा चल रहा है । उसके संबन्ध में कोई रेफरेन्स गया, मगर उसका पता नहीं चलता । म्युनिसिपेलिटी में बिजलीघर की ५ लाख की बकाया है और जैसा बिजली विभाग कहता है कि ६ लाख की बकाया है; इस कारण म्युनिसिपेलिटी अगर उनको एक बत्ती भी लगाने के लिये कहे तो वे नहीं लगा सकते । वे कहते हैं कि जब तक ६ लाख रुपया नहीं दोगे तब तक हम बिजली नहीं लगावेंगे और बिजली विभाग का काम म्युनिसिपेलिटी नहीं करेगी । अगर जन-स्वास्थ्य में कोई नाली ठीक कराने की बात म्युनिसिपेलिटी से बिजली वाले कहें तो वे नहीं करेंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपका मंत्रि मंडल आज इस तरह से काम करेगा और आपसी मतभेद बढ़ते रहें तो काम किस तरह से चलेगा ।

अब रही इन ६ लाख रुपयों की बात । यह ६ लाख रुपया पब्लिक से ही वसूल होगा । इसका भार पब्लिक पर ही डालेंगे । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्रि-मंडल में जो इस तरह से डिफरेन्सेज हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है । इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज विभागों का विभागीयकरण किया गया है उसमें भी गलती है । आज एग्रीकल्चर का पोर्ट फोलियो किसी एक मिनिस्टर के पास है तो कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का किसी दूसरे मिनिस्टर के पास है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दो और कटौती के प्रस्ताव हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं उन पर भी आ रहा हूं ।

आज हम देखते हैं कि कॉम्युनिटी डेवलपमेंट का विभाग दूसरे मिनिस्टर के पास है और एग्रीकल्चर का दूसरे के पास है । दोनों का आपस में संबन्ध है इसलिये ये एक

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ही मिनिस्टर के पास होने चाहियें । इसलिये म यह निवेदन करूंगा कि हमें संकटकालीन स्थिति में इसमें कटौती करनी चाहिये और नेशनेलाइजेशन के सिद्धान्तों को लागू करना चाहियें । जिससे कि सारे काम एक टेबल पर हो सकते हैं, हों और काम भी जल्दी हो सकें । इसके अलावा मैं संकटकालीन स्थिति में यह निवेदन करूंगा की स्पेशल पे जो अधिकारियों को दी जाती है, उसको समाप्त करके बचत कर सकते हैं, उसकी ओर आप सोचें । पिछली बार मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि यह आई. ए. एस. के रूल्स में है इसलिये हमको देनी होगी । मैंने रूल्स देखे और आई. ए. एस. से बात की और सारी जानकारी करली, लेकिन आज तक इस निष्कर्ष पर नहीं आ सका कि सरकार इसको समाप्त करना चाहती है और समाप्त नहीं कर सकती । इसके लिये कोई अडचन नहीं दिखाई देती । मैं यह कहूंगा कि सेक्रेट्रीज को स्पेशल पे २५०) रु० डिप्टी सेक्रेट्री को १२५ और दूसरों को ७५) रुपये माहवार दी जाती है; इसको समाप्त किया जावे और इसको समाप्त करना संकटकालीन स्थिति में बहुत आवश्यक है । आप यह स्पेशल पे सेक्रेटेरियट में आने के कारण आर्डियस नेचर आॅफ वर्क के कारण देते हैं । मगर मैं यह कहूंगा कि जब आप २५ प्रतिशत तक हर व्यक्ति के फेमिली बजट को बढा सकते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि उनको हम स्पेशल पे दें । यह उनका काम है वे करें । इसलिये मैं चाहूंगा कि फाइनेन्स मिनिस्टर और मुख्य मंत्री इसकी ओर ध्यान देंगे और लाॅ डिपार्टमेंट से कन्सल्ट करके और आवश्यकता हो तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिख कर और आवश्यकता हो तो संविधान को बदल कर भी इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सचिवालय के लिये ७५ हजार की मांग की है, वह एन्टरटेनमेंट के लिये है । वहां पर जो लोग इकट्ठे किसी मीटिंग आदि में होते हैं उसके लिये उसमें मोटर कार और मेडिकल फीस वगैरह शामिल है । मैंने इस संबन्ध में नियम मालूम करने की कोशिश की, तो मुझे यह कहा गया कि ६ आॅफिसर्स जिस समय इकट्ठे हों तो उनके एन्टरटेनमेंट के लिये यह रकम मांगी गई है । जब तक पांच आॅफिसर्स इकट्ठे होंगे तब तक तो वे अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करेंगे और ज्योंही ६ होते हैं तो सरकार की तरफ से उनके एन्टरटेनमेंट का खर्चा शुरू होगा । मैं कोई यह नहीं कहता कि असभ्य हों और चाय तक भी न हो । मैं समाजवाद और शिष्टाचार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों को १८००) रु० या २२००) रु० माहवार मिलते हैं और कमेटी होती है तो इतने सभ्य तो वे भी होते ही होंगे कि वे १२ आने की चाय तो पिला ही सकते हैं । आखिर उनको भी १८००) या २०००) रुपये वेतन का मिलता है । इतने तो सभ्य वे भी हैं ही । अगर फिर भी आवश्यकता हो तो इसके लिये कुछ रुपया रख दिया जाए । मैं यह नहीं कहता कि बिल्कुल ही कटौती कर दी जाए ।

इसी प्रकार मेडिकल फेसिलिटी का प्रश्न है । इस संबन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो बारह महीने बीमार रहते हैं । जो लोग बारह महीने बीमार रहते हैं और उनको मेडिकल फेसिलिटी दी जाती है तो इससे साफ जाहिर होता है कि वे सर्विस के काबिल नहीं हैं और उनको घर भेज दिया जान चाहिये । सरकार उनके लिये क्यों पैसा देती है ? इसके अलावा मेरा यह सुझाव है कि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
तनख्वाहों पर फ्लेट रेट एलाउन्स मुकर्रर कर कर दिया जाए। मैं जानता हूं कि इससे कठिनाइयें भी पैदा होंगी लेकिन आज जो भ्रष्टाचार इसमें चल रहा है वह बन्द हो जाएगा और एक व्यक्ति माहवार की माहवार १००) लेता है वह बन्द हो जाएगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि अनकन्ट्रोल्ड तरीके से जो लोग पैसा उठाते हैं उनके लिये कुछ रोक लगाई जावे और उनके लिये एक सीमा मुकर्रर करनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही साथ मैं अपना तीसरा कटौती का प्रस्ताव है उस पर कुछ कहना चाहूंगा·····

श्री उपाध्यक्ष : इस पर अत्यन्त संक्षेप में ही कहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस प्रशासन में चुस्ती लाने के लिये कहता हूं।

आप सारे कामों के लिये इवोल्यूशन करते हैं और पंचायत समितियों और जिला परिषद् आदि से जानकारी करते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है, कितनी फाइल्स डिस्पोज ऑफ की हैं। आपको मिनिस्ट्रों म भी बहुत से ऐसे मिनिस्टर मिलेंगे जैसे रेवेन्यू मिनिस्टर ने ६००० फाइलें डिस्पोज ऑफ कर दीं। कुछ ऐसे भी मिनिस्टर हैं जिनका डिस्पोजल बहुत कम है। कितनों ने पोलिसी मेटर को बदला और सरकार की पोलिसी को बदला, उसका क्या नतीजा रहा? यदि इन सब बातों का हमें मालूम हो तो हम समझेंगे कि मंत्रियों ने ५० लाख रुपया दिया है तो ७० हजार रुपया अतिरिक्त खर्चा कर रहे हैं तो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और यह अतिरिक्त ७० हजार का खर्च हो रहा है इन रुपयों को बचाने की शक्ति उत्पन्न करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष, ऐसे समय पर जब कि हमारे राज्य की स्थिति खराब है, हम एक अत्यन्त संकट-कालीन अवस्था में चल रहे हैं। ऐसे समय में मन्त्रियों की केबिनेट में, मन्त्रिमण्डल में विकास किया जाय या संख्या बढ़ाई जाय, यह एक व्यवहारिक रूप से न्यायसंगत नहीं होता। यदि मंत्रि-मण्डल में संख्या बढाने पर सरकार सुव्यवस्था कर सकती हो, आम लोगों को राहत पहुंचा सकती हो और कुछ अपव्यय को रोक सकती हो तो यह कुछ न्यायोचित हो सकता है; पर माननीय उपाध्यक्ष मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी ही तहसील लाडपुरा जो फोरेस्ट विभाग के अन्डर में आती है, जंगलात विभाग के एरिया में आती है, वहां के निवासियों को फोरेस्ट विभाग की तरफ से सहूलियतें दी गई थीं, सरकार की ओर से व्यवस्था है कि ऐसे ग्रामवासी जंगलात से इफेक्टेड हैं, जंगलात के जानवरों से उनकी फसल को नुकसान होता रहता है, अपने खेतों में वाड़ लगाने के लिये······

श्री उपाध्यक्ष : यह कटौती प्रस्ताव से कैसे सम्बन्धित है?

श्री महेन्द्रसिंह : इससे मैं यह बता रहा हूं कि मंत्रि-मण्डल की संख्या बढ़ाने पर भी सुव्यवस्था कर सकते हों तो इसे कुछ न्यायोचित कहा जा सकता है, पर इस तरह मन्त्रियों की संख्या बढ़ाने से उल्टे अव्यवस्था होती है···

श्री उपाध्यक्ष : इसी पोइन्ट पर रहें· · · ·

श्री महेन्द्रसिंह : इसी पर हूं। जो कटौती प्रस्ताव दिया है उसका समर्थन करते हुए बता रहा हूं कि वहां के निवासियों को सहूलियतें दी हैं, जंगल से जलाने के लिये सूखी लकडी ला सकते हैं, वहां मवेशियों को चरा सकते हैं, पर जंगलात विभाग· · · · · ·

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : इसमें जंगलात का क्या है जी. ए. डी. में ?

श्री महेन्द्रसिंह : यह अव्यवस्था का सवाल है साहब, इसलिये कि इतने मंत्री बढ जाने के बाद भी सरकार लोगों को राहत और सुव्यवस्था दे सकती है या नहीं · · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : मेन पोइन्ट मन्त्रियों की कटौती के संबंध में है, इसी पर सीमित रहें। जो इस पोइन्ट से सम्बन्धित विषय हैं उन पर ही बोलें।

श्री महेन्द्रसिंह : मंत्रि-मण्डल की संख्या बढा कर मुख्य मंत्री आशा करते हैं कि राजस्थान में सुव्यवस्था कर सकते हैं तो यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक मन्त्रि-मण्डल को इस ढांचे में नहीं ढाले कि जो व्यक्ति शासन कर सकते हैं, जो सुयोग्य हैं उनको शामिल करके उनको कार्य-भार नहीं सौंपेंगे। यह नहीं करेंगे तब तक जनता को राहत नहीं दे सकते। इस प्रकार वर्ग विशेष में फंस कर, ग्रुपबाजी को चुप रखने की गरज से मुख्य मंत्री उप-मंत्रियों और मंत्रियों की संख्या में बढोत्तरी करना चाहते हैं तो इससे सरकार सुव्यवस्था लाने में सफल हो सके, यह असंभव है। इससे सुव्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था ही होगी। यदि आप कहें कि मन्त्रियों की फौज बढा कर नेफा और लद्दाख में भेज· · · · · ·

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आप तो बढाने के खिलाफ हैं· · · · · ·

श्री महेन्द्रसिंह : यह अगर चाहते हैं तो आज उस दल में जितने लोग बैठे हैं बिना किसी खर्च के अपने खर्च से नेफा और लद्दाख से चीनियों को निकालने में सहर्ष सहयोग देंगे। पर आप चीफ मिनिस्टर पद पर बैठे रहें, मुख्य मंत्री पद पर बैठे रहें, इस दृष्टि से मन्त्रि-मण्डल में संख्या बढाते हैं। मुख्य मंत्री चाहते हैं कि किसी प्रकार मुख्य मंत्री पद पर बैठा रहूं· ·

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री पूर्णतया प्रभावित हो गये हैं, अब कोई नई बात कहें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आप बोल रहे हैं, इससे तो बहुत प्रभावित हो जाऊंगा।

श्री महेन्द्रसिंह : तो मैं यह आशा करते हुए कि मन्त्रि-मण्डल में कमी करेंगे, कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुल प्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): सामान्य प्रशासन में मांग की गई है ६ लाख ७ हजार रुपये की· · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं, माननीय सदस्य १५ मिनिट से ज्यादा नहीं लेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कांग्रेस वालों के तो कट मोशन बहुत कम हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इतनी बात-चीत चल रही है तो हमें भी कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : सबको पूर्ण मौका दिया जायगा, समय का ख्याल रखें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जितनी आज्ञा होगी उतना ही बोलूंगा, अभी ना कह दें तो नहीं बोलूं ।

दो उप-मंत्री ६२-६३ के बीच के साल में बढाये गये, १ लाख ४० हजार के खर्चे की बढोत्तरी की मांग हुई । मैं मंत्रियों के खर्च का जो आपने पहले बजट में स्वीकार किया था उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमने उस समय बजट में रकम स्वीकार की थी वह बहुत बडी थी, एक चीफ मिनिस्टर, ८ मिनिस्टर और ८ डिप्टी मिनिस्टर १७ का पूरा बजट रखा था । पर मिनिस्टर ७ ही हुए, एक मिनिस्टर का खर्चा फिर इस हिसाब से हम पहले स्वीकार कर चुके हैं, वह काटा नहीं गया है, वह इस में जोड लिया जाय; तो १४० हजार से बहुत ज्यादा बढ जायगा । ८ के लिये मांगा, वहां ७ ही मिनिस्टर थे । यदि पे की बात कर लें तो ८०० रुपया महीना एक आदमी को दें तो १० हजार से कम होता है, एक मिनिस्टर का १२ हजार होता है, यह रह गया सिर्फ ९ महीने का, २ डिप्टी मिनिस्टर ९ महीने रहे तो ५२०० रु० ज्यादा खर्च होते हैं । खर्च का हिसाब नही दिया है, १४० हजार किस प्रकार बढा ? यदि यह कह दें कि स्टाफ बढाया तो ५ निजी सहायक, ४ जमादार १० बाबू बढे हैं, यह खर्चा इतना ज्यादा नहीं बढा है कि १४० हजार मांग लें । मैं समझता हूं हिसाब में कहीं गडबड रही है, इसको देख लें, २८ हजार कुल मिला कर मिनिस्टर साहब का स्टाफ सब खर्चा होता है ।

अब दूसरे खर्चे की तरफ जायं तो सचमुच १४० हजार चाहिये थे । एक लाख से ज्यादा मिनिस्टर साहब के घूमने के लिये चाहिये; वह मैं समझता हूं इसमें नहीं जुडा, जो बाहर जाते हैं मिनिस्टर उनकी गाडियों का खर्चा इसमें शामिल नहीं है । यहां उनकी गाडियां जाती हैं, आती हैं उन्हीं का खर्चा इसमें शामिल है । तो शहर में मिनिस्टर की गाडी घूमे उसका खर्चा १ लाख से ज्यादा दे दें, तो इस खर्च में कटौती करनी पडेगी, मिनिस्टरों की कटौती का नहीं कहता प्रजातन्त्र में मिनिस्टर रक्षक होते हैं आम लोगों से टैक्सेज आदि के रूप में वसूल की गई धनराशि के वे प्रहरी हैं, उनको तो ज्यादा रखें पर खर्च में कमी करें ।

अभी कुछ भाइयों ने बताया, मिनिस्टर साहब सेक्रेटेरियट में नहीं मिलते हैं, बहुत से ज्यादा तर दौरों में रहते हैं । नाम लेने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसे मिनिस्टर साहब के हालात जानता हूं जो चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा दौरे करते हैं और वे भी अपने घर में दौरे करते हैं, बाहर नहीं जाते । मुख्य मंत्री बाहर दौरे करते हैं, सारे राजस्थान में चीफ मिनिस्टर यदि ५० हजार मील घूमेंगे तो वे अपने घर में ही ६० हजार मील घूमेंगे। यह खर्चा नहीं बर्दाश्त करेंगे, कर देकर के । इस खर्चे को कम करना पडेगा और नहीं करेंगे तो निश्चय ही वे बातें सुननी पडेगी जो दूसरे कहते हैं ।

इसके साथ खर्चा इतना ही नहीं जो हमने दिया है । ८.६२ हजार की मांग स्वीकार की थी अब वह और बढ जावेगी , दस लाख हो जावेगी । गाडियों का खर्चा लें गैराज का । ७१ गाडियां हैं । उन ७१ गाडियों के लिए ७१ ही ड्राइवर हैं । वह सारा खर्चा यदि जोडा जाय तो कितना होगा ? सिवाय मिनिस्टरों की मोटरगाडियों के और मोटर गैराज की कोई जरुरत नहीं है । सरकारी तौर पर चलाते हैं । कोई किसी प्रकार की

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

कम्पनी नहीं है जिससे कि उसको कोई आमदनी हो। तो यह जो खर्चा है वह भी उसमें लगा दिया जाय। क्यों नहीं इसको रोडवेज के पास रख दिया जाय ? जब आपको बाहर जाना है तो राजस्थान रोडवेज को लिख दीजिये, वे बाहर जाने के लिये आपको गाडी भेज देंगे। तो उससे भी मालूम हो जावेगा कि वास्तव में कितने मील चलते हैं; लेकिन वह खर्चा तो दूसरे डिपार्टमेन्ट का है। गाडियों की मरम्मत और पेट्रोल; उस पर २० परसेन्ट ज्यादा लगाकर इस खर्चे को निकाल लेते हैं। कहते हैं कि मोटर गैराज का खर्चा नहीं है दूसरों से आ जाता है। मोटर गैराज वाले मरम्मत करें तो ४,०००) का ४,८००) बैठता है। जितना आपको घूमना है तो हिसाब बता दें कि इतना इतना घूमें। जो लोग घर गये, बिना सरकारी काम के, तो मैं समझता हूं कि वे इतने शानदार लोग हैं कि कह देंगे कि हम अपने घर गये।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप–मंत्री, शिक्षा) : बडे ईमानदार हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आधा खर्चा तो इसमें होता है वह गायब हो जावेगा। जब घर जाना चाहें तो कह दिया कि टूर पर गये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, हम सब कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर यह किसका मसला है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपका भी हो सकता है, आप ध्यान से देखें तो।

श्री निरंजननाथ आचार्य: बतला दीजिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप यह चाहते हैं कि मैं आपको यह बताऊं कि फलां का यह काम है, मैं उनका नाम बताऊं और मैं उनसे लडता फिरूं यह मेरा धन्धा नहीं है। दूसरों से मैं लड लूं, यह मेरा धन्धा नहीं। आपका यह काम है। आपने तो जिन्दगी भर ही यह धन्धा किया है।

इस कट मोशन के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि यह १ लाख ४० हजार का खर्चा है इसके ब्योरे के साथ दे दिया जाय कि किस किसमें यह खर्च हो रहा है। और पहले वाला खर्चा गलती से स्वीकार कर लिया गया मिनिस्टरों का तो वह इसमें से काट लिया। इसके बाद चिकित्सा के लिए आया ४० हजार रुपया। चिकित्सा के लिए सेक्रेटेरियट में १ लाख रुपया दिया है और ४० हजार और बढा रहे हैं। क्या इसी हिसाब से और डिपार्टमेन्ट्स को देते हैं ? दे नहीं रहे हैं। आपने फिर ४० हजार रुपया बढ़ा दिया। और लोग भी नौकरी करते हैं, केवल सेक्रेटेरियट के ही नहीं। बीमार हो गये हों और ज्यादा जरूरत पड़ गई हो तो वह सामने आ जाय कि कौन बीमार पड़ा, किनको मिला। मुझे जहां तक जानकारी है वहां जो काम करने वाले हैं, फोर्थ क्लास, एल. डी. सी., यू. डी. सी. एक लाख के करीब हैं उनको उन से कम मिलता है। ६१.४० हजार में से अधिक उन लोगों को मिल जाता है जिनको अधिक वेतन मिलता है। नीचे के लोगों को ताकत की खुराक नहीं मिलती है, वे बीमार हो सकते हैं, यह तो माना जा सकता है। पांच रुपये के बिल के लिये भी वे लोग घूमते फिरेंगे, उनको नहीं मिलेगा। जब कि ऊपर के लोग ज्यादा ले जाते हैं। आप एक बात तो यह तय कर लें कि गजटेड ओफिसर्स को,

(श्रीगोकुलप्रसाद शर्मा)
जिनको अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, उनको इस प्रकार से दवाखानों से दातव्य रूप में दवा नहीं मिलनी चाहिये। इस प्रकार से उनको दवाई देना मैं तो दातव्य रूप में ही मानता हूं। उन लोगों को इस प्रकार से दवा मिलना बन्द कर देंगे तब ही नीचे के लोगों को कहीं जाकर दवा मिल सकेगी। अगर उन लोगों को दवा चाहिये और वे बीमार होते भी हैं तो उनके लिए होस्पिटल बना रखे हैं वहां से वे दवा लें और विशेष दवा की आवश्यकता हो तो वे अपने पास से पैसा खर्च करके बाजार से प्राप्त करें। सरकार उनको कोई इसके लिए पैसा न दे। ये लोग रात-दिन जाने कैसी कैसी दवाइयां लेते रहते हैं।

अब आता है मनोरंजन। हमने इस साल एक कटौती की है। उसके शिकार हुए हैं सामान्य प्रशासन में फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स, एल. डी. सीज. और यू. डी. सीज.। फिर मनोरंजन किस बात के लिए करना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम। १० हजार रुपया प्रथम स्वीकार किया था। ३० हजार रुपये की डिमान्ड और आयी। इसको आप किस काम में खर्च करना चाहते हैं? करीब एक हजार से ऊपर तो फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स को कम किया, सामान्य प्रशासन में से २०० एल. डी. सीज. और २०० यू. डी. सीज. को हटाया। हटाने में दर्द हुआ है। फिर मनोरंजन का खर्चा कहां से आ जाता है? ऐसे समय में तो मनोरंजन नहीं करना चाहिए। एमरजेन्सी की बात करते हैं, ऐसे समय में मनोरंजन करना शोभा नहीं देता है।

इसके बाद राजस्व मंडल में एक अतिरिक्त सदस्य हमने और बढ़ाया है। इस के लिये १.६८ हजार रुपये की विशेष मांग की है। एक अधिकारी है। कोई बढ़ाना बुरा नहीं है। मैं नहीं मानता जैसे किसी सदस्य महोदय ने कहा कि उनको रेवेन्यू का ज्ञान ही नहीं है, पढ़ लेते हों, अच्छी बात है। उसके साथ एक लेखाधिकारी, ८ यू. डी. सीज., ७ एल. डी. सीज., ४ फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स; इतने से में १,१८ हजार रुपया खर्च होगा। क्या खर्चा किया है और उनके नहीं जाने से प्रशासन से और किसी की भी कमी आयी है, किसी को हटाया है या प्रमोशन दिया है? हमने बढाया है। १,१८ हजार रुपयों की पूरी जानकारी मिल जाय सदन में तो मालूम हो कि कहां खर्चा करते हैं। साधारण सी बात है। एक व्यक्ति को बढाया है और उस पर १,१८ हजार रुपया खर्च हुआ है।

५४ हजार रुपयों की राशि हमसे मांगी गई है विभिन्न विभागों के स्टोर्स का सत्यापन करने के लिए। हमारे पास मुख्य लेखा अधिकारी हैं जिनका काम सत्यापन करने का शुरु से ही है, नया काम नहीं सौंप रहे हैं उनको वर्ष में करीब ८.८८ हजार की डिमान्ड स्वीकार की है। ८.८८ हजार में सत्यापन नहीं कर पाये तो ५४ हजार में क्या करेंगे। या तो इन्होंने पहले काम नहीं किया था; किया तो उन पर इसके लिए एक्शन लिया जाना चाहिए और विभागों का जो स्टोर है उन के लिए रजिस्टर रहना चाहिये जिसमें प्रत्येक आइटम की एन्ट्री होनी चाहिये और उन पर प्रतिदिन अधिकारी के दस्तखत होने चाहियें, सामान वगैरह की आमद-निकास आदि पर साइन होने चाहिये। वर्षों तक स्टोर के अकाउन्ट नहीं बनते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, सत्यापन के लिए आप और ५४ हजार की डिमान्ड कर रहे हैं। २६ आदमी आप बढायेंगे। ४०० आदमी मुख्य लेखाअधिकारी

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

के पास दे रखे हैं। कम नहीं होते हैं। सत्यापन नहीं करते हैं तो क्या काम होता है। लोकल फन्ड ऑडिट का आखिर क्या काम है? उनको सत्यापन हमेशा करना चाहिये नहीं करते हैं तो एक्शन लेना चाहिये। जरा जरा सी बातों पर किसी ने कह दिया कि सत्यापन इसलिए नहीं किया कि स्टाफ नहीं है, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इस तरह से तो दिन-रात खर्च बढ़ता जावेगा और एक दिन इस ढंग से क्या हालत लावेंगे, प्रान्त की, यह मालूम नहीं। इसको कम करना चाहिये। इसको हमें समझना ही चाहिये।

आपने २.४ लाख रुपया, जो सरप्लस कर्मचारी हो गये हैं उनके लिये मांगा है। दस हजार की पहले मांग की थी और अब २ लाख ४ हजार और चाहा गया है। जो सरप्लस कर्मचारी थे उनको खाली बैठा रख कर उनको वेतन दिया गया है। ५४ हजार जो आप और स्टाफ के लिये मांग करते हैं क्या आप उनसे वह काम नहीं ले सकते। बैठा कर वेतन देने के बजाय उनसे विभाग का सत्यापन करवाते। इस संबन्ध में भी जानकारी दी जाय। सरप्लस कर्मचारी जो सेक्रेटेरिएट में बैठे रहे और हाजरी कर वाकर बाजारों में घूमते रहे, इस तरह से जहां आप बगैर काम लिये हुए सरप्लस कर्मचारियों को वेतन देते रहे क्या आप उनसे यह काम नहीं करवा सकते थे और काम करवाने के लिए और ५४ हजार की मांग करते हैं, हमें जब सरप्लस स्टाफ की कटौती करना था उस समय सारे विभाग द्वारा एक योजना होनी चाहिये कि हम जब इनको सरप्लस कर रहे हैं तो इनको बाद में क्या काम दिया जायगा। इस तरह से सरप्लस कर्मचारी महीनों बैठे रहे बिना किसी काम के, उनको काम पर लगाना चाहिये था। इस तरह से काम करना गैर जिम्मेदारी की बात है। इतना ध्यान पहले क्यों नहीं दिया गया? इससे हमें २.४ का नुकसान हुआ और इस तरह से प्रान्त की जनता को ज्यादा टैक्स देना पड़ा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आपने पन्द्रह मिनिट के लिये फरमाया था। मेरी आदत नहीं है कि एक बार घंटी बजाने के बाद फिर बार बार घंटी बजवाता रहूं।

हां, तो मैं निवेदन कर रहा था, १६ हजार रुपये की राशि कोषागार के अन्तर्गत व्यय चिकित्सा के लिये मांग की गई है। अब मैं थोडा सा इस पर निवेदन करना चाहता हूं। चिकित्सा का भार है वह किस पर खर्च कर रहे हैं। हमें इस चीज में तो बडी खुशी का अनुभव होता है कि सप्लीमेन्टरी ग्रान्टस जो सामने आई हैं उसमें बताया गया है, किस लिये यह मांग की है, तीन हजार सेक्रेटेरिएट की मोटर पर खर्च होता था उसके बजाय पांच हजार की डिमान्ड आयी है। मनोरंजन कर के लिये पहले १० हजार दिया है वहां १६ हजार और चाहिये। मैं चाहता हूं कि हमें यह विश्वास दिलाया जायगा, अन्य अदर चार्जेज का जो खर्चा दिया गया है सरकार उसको उसी प्रकार खर्च करेगी जिस प्रकार कि आज मांग की जरूरत आयी है। हमें क्या मालूम बिजली और पानी के लिये किसी विभाग में पच्चीस हजार रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन वह खर्च नहीं हो पाये तो उसमें से अन्य काम पर खर्च कर दिया, यह

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

प्रवृत्ति बहुत खराब है। मेरा ख्याल है, इस तरह से हमें १ करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होता है। लोग स्टाफ की स्वीकृति करा लेते हैं और स्टाफ नहीं रखते हैं और इस तरह से जो पैसा बचता है वह इस ख्याल से कि मुख्य शीर्षक एक था उसको किसी दूसरे काम पर खर्च कर देते हैं। मैंने अधिकारियों को यह कहते सुना है कि आपके पास बजट था और आप खर्च नहीं कर पाये हैं। पांच आदमियों को जहां रखना था उस स्थान पर नहीं रखा और दूसरी जगह रख दिया और चार्ज उस हैड में कर लिया और कह दिया गया कि मुख्य शीर्षक तो एक था। हम डिमान्ड तो किसके लिये पास करते हैं और खर्च किसमें हो जाता है। यह तो हमें तब पता चलता है जब फाइनेन्शियल अकाउन्ट्स हमारे सामने आते हैं। उसमें भी पूरी तरह से पता नहीं चलता ऐसा होता है कि चार चीजों के लिये मांग की जाती है और खर्च एक पर कर दिया जाता है। मकान के लिये मांग होती है और वह रुपया खर्च हो जाता है फर्नीचर में या नल बिजली पर, लेकिन जिस किसी पर खर्च होता है वह सब सामने आना चाहिये और उसमें यह होना चाहिये कि इससे ज्यादा की सप्लीमेन्टरी डिमान्ड नहीं है। दवाइयों के लिये सारे विभागों के लिये देखा जाय, जितने का हम प्रोवीजन करते हैं उससे कहीं अधिक खर्च हो जाता है। जो कुछ भी खरीदी की है वह सामने आनी चाहिये, इसमें एक दूसरे के एडजस्टमेन्ट का पता नहीं लगता। जयपुर शहर के जितने भी औषधि-विक्रेता हैं वे उतनी औषधियां खरीद कर नहीं लाते हैं जितने के केश मीमो बनकर सरकारी कार्यालयों में पेश होते हैं। थोड़ा सा परसेन्टेज लेकर दूकानदार से कैशमीमो ले लेते हैं। यदि वास्तव में हमारी नैतिकता इतनी गिर चुकी है तो हमें दुख होगा। इसको बचाने के लिये हमारे पास एक ही काम है और वह यह कि जितने खर्चे के लिये हम मांग करते हैं और जिस हैड के लिये करते हैं उसका हिसाब बराबर आना चाहिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अब एक निवेदन और यह करना है और वह यह कि हमने सदन में सिर्फ बजट की एक डिमान्ड स्वीकार की थी २.३१,८८ हजार रुपयें की सामान्य प्रशासन की। अक्टोबर में हमने कटौती की है १ लाख ७७ हजार की। अब जो डिमान्ड्स आयी हैं उसके अनुसार इसमें बढोत्तरी है। लेकिन जैसा हमारा अन्दाजा था वह अन्दाज सही नहीं था। २.३० लाख पहले का है और २.३७ का अब किया है। मैं समझता हूं जो किताबों का २.३९ लाख है वह चक्कर है जिसे निकाल देना चाहिये। हिसाब के मामले में जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने फरमाया था कि बजट बनाने के समय बजट पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिये। हम यहां आपके पुलिस के बारे में आलोचना नहीं करते, इन्डस्ट्रीज के बारे में नहीं करते, लेकिन जो जनता से आपके पास पैसा आया है वह खर्च किस प्रकार कर रहे हैं, यह हमें देखना है। वह यदि पूरी तरह से नहीं बताया जायगा तो हम जनता को जिनसे चुनकर आये हैं उनको नहीं बता सकते कि आपसे जो पैसा लिया गया, कर के रूप में, वह कहां कहां खर्च किया गया? इसलिये सरकार को पैसे पैसे का हिसाब बताना चाहिये।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि चार बजे के बाद सरकारी पक्ष का जवाब होगा और उसके बाद में मुखबन्ध का प्रयोग होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आज और कल अनुपूरक मांगों पर बहस हुई और हम इस पर संकटकालीन स्थिति के अन्दर विचार कर रहे हैं। जिस बात की हर तरफ से हर चीज को जायज करने के लिये संकटकालीन स्थिति का नाम लेते हैं, हमारे दिमागों पर असर है उस संकटकालीन स्थिति का। इस वजह से हम इस पर एक विशेष ढंग से सोचते हैं। यह सारे देश का प्रश्न है, इसका मुकाबला करना हर देश के नागरिक का कर्तव्य है और इसके लिये हमें अपनी ताकत इस अर्थ-व्यवस्था को इस लायक बनायें जिससे दुश्मन का मुकाबला किया जाय।

ये अनुपूरक मांगें अपना कुछ महत्व रखती ह। बजट तो किसी हद तक एक अन्दाज से पेश होता है, उसमें जो फिगर्स आते हैं, उसे हमें मान्यता देनी पडती है। उसके बारे में हम विचार करते हैं और उसे पास कर देते हैं। उस पैसे का क्या हुआ, आज खर्च होगा या कब होगा उसके ऊपर अभी जोर नहीं दिया जा सकता। आज इस बात का महत्व है कि अनुपूरक मांग के जरिये जो विचार हम कर रहे हैं साल के आखिर में जो ये मांगे आयी हैं वह इस बात का द्यौतक है कि एक्चुअल खर्चा यह हुआ है तो उस पर हमें कहने का मौका मिलता है। आज अच्छी तरह से जोर देकर सरकार की मदद करें और सही तौर से सोचें तो यह ज्यादा सहायक होगा अपने कर्तव्य को करने के लिये। इसलिये मैं इस अनुपूरक मांग को महत्व ज्यादा देता हूं। मैंने इस संबंध में दिये गये कटौती के प्रस्तावों को भी देखा, उसी तरह के कटौती के प्रस्ताव मैंने भी किये थे जबकि दूसरी तरफ से वैसे प्रस्ताव आ चुके थे। मैंने फिर इसलिये जोर नहीं दिया कि एक प्रकार के प्रस्ताव आ चुके थे। इस तरह के जो प्रस्ताव किये गये हैं उसमें राजनैतिक दृष्टिकोण ज्यादा दिखाई दिया है। उस पर जो भी बात कही गई वह एक खास स्पिरिट लेकर थी, उसको भी मैंने देखा। आज जो अनुपूरक मांग प्रस्तुत की गई है उसको पेश करने का जो तरीका है वह मैं समझता हूं ठीक होना चाहिये। मैंने भी इस पर कटौती के प्रस्ताव किये हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है कि एक डिप्टी मिनिस्टर के लिये ७० हजार रुपये का खर्चा होता है। एक अजीब सी बात है कि क्या इनका स्टेन्डर्ड दूसरे देशों में रहने वाले लोगों से ज्यादा है? क्या हम दूसरी स्टेटस के डिप्टी मिनिस्टर्स तक स्टेंडर्ड को ध्यान में रखते हुए ही कर रहे हैं? इसमें सोचना यह होगा कि हमारी जो नीति है क्या उसके अनुसार यह खर्च हो रहा है वह वाजिब है? उनको कम करने के लिये कुछ दिया गया है या नहीं। यह जो तरीका है, इस तरह से मांग रखने का, मैं समझता हूं यह गलत तरीका है। मैं वित्त मंत्री महोदय से कहूंगा, इसको रखने का तरीका है वह दूसरी तरह का बनायें। आज तक जिस प्रकार के हैड्स बनते आ रहे हैं उस तरह के हैड्स न करें। क्योंकि आखिर जनता के सामने हमें हिसाब देना है जो तरीका आपने हैड्स वगैर बनाकर रक्खा है वह गलत है, उसको बदलना चाहिये। आपने यह मांग इस तरह से की कि एक ढेला १.४० हजार का फेंक दिया आखिर यह १.४० हजार खर्च किसमें

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
करेंगे, घर थोड़े ही ले जायेंगे। मंत्रियों को जो वेतन मिलता है उसका हिसाब अलग होना चाहिये और दूसरे दूसरे प्रकार के खर्चे हैं उन पर उनका हिसाब अलग होना चाहिये। सरकार को अपनी भव्यता को रखने के लिये जो होना चाहिये उसको अलग रखना चाहिये जिससे सरकार का सही दृष्टिकोण हमारे सामने आ सके तो अच्छा होगा। भविष्य में वित्त मंत्री इस तरफ ध्यान देंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारा यह सोचने का तरीका गलत है। हर तरह से जायज-नाजायज तौर पर जो सोचने का तरीका है और बातें रखने का तरीका है वह गलत है। यह तो सारे सदन के सोचने की बात है। कांग्रेस या जनसंघ किसी भी पार्टी के सदस्य द्वारा हो। आज मंत्री मंडल में किसी को लेने का या उतारने का अधिकार दल के नेता को है और वह मुख्य मंत्री को है, वे किसी को लें या किसी को बैठायें, यह उनका दृष्टिकोण है। इस पर सदस्य कुछ भी कहें, उनका कोई महत्व नहीं रखता। मैं यह कहता हूं हम जो यहां इस प्रकार की चर्चा किया करते हैं क्या उसके लिये दूसरे देशों में भी इसी तरह की परम्परा है? हमारी जो नीति है वह कांग्रेस की नीति है और वही नीति सारे देश की है। हर देश की फारिन पोलिसी का जहां तक ताल्लुक होता है वह एक होती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): नाकारे की नीति है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: क्या कहा, सुना नहीं?

श्री मुकुटबिहारी लाल: गलत नीति है आपकी विदेश नीति।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आप यहां चाहें कुछ भी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी में आपको यह छूट जरूर है, लेकिन दूसरे आजाद मुल्कों में आप इस तरह की बातें करते तो क्या किया जाता, यह आप जानते हैं?

श्री रामकिशन (वैर): अन्डे, सडे टमाटर फेंक दिये जाते हैं और कुछ नहीं किया जाता।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, वित्त): उसको भी आजमा कर देख लें।

श्री उपाध्यक्ष: आप दूसरों को जवाब देने का फिक्र न करें, आप अपना कर्तव्य आरम्भ रखें।

श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा: जिनके सोचने और समझने के लिये दिमाग के किवाड़ बन्द हैं उन दिमागों को बीच बीच में बाधा होती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: यह उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रकार से रिफ्लेक्शन है इसलिये माननीय सदस्य को बाधित किया जाय कि इस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग न करें।

श्री उपाध्यक्ष: It is an expression of opinion, not reflection.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): यह तो उनके दिमाग की विकृति को प्रकट करता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं वोट तो इधर ही दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास: इसी को तो विकृति कहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस सदन के सदस्य हैं, हमारी भाषा में संयम होना चाहिये। जहां तक हमारी विदेश-नीति का सवाल है वह किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। सरकार की तरफ से जो पोलिसी होती है वह सारे देश की पोलिसी होती है, उसमें किसी के डिसक्रीशन का सवाल नहीं और सदन को अधिकार भी नहीं कि उस पर कुछ कहा जाय।

हमें दुश्मन का सामना करना है और उसके लिये हमें एक मत होकर और संगठित होकर कार्य करना है। इसमें मैं समझता हूं कोई दो राय नहीं रखेंगे।

चुनाव होते हैं। जनता में जाकर हमें कहना कि हमसे जो पैसा कर के रूप में लिया जाता है उसका उपयोग सही तौर से हो रहा है। आपको जनता के बीच जाकर कहने का कुछ भी हक हो सकता है लेकिन हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसको बदलने का जहां तक सवाल आता है उसके लिये आप बाधित नहीं कर सकते। आप समझते हों कि किसी के दवाव से यह बदल दी जायगी, यह हो नहीं सकता। अगर आप हमारी नेशनल पॉलिसी के बारे में चुनौती देते हैं तो हम दो पहलवानों की तरह आपकी पॉलिसी का मुकाबला करेंगे। यहां आते हैं और जरा सी ठंडक मिली कि अपनी नीति को भूल गये, इसको मैं गलत समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उप-मंत्रियों की बात कह रहा था। इस बारे में जो सवाल उठाया गया जनसंघ या दूसरी पार्टी की ओर से, वे इस तरह से सवाल उठाते हैं जिस से अड़चन आती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं...

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : हम सारे अपने भाषणों को वापिस लेने के लिये तैयार हैं।

श्री रामकिशन : आपको कुछ अड़चन आती हो तो हम सभी कुछ विथड्रा कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य-गण इन्टरप्ट न करें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : इन्हें भी उप-मंत्री बना दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जिस होटल का मैं मैनेजर बनता हूं तो उसका चपरासी भी मैं आपको नहीं रखूं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Continue.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात को सही तौर से कह रहा हूं और बड़े अदब से कह रहा हूं उस बात को भी माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते। इसके साथ-साथ जिन बातों को वे कहते हैं, उस पर भी वे चलेंगे या नहीं। ऐसा कहने का असर नहीं होता। यह सही है कि हमारे पंडितजी ने कहा है कि कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वे चाहें तो अपनी मिनिस्ट्री में कमी कर सकते हैं। पंडितजी आपके कहने से नहीं चलते। यद्यपि आप मिनिस्टर्स को गरमायेंगे तो शायद उनको छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है लेकिन उस से पहले नहीं।

तो, मैं यह अर्ज कर रहा था और इसके साथ मैंने अदब से कहा है कि इस बात को सोबरली सोचना चाहिये, हमारी ताकत होनी चाहिये हमारे देश में। परन्तु एक बात बता देना चाहता हूं कि सच आप भी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कहते हैं, सच मैं भी कहता हूं। महात्मा गांधी भी सच कहा करते थे और ईसामसीह भी सच बोला करते थे, परन्तु आप जो सच कहते हैं तो आपके कहने का असर आपके अनुसार पड़ता है और मेरे कहने का असर मेरे अनुसार पड़ता है। आप स्वयं समझते हैं कि आप कहां बैठे है, इसलिये जो बात आप कहते हैं वह आपकी बात कोई महत्व नहीं रखती बल्कि जिस चीज को आप करना चाहते हैं उसके आप आड़े आते हैं। राज्य का काम करने के लिए एक मिनिस्टर रखा जायेगा, लेकिन यह देखने की बात है कि हमारी एफीशियेन्सी कम नहीं होनी चाहिये। मैं आपके साथ आवाज मिला कर कहता हूं मुझे चीफ मिनिस्टर से कोई डर नहीं लगता, मैं कोई हिचकिचाहट नहीं करता। कोई पार्टी की बात नहीं है। आप पार्टी की बात करते हैं, आप कहते हैं इसलिये हमको भी कहना पड़ता है। मिनिस्ट्री में चाहे आप अकेले रह जाइये, इसका हमें एतराज नहीं है लेकिन मैं आज कहता हूं कि प्रतीकात्मक, सिम्बोलाइज्ड इनएफीशियेन्सी के जो अवतार इस राजस्थान में घूमते हैं उस ओर आपको गौर करना चाहिये। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। यह एमर्जेन्सी का सवाल है, किसी पार्टी का सवाल नहीं है। मैं कहता हूं कि हम जनता में जाते हैं तो हम कह सकें कि मिनिस्टर लोग पसीने से काम करते हैं। अगर उनको हमारे नेता महोदय में विश्वास है, संतोष है तो हमें भी संतोष है। लेकिन उनको स्वयं को शुबहा है वह भी महसूस करते होंगे, इधर उधर देखते होंगे शक्लें। तो मैंने आपके सामने एक बात कही नेशनल एमर्जेन्सी की।

मैं आपसे कहता हूं कि आज करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और आपको आज यह भी ख्याल नहीं आता कि आपके ही कलीग यहां बैठे हैं, उनके बारे में जब खर्च की बात आती है तो आप पोलिटीकल ढंग से बातें करते हैं। गलत बात है। मैं तुम्हारे २००) रुपये की बात करने लगूं या मिनिस्टर्स करने लगें तो वह शोभा की बात नहीं है। हमको जो मांग करनी है वह इस तरह की करनी है कि आज नेशनल एमर्जेन्सी है इसमें एक एक सदस्य इस बात पर जोर देगा कि हम एफीशियेन्सी मांगते हैं और ऐसा देखना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से काम करें। आप एक एक पैसा जो जनता का लेते हैं उसके प्रति बफादार हों और अगर इस तरह से काम करने की क्षमता नहीं रखते तो तुम्हारी आत्मा तुमको काटनी चाहिये और तुमको खुद निकल जाना चाहिये, मैं यहां तक इस बात को फील करता हूं।

तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस मसले पर इतना बोलना नहीं चाहता था लेकिन यह तो मेरे मित्रों ने जिस तरह की बात उठाई मैंने सब सदस्यों की निगाह इस बात की तरफ खींची है। आप और हम महसूस करते हैं तो हमें आपको भी कहने का अधिकार है और हम सब को भी कहने का अधिकार है।

तो, मैं अब इसके बाद खर्चे की मद पर आता हूं कि अनुपूरक मांगों की मांग है कि जैसे कम्पनी लॉज में अपने यहां करती है और हम सब शेयरहोल्डर्स हैं, हमारे डाइरेक्टर्स के सामने। हमें जानने का हक है, हम शेयर-होल्डर्स हैं इस बात को मत भूलिये और इसके अन्दर आपको पूरी तरह से हमें सन्तोष दिलाना होगा कि जो मांग जिस तरह से आई उन मांगों को हम किस तरह से खर्च करेंगे। इसके ऊपर हमें पूरी तरह से विचार करना

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चाहिए। यह जानने का जनता की तरफ से अधिकार है। वही जनता जो हमको टैक्स देती है वह सब जनता ने हमको यहां इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने के बाद में उस पैसे का चौकीदार हमारे जरिये आप लोगों को बनाया है। हमारे लोगों से आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। आप रख देते हैं एमर्जेन्सी में एन्टरटेनमेन्ट टैक्स १० हजार के बजाय ३० हजार के। किस बात का आपका एन्टरटेनमेन्ट टैक्स ? रोटियां नहीं मिल रही हैं। एन्टरटेनमेन्ट क्या है ? क्या स्पैलिंग है इसकी ? क्या हो रहा है इसके अन्दर ? मैं जानना चाहता हूं। तो पहले हमें यह देखना होगा डाइरेक्टर्स ने इसके अन्दर क्या किया ? झट से उठाकर ३० हजार कर दिया काका लोगों ने। यह ३० हजार कहां से आ गया आपको बतलाना होगा। हमको समझाना होगा और नहीं समझा सके तो इस सदन को पूछने का अधिकार है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि और भी मांगे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)।

श्रीमान जी इस पार्टी की तरफ से जितना टाइम होना चाहिए वह मैं......

श्री उपाध्यक्ष : इस पार्टी की तरफ से मुख्य मंत्रीजी इत्यादि सभी बोलेंगे। Five minutes, more.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत मैंने जो सुझाव रखे हैं वे पूरे विश्वास के साथ रखे हैं। उसमें एक बड़ी दर्दनाक बात की तरफ इशारा करता हूं। हमें इस नीति को बदल देना चाहिये। मैं सदस्यों का ध्यान कान्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी की तरफ दिलाऊंगा। मिनिस्टरों से चेम्बर में जाकर मिलना पड़ता है, लेकिन जो बेचारे नहीं बोल सकते हैं; सर्विसेज वालों को, जिनके लिए आप कभी कभी कहते हैं, उस कहने के बारे में मैं कहना चाहता हूं, कहने का हक है। हम उनको जानते नहीं। यह सदन नहीं जानता। ट्रेजरी बेन्च में बैठे हुए हैं आप, उनका नाम मत लीजिए, उस कन्सर्न्ड मिनिस्टर का नाम लीजिए कि आपने यह किया है, किसी ने रुपया खाया तो मिनिस्टर का नाम लीजिए और फिर उससे कहें कि बोल क्या कहता है ? यह कहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट धारणा से इस बात को कहना चाहता हूं उसका असर ज्यादा पड़ने वाला है। ऐसा जम्वल हो रहा है इस एमर्जेन्सी के टाइम पर कि इन बंधनों को काट दो। किसी काम के लिए मिनिस्टर साहब से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि अरे भाई देख लेंगे उसका क्या किया है। अब कौन करता है क्या इसका पता नहीं चलता। इस व्यवस्था के ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर हमारे रिप्रेजेन्टेटिव हैं जिनको हमने बिठाया है। उसको कन्ट्रोल करने में आप फेल होते हैं तो स्टीयर छोड़ दो। लेकिन यहां कितने स्टीयर्स हैं पता नहीं, कितने साइकोफैन्ट्स हैं पता नहीं जिसके ऊपर अमर बेल छाई हुई है। आप सदन के प्रति जिम्मेदार हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिये। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि अपने दुखों को दूसरों के ऊपर डालकर जो काम करना चाहते हैं तो वह कभी अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि जब यह सदन शुरू हुआ तो आपको भी इनवाइट किया गया कि जब करप्शन की बात हो तो पार्टी की तरफ से नहीं होनी चाहिये। जब आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं तो मुझे दुख होता है। इतने स्वार्थी हो जायें एमरजेन्सी के समय कि जो पार्टीबाजी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

की बात करने लगे तो ठीक नहीं है। इस समय तो सोचना चाहिए कि हमारा राजस्थान किस तरह तरक्की करे, यह एमर्जेन्सी के समय सोचना चाहिए; इस तरह से हमको चलना चाहिए।

अब मैं आ रहा था उस बात पर जो कि बड़े दुःख की बात है। उसको १० मिनट में करके वह कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : No ten minutes.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं खुद पहली मर्तबा बोल रहा हूं। सारा सदन कहता है कि ४ बजे तक बोलें तो मैं उसके पहले ही खत्म कर देता हूं, यह अन्डरटेकिंग देता हूं।

एक बड़े दुःख की बात कहता हूं सदन के सदस्यों से कि जो हवा में मोरल डालने की बात कहते हैं वे उप-मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय; इसलिए मैं नेता महोदय से कहता हूं कि हमारे गवर्नमेंन्ट सर्वेन्ट्स के दुःख की बात मत पूछिये उनको कोई निश्चय नहीं है कि उनको कौनसा मौका मिलेगा। किसी का भविष्य निश्चित् नहीं है। वे बेचारे निश्चित् नहीं काम में मैं कोई उनकी सिफारिश नहीं करता हूं लेकिन उनको निश्चिन्तता नहीं है। कहीं सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी है। आज १५ साल से इन्टीग्रेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। वे खुद नहीं जानते हैं, सर्विस वाले नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस हुकूमत के चलाने वालों से कि आपके जो नौकर हैं राजस्थान के अन्दर उन्हें आपको सिखाना है कि कैसे चलना है, कहां रहना है और किस सिद्धान्त के मातहत इस राजस्थान की सेवा करनी है। वे आज १५ साल तक नहीं जानते हैं।

मैं अजमेर की बात कहता हूं जिसकी कि मैं जानकारी रखता हूं। एक दफा, नेता महोदय, शायद आपको मालूम होगा कि मैंने आपसे कहा था लेकिन आप यहां नहीं थे। मुझे दुःखपूर्ण ढंग की जो बात कहनी है वह यहां पर वित्त मन्त्री महोदय नहीं हैं जिन्होंने कि आमरण भूख-हडताल की थी। मुझे इसका खयाल है कि उन्होंने अजमेर की सर्विसेज़ के हक नहीं दिये। उन्होंने आमरण भूख-हडताल की। उसके २५० तार और जाने कितनी कितनी बातें हुई और जब आप नहीं थे तो उन्होंने, आपके वित्त मन्त्री ने, कहा कि इस सदन में दो मुंह नहीं चल सकते हैं। एक मुंह चलना चाहिए, यह गलत है। मैं आज भी कहता हूं कि इसका मैं बहुत ऑब्जेक्शन लेता हूं कि सब परम्पराओं को खत्म करने वाली चीज है जब कि कोई मिनिस्टर यह कहे कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि इसके फलां लोग जिम्मेदार थे। यह बात टालने के लिये कही जाती है? कटौती की बात कहें तो कहा जाता है कि मैंने नहीं की। जैसा सबने कहा वैसा किया। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह की बातों से किसका बिगड़ता है? कभी अंगूठा बतला दिया, कभी कहा दिल्ली चले जाइये, कभी कहा कि ब्यावर चले जाइये। सरकार कहे कि जनता रेस्पोन्सिबल है, यह गलत बात है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपके बाद में सब से बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। जब आपके सामने यह समस्या आई थी और आपसे बात हुई थी। मेरी भी बात हुई थी तो मुझको आपने वचन दिया था कि मेरा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
कोई ऐसा इरादा नहीं है। सब के साथ में न्याय होना चाहिये। जो अन्याय मानते थे, जिन्होंने भूख-हड़ताल और आमरण अनशन कर रखा था। जो एक प्रकार से स्टन्ट था अजमेर में, वे नाकामयाब रहे थे सर्विसेज के बारे में। वे खुद वहां पर होम मिनिस्टर थे और खुद फाइनेन्स मिनिस्टर थे। तो उन लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए उन्होंने भूख-हड़ताल की थी, उस वक्त आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि मैं कोई ज्यादती नहीं देखना चाहता और जहां भी मेरे नोटिस में आये मैं ठीक कर दूंगा····

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : नेता महोदय ने किया था या वित्त मन्त्री महोदय ने ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको डिफेन्स में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं ने स्टन्ट नहीं कहा। भूख हड़ताल जरूर कहा था कि वित्त मन्त्री ने की थी····

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने विषय पर रहें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : ये बीच में करते हैं।

तो, मैं अजमेर सर्विसेज के बारे में कह रहा था। वे थोड़े से लोग थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्टीग्रेशन के मामले में बिल्कुल साफ कर दिया गया है। जिन लोगों की संस्था है और राजस्थान में जिनका ऑर्गेनाइजेशन है उनके हाथों दिया गया है कि वे अजमेर की जो सर्विसेज हैं उनके केसेज हाई कोर्ट में जीतने के बाद भी गरीब हैड कॉन्स्टेबिल का केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है। यह हुकूमत है। मैं कहना चाहता हूं कि अजमेर की सर्विसेज कम हैं और सर्विसेज के लोग सरप्लस में हैं; तो सरप्लस हर मौके को चूकता नहीं है। उनको सरप्लस कर दिया जाता है तो सरप्लस के बाल-बच्चों के अन्दर तबाही मच जाती है। जब उससे कह दिया जाता है कि तुम्हें घर बैठे की तनख्वाह देंगे, आप सोच नहीं सकते कि कितने आदमी निकलेंगे। सब जगह से मांग नहीं मांगते हैं। आप उनसे कहते हैं कि कलेक्टर के यहां चले जाओ वहां लिख दिया है। आज किसी की नौकरी छूट जाय तो घर के अन्दर क्या हालत होगी? आज एक बाइ-इलेक्शन में हार जाते हैं उसका अन्दाजा लगाइये कि उनके दिमाग पर असर पडता है। वह लोगों के दिमाग को परेशान कर देता है। इससे अफसरों को मौका मिलता है कि सीनियर को छोड़कर जूनियर को बढ़ा दिया जिसने उनकी खुशामद की। आपने कमेटी बनाई है तो कटौती से पहले आप कमेटी नहीं बना सकते थे। वह देखती कि कौन जूनियर है और कौन सीनियर और इस कटौती में उनको सरप्लस करें। मैं वित्त मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कमेटी आपने बनाई होगी और आपने और भी कुछ किया होगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कमेटी पहले क्यों नहीं बनाई गई और जहां वे काम करते वहीं काम करते रहते और उसके बाद ऑर्डर होता कि तुमको यह कर दिया वहां पर जाओ। वह घर बैठे हुए हैं। अजमेर सर्विसेज को कहीं नहीं न्याय मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान के लोग ८० व ९० प्रतिशत हैं और वे गरीब १० पर्सेन्ट हैं और आपके वित्त मन्त्रीजी ने भूख-हड़ताल करके जनता के अन्दर यह चीज

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

रखी थी। उन्होंने यहां आकर जिस तरह का कम्प्रोमाइज किया है उसके लिए मुझे मेरे अजमेर वालों ने कहा है।

मैं निवेदन करूंगा कि एमर्जेन्सी में उनके घरों के अन्दर खुशी होती यदि उनका भविष्य निश्चित है और वे भविष्य में राजस्थान की सेवा कर सकेंगे। इस तरह से सर्विसेज के बारे में कहना चाहता हूं। आज इस एमर्जेन्सी के अन्दर कोई निश्चिन्तता नहीं है। कटौती की बात जब चलती है तो उस कटौती के अन्दर कोई भी आदमी महसूस करे कि उसको सेवा करनी है। कटौती के बारे में निश्चित रूप से दरख्वास्त है कि आज के अन्दर सरकार की जो मशीनरी है उसको बिल्कुल निश्चिन्त करने की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। उनके साथ न्याय अन्याय की बात करते हैं। मैंने सजेशन दिया है कि मुख्य मन्त्रीजी एक ऐसी कमेटी बनायें जो यह देखे कि इन्टीग्रेशन के बारे में न्याय हुआ या नहीं। उस अन्याय को कम करने के लिये यह हो कि उसमें बजाय आपके ऑफिसर रहें, पहले जो राजस्थान गवर्नमेन्ट थी उसके नौकर हैं क्योंकि ९० प्रतिशत हैं और अजमेर वाले १० प्रतिशत हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है, यह मैं कहना चाहता हूं, आप न मालूम कहीं तिलक कमेटी का फॉर्मूला बनाते चले जाते हैं, मालूम नहीं कहां तक उसका अन्त होगा। लेकिन बद-किस्मती है कि राजस्थान में इतनी स्टेटें थीं और तरह तरह की सर्विसेज़ के लोग थे लेकिन हम आज तक इन १५ वर्षों में उस जगह नहीं पहुंचे हैं, कहीं न कहीं कोई पैंडिग केस मिलता है। हमको एक दफा कितना ही खर्चा लग जाय लेकिन उनको निश्चिन्त कर देना चाहिये। जब सर्विसेज़ में आज भरती हुए हैं तो रिटायर होंगे तब तक निश्चिन्तता से इसी जगह पर अपनी ड्यूटी देंगे। उनसे कह सकते हैं कि अपनी ड्यूटी करो, करप्शन मत करो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी बात, आज एक आदमी मेरे पास आता है तो मैं उससे कहता हूं कि यह बात नहीं हमारी सरकार है, जाओ उसके पास। लेकिन भीड़ की भीड़ आती है जिन दिनों सरप्लस डिक्लेअर किया, जिन दिनों हमारी कमेटी चलती रही। तो सरप्लस के पहले जहां पर वे काम कर रहे थे वहीं पर इनको काम करने दिया जाता, क्योंकि घर बैठे बैठे भी तो उनको तनख्वाह देते हैं तो वहां पर भी उनको मिल जाती और बाद में जब एमर्जेन्सी के कारण जहां बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वहां पर उनको भेज देते। घर में बैठे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जमे हुए हैं उनका तबादला भरतपुर कर दें तो चले भी जावें, लेकिन जिनको यह पता नहीं कि कल कहां जायेंगे उनको मानसिक दुःख हुआ है, इस बात का मैं विरोध करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ठीक है मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप कांग्रेस कब छोड़ रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने एक बहुत ही दुःख की आवाज सुनी और वह दुःख की आवाज भी उनकी है जो एक बहुत ही जिम्मे-

(श्री हरिराम चौहान)

दार महानुभाव हैं कांग्रेस दल जो बना हुआ है उसके। हम प्रजातन्त्र के युग में रहते हैं और यह जिस तरह का भी प्रजातन्त्र है उसके अन्दर हमारी जो कांग्रेस सरकार है वह यह दावा करती है कि हम लोगों की भावनाओं को देखते हैं, लोगों की आवाज को देखते हैं, लोगों की राय की कद्र करते हैं। कहने को तो यहां तक कहा जा सकता है, घोषणाएं यहां तक की जाती हैं कि हम विरोधियों की आवाज को दबाते नहीं हैं बल्कि विरोधियों के जो सुझाव हैं उन पर हम पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब है और बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि विरोधियों की बात छोड़िये, आज कांग्रेस के जो लोग बैठे हैं, कांग्रेस के भी उन लोगों की बात छोड़ दीजिये जो साधारण आपके एम. एल. ए. हैं, जो बेचारे कम पढ़े-लिखे हैं और कम समझ रखते हैं प्रशासन के बारे में या और बातों में; लेकिन जब आप जिम्मेदार लोग ऐसी मांग करते हैं, यदि उसमें सच्चाई है, उनकी आत्मा से आवाज निकलती है और अपने इलाके की भावनाओं का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी तरफ से आवाज निकलती है तो मैं समझता हूं हमारे मुख्य मन्त्रीजी को उस पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये। आज ऐसे टाइम में जब कि एक एमर्जेन्सी का टाइम है, देश पर संकट आया हुआ है और इस संकट के टाइम में इस तरह के कानून बने हैं, जब हम मिल रहे हैं, बड़े से बड़ा बजट तैयार करने की हम कोशिश कर रहे हैं उस वक्त यदि कोई सुझाव इस तरफ से या उस तरफ से आवे और फिर मुख्य मन्त्रीजी यह कहें कि नहीं, यह तो मन्त्रि मण्डल पहले से ही कम है; पहले ही कम है, इसका मतलब यह नहीं समझा जाय कि वे दूसरे प्रान्तों से मुकाबला करें तब तो किसी हद तक कुछ प्रान्तों से यह मन्त्रि मण्डल कम है लेकिन इससे भी छोटे मन्त्रि मण्डल हैं, इससे भी ज्यादा खर्चे का बजट है लेकिन फिर भी वे उनसे कोई प्रेरणा नहीं ले रहे हैं, पंजाब से कोई प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। अभी पंजाब के मुख्य मन्त्रीजी से हमारे मुख्य मन्त्रीजी मिल कर आये और उन दोनों में कुछ बातचीत हुई होगी, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि बाकी चीजों पर उनका असर हुआ परन्तु मन्त्रि मण्डल में कमी करने का असर नहीं हुआ। अब उनको इस बात पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

अब मन्त्रि मण्डल में कमी करने की मांग कौन कर रहा है, किसकी तरफ से यह मांग हो रही है ? यह विरोधी पक्ष से ही नहीं हो रही है हम भी ऐसा चाहते हैं। मन्त्रियों में कमी करना चाहते हैं, इस बारे में हम यदि कुछ बात कहते हैं तो ये कहते हैं कि विरोधी पक्षवाले हमारा विरोध करने के लिये कह रहे हैं, उनको विरोध करना है इस लिये कह रहे हैं। यदि आप कार्यवाही को उठा कर देखें तो विरोधियों के अलावा, कांग्रेस के जो सदस्य बोले हैं उनमें से ज्यादा-तर लोगों ने कहा है कि मन्त्रि मण्डल को कम किया जाय। उसके बावजूद भी यदि मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं, यह विश्वास दिलाते हैं कि मन्त्रि मण्डल में कमी नहीं होगी। बल्कि वे यह भी विश्वास दिलाने को तैयार नहीं है कि मन्त्रि मण्डल को बढ़ाया नहीं जायगा, यह भी विश्वास दिलाने को तैयार नहीं है। यह बात नहीं है कि मन्त्रि मण्डल पर आपका पूरा अधिकार न हो, आप और भी बढ़ा सकते हैं। आप

(श्री हरिराम चौहान)

चाहें तो ३० करें, आप चाहें तो ३५ करें और आप चाहें तो ४० करें, हमको इस बात की गिला नहीं है कि आप किसी को मन्त्री बना देंगे तो सलाम करनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो आज एमर्जेन्सी है उसके लिये हम चन्दा मांगने के लिये लोगों के पास जाते हैं जिसके पास छाने को छप्पर नहीं है, जिसके पास मकान में चारपाई नहीं है, जिसके पास ओढ़ने-बिछाने के लिये कपड़ा नहीं है, फसल जिसकी बरसात नहीं होने से बरबाद हुई है, उनसे आज जब हम कहते हैं कि आप कुरबानी करो, हमको इस लड़ाई के लिये पैसा चाहिये इसलिये आप हमारी सरकार की मदद करो, सरकार के हाथ मजबूत करो। यह जरूरी है कहना और जब हम उनके पास जाते हैं तो हमको समझना चाहिये कि अपने खर्चे में क्या कमी कर रहे हैं, मन्त्रि मण्डल में क्या कमी कर रहे हैं, सेक्रेटेरियट के खर्चे में कितनी कमी कर रहे हैं? यह सवाल चाहे आपके मुख पर नहीं किया हो और जिनकी आदत है आपके दरबार में सलाम भिड़ाने की, जिनकी यह आदत है आपके चारों तरफ मंडराने की, आपकी हर बात में हां में हां मिलाने की, जो एमर्जेन्सी में भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमको भी कभी उप-मन्त्री बना देंगे, कमेटियों में रख दीजिये या किसी न किसी तरह से हमारा काम कर दीजिये, मैं उनको छोड़ कर बाकी लोगों की भावनाएं गांवों में, कस्बों में, शहरों में, जिस तरह की देखने को मिली हैं उनकी बात कह रहा हूं। आज यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हम मन्त्रि मण्डल को इतना ही रखें। पहले के मुकाबले में आज जितना मन्त्रि मण्डल है एमर्जेन्सी के टाइम में जो मन्त्रिमण्डल है उससे बड़ा मन्त्रि मण्डल शायद पहले नहीं था। क्योंकि १०-१२ साल से हम भी देख रहे हैं कि ये जो १८ मन्त्री और उप-मन्त्री बनाये हैं उससे पहले के मन्त्रि मंडल में ११ ही थे, और भी कम होंगे। मैं नहीं समझ सकता कि आज इसमें कमी क्यों नहीं की जा सकती? बहुत आसानी से कम किया जा सकता है।

इसी तरह से सेक्रेटेरियट में जो सेक्रेट्रीज़ हैं उनमें भी कमी की जा सकती है। चीफ सेक्रेटरी, एडीशनल चीफ सेक्रेटरी, कई सेक्रेटरीज़, कई डिप्टी सेक्रेटरीज़ हैं और फिर प्राइवेट सेक्रेटरीज़ हैं। एक तरह से एक फौज तो मन्त्रियों और उप-मन्त्रियों की हो जाय और सेक्रेटेरियट में जावें तो पूरी की पूरी फौज वहां हो जावे और नीचे ५०० से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले जिलों में बैठे हुए हैं। ये इन्जीनियर साहब हैं, ये असिस्टेन्ट इन्जीनियर हैं पता नहीं क्या-क्या हैं, और काम क्या है उनके पास? कहते हैं, सड़क बनाने को पैसा नहीं है। इन्जीनियर मौजूद हैं लेकिन सड़क बनाने के लिये पैसा नहीं है, इन्जीनियर मौजूद हैं लेकिन बांध बनाने के लिये पैसा नहीं है। और किसी काम के लिये कहें तो पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो फाइलें काहे को इकट्ठी कर रहे हैं? क्यों कलम-घिसाई कर रहे हैं? देश के लिये पैसे की जरूरत है तो बड़ी तनख्वाह वालों में कटौती क्यों नहीं करते? यदि आप चाहते हैं कि उतने ही लोग रहने चाहिये तो तनख्वाओं में कटौती करो। आपको यदि यह मन्जूर नहीं है क्योंकि कुछ न कुछ आदमी तो अपने बनाकर रहने ही हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी दिक्कत को, मैं महसूस कर सकता हूं, एक के बहुमत से सरकार चल रही है। मैं मुख्य मन्त्रीजी की यह दिक्कत समझ

(श्री हरिराम चौहान)

सकता हूं, और आसानी से समझ सकता हूं। एक भी किसी डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर को इस टाइम जो संकट का टाइम है, सारे देश में पूरी तरह से एक बात होकर चीन का मुकाबला करना है। तो उसके अन्दर कहीं सरकार इधर से उधर न हो जाये, यह कठिनाई मैं महसूस कर सकता हूं लेकिन उसके अन्दर अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा कमाण्ड नहीं है, कांग्रेस के ऊपर पूरी तरह से होल्ड नहीं कर सकते और एक आदमी से अगर सरकार चल रही है तो उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो मन्त्रि-मण्डल के सदस्य हैं उनसे, मुख्य मन्त्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आप और भी कुछ न करें तो कम से कम इतनी तनख्वाह जरूर कर सकते हैं कि जिससे आम लोगों को बताने के लिये बात बन जाये और आप अपने केस को इस एमर्जेन्सी में पूरी तरह से लोगों को बताने में कामयाब हों। इसी तरह से ऊपर के जितने भी सेक्रेटरीज़ हैं उन तमाम के तमाम लोगों को जो एक हजार से ऊपर की तनख्वाह पाते हैं और उससे भी जरा कम वालों को ले लिया जाये, यानी ७००), ८००) रु० वालों को भी शामिल कर लिया जाये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि एमर्जेन्सी का टाइम है और उसके अन्दर आप कटौती करें। तो हमारे यह बात समझ में आ सकती है।

दूसरे लोगों को भी आप ठीक तरह से बना कर रख सकते हैं और उनके दिलों में जगह पैदा कर सकते हैं और गांव के लोगों पर भी इस तरह का असर पैदा कर सकते हैं। तो यह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितनी भी बड़ी तनख्वाह के सेक्रेटरीज़ हैं इनकी जितनी भी फिजूल खर्ची है वह तो कतई बन्द कर दो। जो गाड़ियों के ऊपर खर्च होता है उसमें बहुत बड़ी कमी हो जानी चाहिए। यह सवाल कम से कम सदन में तो नहीं आना चाहिए कि पैट्रोल पर ज्यादा खर्च हो गया। आपको हिसाब रखना चाहिये कि पैट्रोल ज्यादा खर्च हुआ तो क्यों हुआ? आज भी एमर्जेन्सी के टाइम पर प्राईवेट कामों के लिये जयपुर की सड़कों पर गाड़ियां घूमें, दूसरी जगह घूमें तो पैट्रोल तो अपने आप ही ज्यादा खर्च होना है और उसका खर्चा भी ज्यादा होना है। इसी तरह से आज अगर हम कोई खस की टाटी लगाकर नहीं रहते हैं तो शानशौकत में कोई कमी नहीं आती। शानशौकत की जरूरत नहीं है। अगर आज खस की टाटी नहीं लगती है और लू लगेगी तो सब हम लोग ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो बहुत मेहनती देश है और जो सर्दी और गर्मी में भी काम करके उसको बरदाश्त कर सकते हैं। जिसमें तीनों-चारों मौसम आते हैं उसमें एक साल बिना खस की टाटी के रह जायें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इससे हमारे काम में फर्क नहीं आ जायेगा और न ऐसा है कि हमारी इज्जत इतनी गिर गई कि दूसरे लोग हमसे नफरत करेंगे। तो अपने स्टेन्डर्ड को पूरी तरह से थोड़ा कम करके चलें तो खर्चे में काफी कमी हो सकती है। गाड़ियों के विषय में मैं यह मंत्री महोदयों से कहना चाहूंगा कि क्या वजह है कि हम एक मिसाल पैदा नहीं कर सकते कि साइकलों पर आयें और कहीं पर जायें तो दो दो आदमी बैठकर एक गाड़ी में नहीं जा सकते और दूसरी बातों के खर्च में कमी नहीं कर सकते हैं। टेलीफोन के खर्चे में हम कमी कर सकते हैं, बिजली के खर्चे में कमी कर सकते हैं, पानी

(श्री हरिराम चौहान)

के खर्चे में कमी कर सकते हैं और भी बहुत सी चीजें है जिनके अन्दर कमी कर सकते हैं लेकिन इस सरकार को जितनी कमियां हैं यह मंजूर नहीं हैं।

इस सरकार को कमियां मंजूर किसकी हैं ? चपरासियों की कमी करना मंजूर है। यह मान लेंगे कि कटौती के लिये इनमें से कुछ कमी की जाये। जब कि मांग उठती है तो कहते हैं; हां, कमी करते हैं तो किनके अन्दर कमी करेंगे ? चपरासियों को छुट्टी, हमेशा के लिए कमी। कोई गारन्टी नहीं है कि उनको कोई कमी लेगा या नहीं। क्लर्कों में कमी और दूसरों में कमी करते हैं तो गरीबों की। जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनकी कमी करते हैं, जिनके पास गुजारे का दूसरा साधन नहीं है उन लोगों की कमी करने के लिये २४ घंटे तैयार हैं। इसी तरह से जहां मंत्रि मण्डल में कमी करने का सवाल है, जहां सेक्रेटेरियट के खर्चे में कमी करने की बात चल रही है यही आवाज चपरासियों को कम करने की चल जाती या और छोटे कर्मचारियों को कम करने की चल जाती तो बहुत ही खुश होकर हमारे मुख्य मंत्रीजी कह देते कि हां, अब एमर्जेन्सी है, यह सुझाव हमें मन्जूर है और हम कमी करते हैं। इससे यह जाहिर होता है कि यह सरकार किन लोगों के फायदे पर चलना चाहती है, यह सरकार किन लोगों से मांग करना चाहती है कुर्बानी की और यह सरकार किन लोगों के लिए बनी है ? यह सवाल सामने आता है। तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि जितनी भी फिजूलखर्चियां हैं फौरन कम कर देनी चाहिए। मैं यह समझता हूं कि रकारी पक्ष की ओर से जो जवाब आये उसमें बहुत ही तसल्लीबख्श जवाब आना चाहिए जिससे लोगों के दिल और दिमाग पर फर्क पड़े क्योंकि कल ही हम जो बड़े भारी टैक्सेज लगे हैं उन पर विचार करने वाले हैं। तो आपकी तरफ से इस तरह का आश्वासन आना चाहिए कि मंत्रि मण्डल में कटौती की जायेगी, सेक्रेटेरियट के खर्चे में कमी की जायेगी, इस तरह का आश्वासन आना चाहिए कि बड़ी तनख्वाहों में कमी की जायेगी। फिर हम जो रक्षा और विकास के लिए टैक्स लगाने की बात सोच रहे हैं उसको पास कर सकते हैं, वरना हम बात तो करें विकास और रक्षा के लिये और फिजूलखर्ची में कमी नहीं करें तो मैं समझता हूं कि जो सरकार का पक्ष है वह पूरी तरह से लोगों के दिमाग में नहीं बैठ सकेगा, लोगों के गले में नहीं उतर सकेगी। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहकर यही कहना चाहता हूं कि फिजूलखर्ची में, मंत्रि मण्डल में, सेक्रेटेरियट में यह कटौती नहीं होनी चाहिए। जब विरोधी दल के लोग तमाम के तमाम मांग कर रहे हैं, कांग्रेस की मैजोरिटी मांग कर रही है और बड़े बड़े नेता मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस प्रजातंत्र के युग में जिसके अन्दर विरोधी लोगों की भावनाओं की भी कद्र होनी चाहिये तो कोई वजह नहीं है कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय इस बात से इन्कार करें। यही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

(४ म. प.)

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, आज इस सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड पर पूरे दिन काफी बहस हुई और बहस के दौरान में खासतौर से डिप्टी मिनिस्टर्स की कटौती के बारे में, जो यहां पर कटमोशन्स आये उस पर ज्यादा से ज्यादा वाद-विवाद हुआ। सबसे पहले तो मैं कुछ और मुद्दे हैं,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यहां पर सदन में कुछ देर पहले नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि अजमेर एम्पलोईज् के साथ में राजस्थान की तरफ ठीक व्यवहार नहीं किया गया। मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हिन्दुस्तान में अलग-अलग राज्यों का एकीकरण हुआ उसके बाद वहां की सर्विसेज के एकीकरण के लिये गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने खुद ने अपनी तरफ से इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि अलग अलग जगह इन्टीग्रेशन के नियम बनाये और इन्टीग्रेशन के उन नियम बनाने के बाद अगर किसी को किसी प्रकार की शिकायत है तो उसको अपील करने का अधिकार दिया गया था। राजस्थान के अन्दर जो हमने नियम बनाये कि जिन नियमों के अनुसार जो बहुत से टेम्पोरेरी हैण्ड्स भी थे कि जो आम तौर पर हिन्दुस्तान के अन्दर एब्ज़ोर्ब नहीं किये गये, लेकिन राजस्थान में हमने इस बात का प्रयत्न किया कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को हमने एब्ज़ोर्ब करके उचित तरीके से सबका इन्टीग्रेशन किया।

मैं नहीं समझता कि कोई भी इस प्रकार की कार्यवाही की गई जिसकी वजह से किसी के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ हो। कभी कभी ऐसे अवसर आये, परन्तु उनको आगे जाने के अधिकार प्राप्त थे और उस अधिकार के अनुसार कुछ लोग गये भी और इस मामले में ज्यादातर राजस्थान की राय उचित समझी गई और कोई परिवर्तन हुए तो किये गये। दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहस के दौरान में यह कही गई कि आम तौर से इकोनोमी की बातें करते हैं और जिस समय सरप्लस का प्रश्न आता है तो क्लास फोर्थ और थर्ड क्लास पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान जाता है और यह सरकार ऊपर के सीनियर ऑफिसरों को कम नहीं करके इन थर्ड और फोर्थ क्लास के लोगों को कम करने की ओर ज्यादा ध्यान देती है। इस संबन्ध में मैं बहुत नम्रतापूर्वक अर्ज करना चाहता हूं कि शायद माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि ६२-६३ में हमने इकोनोमी का प्रस्ताव राजस्थान में तय किया उसमें कलेक्टर और एस. पी. जो जिलों के एक तरह से मुख्य अधिकारी होते हैं और उनको वहां की हिस्टोरिकल और दूसरी बातों का ध्यान होता है, दूसरी तरह से जिलों को रिओर्गेनाइज् करने का किया। हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की तादाद २५-२६ के बजाय १६ या १८ रखी कि इतने में काम कर सकते हैं। लेकिन जब इस पर अमल करने का प्रश्न आया तो बहुत से माननीय सदस्यों की तरफ से एतराज आए। जब रेन्ज कायम करके एपीलेट कोर्ट कुछ जगह कायम किये तो मिशन आये कि ये कोर्ट ज्यादा जगह होने चाहिये। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी प्रश्न बराबर बार-बार आता है कि हाई कोर्ट की बैंच यहां पर एक और होनी चाहिये। हमारे यहां यह सब सोचते समय हिस्टोरिकल फैक्ट्स और बहुत सी दूसरी बातें और हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप के लिये सामने आती हैं। हम इस बात का ठेका लेकर नहीं बैठे हैं कि हमको सीनियर ऑफिसर रखने चाहिये। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी जिले कम किये जावें उससे जो आई. ए. एस. ऑफिसर्स हैं, अगर सदन इजाजत दे दे तो बहुत कम किये जा सकते हैं लेकिन बहुत सी जगह से यह प्रश्न सामने आ जावेगा तो दिक्कत कई कारणों से सामने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आती है और सारी बात इस बात पर रख दी जाती है कि यह सरकार सीनियर ऑफिसरों को कम नहीं करना चाहती, यह थर्ड और फोर्थ क्लास के कर्मचारियों को ही कम करना चाहती है ।

मैं यह अर्ज करूं कि अभी डिप्टी मिनिस्टर्स के सम्बन्ध में बहस हुई कि चपरासी कम किये जावें । जिस समय उनको कम करते हैं तो कहा जाता है कि उनको कम क्यों किया जाता है और आप यही कहते हैं कि अमुक प्रकार की इकोनोमी मत करो । जिस समय सीनियर ऑफिसरों को कम करने का कहते हैं तो कहा जाता है कि एजुकेशन और मेडिकल के दफतर, इंजीनियरिंग और कलेक्टोरेट सभी जगह होने चाहियें और जब सब जगह होने की मांग करते हैं तो मैं आपको निवेदन करूं कि जहां बहुत सी दूसरी बातें सामने आती हैं वहां सब बातों को देखते हुए आहिस्ते-आहिस्ते सब जगह काम करते चलना होता है । अभी बहस के दौरान में यह कहा गया कि मिनिस्टर लोग खस की टाटी नहीं लगावें, आराम से न रहें, थोड़ी सी लू की लपटें भी खावें । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हममें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लूओं की लपटें ही नहीं और भी आगे बढ़े हैं और जमाने में पैदल घूम कर काम किया है । हम लोग लू से घबराने वाले और तकलीफों से घबराने वाले प्राणी नहीं और न इस चीज के लिये उत्सुक हैं कि यहां पर या गर्मी में अपने कमरे छोड़ कर बाहर नहीं जाय; क्योंकि हम मिनिस्टर बन कर बैठ गये हैं और दूसरे लोग जो उधर बैठे हैं उनमें सेवा और त्याग की भावना है और यहां पर इधर बैठ गये वे सारे खस की टाटी और एअर कन्डीशन में बैठ गये । जब आप यह कहते हैं तो हम भी अपमानित अपने आप को अनुभव करते हैं । हम कोई इस तरह के नहीं हैं कि ठण्ड में न घूमे हों । हमने सब चीजों को बर्दाश्त किया है और कर सकते हैं । इसलिये आप इस बात को मान कर चलिये कि हमारा जीवन ऐसा नहीं रहा है कि हम पैदल नहीं चल सकते हैं । मैं यह भी निवेदन कर दूं कि आज डेमोक्रेसी में हम हैं, आज गाड़ी में हम घूमते हैं इसलिये कि आज हम पद पर हैं । कल यहां नहीं होंगे तो पैदल घूमने में भी नहीं हिचकेंगे । मैं यह कहूंगा कि जब मिनिस्टर था कार में जाते, जब मिनिस्टर नहीं था तो ११ साल तक साइकिल पर गया हूं । हम यह नहीं सोचते हैं कि यह हमारे जीवन का अंग बन गया कि हम कार में जावें । लेकिन समय का प्रश्न है ।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां सदन में मिनिस्टरों के पीछे जितनी खर्चे की चर्चा की गई उतना खर्चा होता है । आज के दिन एक बात को हम सोच कर चलें कि आज बहुत से डिप्टी मिनिस्टर्स के बारे में इतनी कल्पना की गई । आखिर डिप्टी मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर बनता है उससे उसके पेट में दूध या बादाम जाती हो, यह बात नहीं है । ज्यादा पेट्रोल खर्च करने से या मोटरों में घूमने से उसको ज्यादा आराम मिल जावेगा, यह बात नहीं है । प्रश्न यह है कि आज खर्चा करने की पोजिशन आती है । उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी जगह उनको जाना पड़ा उसका स्पष्ट कारण था जिससे लोग गये । लेकिन आप केवल यह बात सोच कर न चलें कि व्यक्तिगत हित के लिये यह खर्च किया गया । हमने कमी करने की कोशिश की है, टी. ए., डी. ए. के बारे में सोचा है। हमने कमी की । हमने पिछली विधान सभा में ५ परसेन्ट कट कर दिया, उसके अलावा हमने एक महीने का वेतन डोनेशन में दे दिया ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इतना ही बजट है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह कहा जाता है कि हमने कुछ नहीं किया, यह इसलिये कहा है । बोन्ड निकले उसमें भी हमने फैसला किया कि एक महीने का एमाउन्ट हम देंगे । आखिर मिनिस्टरों के पास कितना रुपया आता है और उनकी जेब में कितना पहुंचता है उसके लिये मैं यह कहूंगा कि आज उप-मंत्री जो हैं वे पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सदस्य बनते तो उतना उनको मिल सकता था । बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि उनमें जमीन-आसमान का अन्तर हो या उनको कोई व्यक्तिगत फायदा पहुंचा हो । यह नहीं है कि उनको दूसरे सदस्यों से १०००) रु० ज्यादा मिलते हों या किसी दूसरे सदस्य के बीच में बहुत ज्यादा गेप पड़ गई हो जो किसी कमेटी का सदस्य है । दूसरी बात यह कि आज एक मिनिस्टर है उसके खर्चे का प्रश्न आता है । उसको देखें तो यह कल्पना होती है कि यहां बैठने से क्या होता है, बहुत सा भ्रम दूर हो सकता है ।

माननीय उपाध्यक्ष, जो आज मांग पेश की गई उसमें १४० हजार बताया गया है । उसकी वजह यह है कि ६१-६२ में जो खर्चा मिनिस्टर्स के ऊपर कुल हुआ था जिसमें पी. ए. व दूसरा स्टाफ आ गया वह ६१२ हजार का हुआ था । पिछले वर्ष उसके मुकाबले में हमने इस साल का बजट पास किया तो कम करके रखा था । आज जो मांग की जा रही है उसके अतिरिक्त खर्चा होने वाला है तीन मिनिस्टर्स के बढ़ने के बाद, पिछले साल १५ थे अब १८ होते हैं और पिछले साल जो खर्चा था अब सप्लीमेंटरी डिमाण्ड के बाद खर्चा होगा उसका ८८ हजार का डिफरेंस आता है । १४० हजार इसलिये आता है कि डिमाण्ड पिछले साल कम पेश की थी बाद में परिवर्तन हुआ तो १५ के मुकाबले में १८ का खर्च हुआ तो ८८ हजार का एडीशनल खर्चा है, तीन मिनिस्टर्स के बढ़ाने से ८८ हजार का खर्चा ज्यादा आता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप हाउस को कॉन्फिडेन्स में लें कि आपको दिक्कत क्या पड़ रही थी जो आपको मिनिस्टर्स बढ़ानेकी आवश्यकता पड़ी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हू जिन कारणों को लेकर बहस हो रही थी वह खर्च का प्रश्न था तो मैं यहां खर्च वाली बात को रख रहा हूं । दिक्कत क्या थी, क्या नहीं थी, लाभ क्या था यह अलग है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप बजट मेमोरेन्डम देखें, इसमें १ लाख खर्चा बताया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस साल टोटल एक्सपेन्डीचर हुआ, जो मांग मिनिस्टर्स के हैड में है उस खर्च में जो डिमाण्ड पेश की गई थी वह डिमान्ड यहां ८६२ हजार की पेश की गई थी, उसमें १४० हजार की एडीशनल डिमान्ड और है ।

श्री भैरोंसिंह : जो बजट के फीगर्स हैं, बजट मेमोरेन्डम है इसमें लिखा है–अतिरिक्त २ उप-मन्त्रियों की नियुक्ति । इसमें १ लाख खर्चा लिखा है और आप कह रहे हैं ८८ हजार हुआ ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक्चुअल खर्चा हुआ वह रख रहा हूं । आप टोटल मिला कर क्या हुआ वह रख रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : तो क्या वित्त मंत्री ने सदन के सामने जो रखा है वह गलत है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गलत नहीं है। मैं कह रहा हूं १४० हजार जो लिखा है वह सही है; पर जो बजट पास किया है इस साल का वह पिछले साल के मुकाबले में कम का किया था इसलिये पिछले वर्ष से कम्पेअर कर रहा हूं। १४० हजार को और जो डिमाण्ड बजट के समय पास कर चुके इन दोनों को जोड़ कर फिर जो ६१-६२ का खर्चा हुआ इसको माइनस कर देखें तो ८८ हजार का डिफरेंस आता है।

श्री भैरोंसिंह: (On a point of clarification, Sir,) आपने फीगर्स दिये हैं वे गलत हैं। मैं देता हूं आपको फीगर्स। आप ८८ हजार का डिफरेंस बता रहे हैं, पर बजट मेमोरेन्डम में जो फीगर्स दिये हैं इनको मुलाहिजा करें। पिछले साल ८६२ हजार की डिमाण्ड पास हुई, रिवाइज्ड डिमाण्ड ९७६ हजार की हुई और इस साल ९७७ हजार की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझको बताया गया है कि ९१२ हजार का पिछले साल का हुआ, इस साल जो ओरीजिनल एप्रोप्रियेशन है ८६२ हजार का है इसमें १४० हजार जोड़ते हैं।

श्री भैरोंसिह : बजट फीगर्स में तो यह नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : तो सदन में बार-बार इस प्रश्न को उठाया जाता है कि मिनिस्टर्स की तादाद इस एमर्जेन्सी की वजह से कम की जानी चाहिये, पंजाब में कमी की है, राजस्थान में भी कमी की जानी चाहिये। मैं अर्ज करूं, पंजाब में ३१ तादाद थी, उसको कम करना उपयुक्त समझ उन्होंने कम करने का फैसला किया। हिन्दुस्तान में और राजस्थान में हमने जो कुछ मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स रखे एमर्जेन्सी के पहले, तो वही तादाद आज है। इस मौके पर और खर्चो को, दूसरे खर्चों को कम कर सकते हैं, उन्हें कम करने की कोशिश की है। केवल तादाद कम करने की बात कहें कि इतना कम करें तो सुविधा हो। मैं कहता हूं, आज जो तादाद है, जो काम कर रहे हैं उनके काम करने के लिये काफी विशाल क्षेत्र है। इससे यह कहने का प्रश्न नहीं आता कि इस प्रकार करने से हम खर्च के प्रश्न को हल कर सकते हैं। खर्च में कमी करनी चाहिये, इस पर हमने विचार किया है, यह सैशन शुरू हुआ उससे पहले से विचार किया है, आगे भी विचार करते जाएंगे। पर केवल एक राजनैतिक प्रश्न बना कर सारी चर्चा इसी पर हो कि खर्च में कमी करने का; मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर की कमी करने पर ही आधार सारा रहता है। हां, यदि राजस्थान के मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा तनख्वाह पा रहे हों तो विचार का प्रश्न हो सकता था। ज्यादा नहीं लेते तो राजनैतिक पहलू बना कर बात करें तो मूल बात से ध्यान अलग हो जाता है और यह उपयुक्त नहीं होगा। यह कल भी चर्चा में आया और आज भी आया, इस सम्बन्ध में जो पहले कह चुका हूं उससे ज्यादा नहीं कहना चाहता।

इस सदन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में कहा गया कि राजस्थान में रेवेन्यू की हाइयेस्ट अपीलेन्ट ऑथोरिटी है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रतिष्ठित होना चाहिये। मैं इस सिद्धान्त से पूर्णत: सहमत हूं कि हिन्दुस्तान भर में सिवाय एक-आध जगह के आइ. ए. एस.

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
ऑफीसर्स हैं वे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नियुक्त किये जाते हैं, इस सिद्धान्त को मानकर सुपर टाइम-स्केल ऑफिसर्स आइ. ए. एस. के होते हैं उनको मुकर्रर करते हैं। बहुत गेप निकल जाता है, कलेक्टर रहने के बाद और बाद में; इसलिये कलेक्टर की तरह रह कर रेवेन्यू का उनको अनुभव हो तो अच्छा रहेगा इसलिये परिवर्तन किये। पहले जो नियुक्त किये हैं वे कुछ-कुछ अर्से के लिये, बहुत ज्यादा अर्से के लिये नहीं कहता, वे आइ. ए. एस. में आये, काफी सीनियर स्टेज में थे तब गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से कमेटी आई, उनको सिलेक्ट किया, वे काफी सीनियर जगह पर हैं, सर्टेन केस वर्क वे खुद करें इसकी व्यवस्था की गई, इन हालात में जो संभव हो सकता था उनके अनुभव के उपयोग करने का अवसर दिया गया। मैं आशा करके चलता हूं, इस पोइन्ट से जुडिशियरी से परिचित होने की आवश्यकता है, जैसा कि कहा गया, तो इससे बहुत से भली भांति परिचित हैं। जो नये आये उनमें से एक तो ऐसे हैं जो काफी अर्से तक कलेक्टर, कमिश्नर रहे; इसलिये उनका इससे बिल्कुल संबंध न रहा हो, ऐसा नहीं कह सकते। कलेक्टर को कुछ केस वर्क खुद को करना पड़ता है। आज दिन भी यही है। तो वहां पर जो लोग पहुंचे वे इस सम्बन्ध में ठीक इन्तजाम नहीं कर पायेंगे, न्याय नहीं कर पायेंगे, इसके लिये हम भी सतर्क हैं, इस सारे प्रश्न को अच्छी तरह से देख रहे हैं। सदन से मैं यही कहूंगा कि व्यक्तियों से बढ़ कर, उचित न्याय मिल सके रेवेन्यू बोर्ड से यह हम चाहते हैं; इतना ही कहना मैं समझता हूं पर्याप्त होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): एक बात, मान लीजिये, किसान परिवार में से आने वाले कितने मेम्बर हैं बोर्ड में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया रिजर्व सीट तो है नहीं कि मैं फैसला कर सकूं। रूल्स बने हुए हैं, सीनियोरिटी से जा सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। यह देखा जाय तो एक मेम्बर को भेजा गया है। बहुत छोटे गांव के रहने वाले हैं, किसान परिवार से हैं या नहीं, वह मैं नहीं कह सकता; अलबत्ता, एक छोटे से गांव के जरूर हैं। जो जो हैं उनको सीनियोरिटी के आधार पर ही भेजने का सवाल होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में यह बात भी कही गई कि सरप्लस डिक्लेयर किया है। यह भी कहा कि सीनियर को सरप्लस कर दिया और जूनियर को सरप्लस नहीं किया गया। हमारे यहां यह पोलिसी है कि जो व्यक्ति सबसे बाद में आता है उसको यदि सरप्लस करना होता है तो सबसे पहले सरप्लस किया जाता है। यह सब सीनियोरिटी को ध्यान में रख कर ही किया जाता है। सैटलमेन्ट विभाग के बारे में शिकायतें आयीं थीं, रिप्रेजेन्टेशन भी आये थे वहां पर भी ये ही इन्स्ट्रक्शन्स दी गई थीं कि उस पोलिसी को फोलो किया जाय। जहां पर यदि इस पोलिसी को फोलो नहीं किया गया होगा और रिप्रेजेन्ट करेंगे तो उसको ठीक किया जायगा, यह विश्वास लेकर चल सकते हैं।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, जो सरप्लस डिक्लेयर करने का है या और कोई कार्यवाही की गई है मुझे ठीक तादाद याद नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि ७ या १० आदमी ऐसे हैं जिनको एब्जोर्ब नहीं कर पाये हैं। उसके अलावा जिनको सरप्लस डिक्लेयर किया है उनको एब्जोर्ब किया है। सरप्लस कर देना और रिट्रेन्च कर देना, इन दोनों के बीच का जो भेद है उसको देख कर चलना है। जो कमियां

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की गई हैं उससे आपका मतलब यह हो कि इतनी तादाद को निकाल दिया है तो यह भ्रम हो तो उसको निकाल देना चाहिये। जिनको सरप्लस किया गया उनको प्लान वगैरह में जो पोस्टें भरनी थीं उनके अन्दर उनको रखा गया है। किसी को घर भेज दिया हो, ऐसी बात नहीं है।

बिलाड़ा के बारे में कहा तो जांच करके ही कह सकता हू। तुरन्त कह सकूं इस स्थिति में नहीं हूं। जहां सब जगह लेडीज़ रखी जाती हैं वहां उनको भेज दिया हो, यह गलत मालूम होता है। जांच करके जो भी आवश्यक होगा, कार्यवाही की जावेगी।

साथ-साथ यह भी निवेदन करूं कि सरप्लस के लिए जो रुपया मांगा गया है वह इसलिए मांगा गया है कि पहले टोकन ग्रान्ट ली गई, लेकिन जो खर्चा सरप्लस को एब्जोर्ब करने के बीच के टाइम में हुआ उसका यह है, आखिर उनको तनख्वाह तो देनी ही थी। जिनको तुरन्त नहीं लगाया उनको यह दिया गया और इसीलिए यह मांगा गया है।

एन्टर्टेनमेन्ट की मांग का मतलब यह नहीं है कि सेक्रेटरी वगैरह अपने कमरों में मंगा कर चाय वगैरह पिलाते हों। यह तो सेक्रेटेरियेट में मीटिंग वगैरह हुआ करती है उसके सम्बन्ध में है। यह नहीं है कि सेक्रेटरी या मिनिस्टर खुद चाय पीयें तो उसके लिए यह खर्चा किया जा रहा है। मीटिंग वगैरह की व्यवस्था के लिए इसमें रखा गया है।

दूसरे माइनर पोइन्ट्स हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा विस्तार से जाना उपयुक्त नहीं समझता। मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में भी कहा गया, पुलिस के अन्दर खास तौर पर, कहां पर दुरुपयोग किया गया है। मैं समझता हूं, गृह मंत्रीजी आवश्यक जानकारी करेंगे। साथ ही साथ इस प्रकार की कम्प्लेंट्स हमारे सामने आयी हैं और हम भी विचार कर रहे हैं कि जयपुर में मेडीसिन्स दी जायं उसके लिए एक गवर्नमेन्ट का स्टोर जैसा बन जाय वहां से उनको वे इश्यू की जाय और बहुत सी बातों की शिकायतें आती हैं वे दूर हो सकें; पहले से ही सतर्क होकर कार्यवाही करने के लिये कदम उठा रहे हैं जिससे जयपुर के लिए एक न्यूक्लियस बना कर लाभ उठाया जा सकता है।

जो बातें सामने आयी हैं उनके बारे में जो स्पष्टीकरण किया है और आपके सामने रखा है उसको देखते हुए माननीय सदस्यों ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनको वापिस लेकर यह जो सप्लीमेन्टरी डिमान्ड रखी गई है आपके सम्मुख, उसको स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १६, सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राज्यपाल महोदय को ६,०७ हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : What about cut motions ? There are so many cut motions. They have not been withdrawn.

श्री उपाध्यक्ष : मुखबंध के बाद मुझे यह अधिकार है कि कार्यवाही जितनी सिम्पलीफाई हो सके की जावे और उस दृष्टि से कट मोशन्स को ड्रॉप करके यह मांग ली जा रही है

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कट मोशन्स सामूहिक रूप से ही पूछ लिये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : It is not very necessary according to rules.

(मत-दान के पश्चात्)

(श्री उपाध्यक्ष)

'हां' पक्ष जीता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : No, Sir. We claim division.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : 'ना' पक्ष जीता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): डिविजन क्लेम करते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): 'हां' पक्ष जीता ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बड़ा महत्वपूर्ण मसला है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : On one cut motion on the question of removal of Deputy Ministers,......

१,४० हजार की मांग है डिप्टी मिनिस्टर्स की । उनके सम्बन्ध में कट मोशन्स हैं । सबको इकट्ठा लिया है, हम उसी पर डिविजन चाहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : On a point of order, Sir........

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : When division is claimed, no point of order or clarification can be raised.

(मत-विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : I again put the question.

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९, सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमान् राज्यपाल महोदय को ६,०७ हज़ार तक की राशि प्रदान की जाय ।

(पुनः मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता

विपक्ष के माननीय सदस्य : 'Noes' have it, Sir.

राज्यपक्ष के माननीय सदस्य : 'Ayes' have it, Sir.

'हां' पक्ष वाले हां की गैलेरी में जायेंगे और 'ना' पक्ष वाले ना की गैलेरी में जायेंगे ।

(विभाजन के पश्चात्)

विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :—

हां पक्ष ५६

ना पक्ष ३५

मांग स्वीकार की गई ।

[विभाजन सूचियों के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य :

'हां' पक्ष

१. श्री अलदाराम मेंणा

२. श्री बालकृष्ण कौल

३. श्री बरकतुल्ला खां

४. श्री भगराज चौधरी

(श्री उपाध्यक्ष)

५. श्री भरतलाल
६. श्री भीखाभाई
७. श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
८. श्री भीमसेन
९. श्री भीमसिंह
१०. श्री चन्दनमल बैद
११. श्री चतुर्भुज उपाध्याय
१२. श्री छोटूराम
१३. श्री छुट्टन लाल
१४. श्री दलपतसिंह
१५. श्री दौलतराम सारण
१६. श्री देवीलाल मीणा
१७. श्री दिनेशराय डांगी
१८. श्री गणेशलाल
१९. श्री गणपतिलाल वर्मा
२०. श्रीमती गौरी पूनिया
२१. श्री घासीराम यादव
२२. श्री गिरधारीलाल व्यास
२३. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
२४. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)
२५. श्री हनुमानसिंह चौधरी
२६. श्री हरिभाऊ उपाध्याय
२७. श्री हरिदेव जोशी
२८. श्री हरिश्चन्द्र
२९. श्री हरलाल
३०. श्री जयकृष्ण शर्मा
३१. श्री जेठमल बरवड़
३२. श्री जुझारसिंह
३३. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
३४ श्री मती कमला बेनीवाल
३५. श्री कानाभाई नुवाल
३६. श्री केशरीसिंह जोजावर (खाखी)
३७. श्री केसरीसिंह (पाली)
३८. श्री किशनसिंह बाटड
३९. श्री लालाराम
४०. श्री माधोलाल खानपुरिया
४१. श्री मजलिसखां
४२. श्री मालमसिंह
४३. श्री मथुरादास माथुर
४४. श्री मोहनलाल सुखाडिया
४५. श्री मोहनराज
४६. श्री मोतीलाल चौधरी
४७. श्री नाथूराम (बागीडोरा)
४८. श्री नाथूराम मिर्धा
४९. श्री निरंजननाथ आचार्य
५०. श्रीमती निर्मला देवी नाहर

Page No.99

(श्री उपाध्यक्ष)

५१. श्री परसराम मदेरणा
५२. डा. पोहूमल ईसरदास
५३. श्रीमती प्रभा मिश्रा
५४. श्री रघुनाथ विश्नोई
५५. श्री सांवलिया राम
५६. श्रीमती सुमित्रा
५७. श्री तेजाराम गहलोत
५८. कुमारी उमा माथुर
५९. श्री विरधाराम फुलवारिया

'ना' पक्ष

१. श्री ए. जब्बार
२. श्री बालूराम चौधरी
३. श्री भैरोंसिंह शेखावत
४. श्री चौथमल वर्मा
५. श्री दयाचन्द सौन
६. वैद्य श्री गोविन्दसहाय
७. श्री हरदत्तसिंह
८. श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
९. श्री हरिशंकर
१०. श्री जयलाल
११. श्री जावन्दसिंह
१२. श्री जोधसिंह चौहान
१३. श्री जुगलाल
१४. श्री केदार नाथ
१५. श्री कुमारानन्द
१६. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
१७. श्री लक्ष्मीचन्द
१८. कु. श्री महेन्द्रसिंह गांवडी
१९. राजा श्री मानसिंह (डीग)
२०. श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ)
२१. श्री मोहरसिंह राठोड
२२. श्री मुकुटविहारीलाल गोयल
२३. श्री मुरलीधर व्यास
२४. राव श्री रघुवीरसिंह (वाडी)
२५. श्री रामानन्द अग्रवाल
२६. श्री रामकिशन
२७. श्री श्रवणलाल
२८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२९. श्री सतीशकुमार शर्मा
३०. श्री शिवराम
३१. श्री श्योपतसिंह
३२. श्री सौभागसिंह
३३. श्री स्वरूपसिंह
३४. श्री उमरावसिंह ढाबरिया
३५. श्री विजयसिंह झाला]

(४.४० म० प०)

शेष मांगों पर मुखबन्ध मांग सं० ५५–पुलिस

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५५, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री उपाध्यक्ष)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,७६,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ७६—अन्य विविध अंशदान इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक—७६, अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,५२,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ६५—अधिवार्षिकी भत्ते आदि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ६५—अधिवार्षिकी भत्ते और अन्य निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८,००,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४९, मुख्य शीर्षक १०—राजकीय आबकारी कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४९, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,१४,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५०, मुख्य शीर्षक १२-बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५० मुख्य शीर्षक १२-बिक्री कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,०४,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग सं० ५० स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५१, मुख्य शीर्षक १३—अन्य कर और महसूल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५१, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,२६,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५१ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक १४—स्टाम्प्स

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५२, मुख्य शीर्षक १४-स्टाम्प्स के संबंध में ३१ मार्च,

Page No.101

(श्री उपाध्यक्ष)
१९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६०,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८१,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक २६-विविध

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,००,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५७, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५७, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,०८,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५७ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ३०–जन-स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५२,४५,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय, को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५९ मुख्य शीर्षक ३०–कृषि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५९, मुख्य शीर्षक ३०–कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६०, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६०, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास

(श्री उपाध्यक्ष)

परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६० स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६१, मुख्य शीर्षक ५७–सडक और जल परिवहन योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६१, मुख्य शीर्षक ५७-सड़क और जल परिवहन योजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,०८,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६१ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६३, मुख्य शीर्षक ३१-विविध

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६३, मुख्य शीर्षक ३१-विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ४०,१६,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६५, मुख्य शीर्षक ७८ का राष्ट्रीय आपतकाल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ६५, मुख्य शीर्षक ७८ का–राष्ट्रीय आपतकाल १९६२ से सम्बन्धित व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,५६,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ९२–भूमीधारकों इत्यादि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ९२–भूमिधारकों इत्यादि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षति पूर्ति देय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४५,००,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : I will **again put** it to vote.

(विराम)

Page No.103

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ९२–भूमिधारकों इत्यादि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षति पूर्ति देय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४५,००,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आवाज तो 'ना' पक्ष की तेज है। The Chair should decide on the basis of voices. Let them claim division.

श्री उपाध्यक्ष : You have already challenged it before.

श्री रामानन्द अग्रवाल : We claim division, Sir. We want to record votes on this. कौन कौन इसके विरुद्ध हैं। We want to know. आप खड़े करवा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Then I will be compelled to adopt the procedure and ask the Hon' ble Members to stand. Those who are against this demand may please stand.

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए)

Thank you please, sit down. बैठिये।

श्री रामकिशन (बैर) : परिणाम क्या रहा, कितने फेवर में रहे ?

श्री उपाध्यक्ष : 'नो' हैं।

श्री रामकिशन : 'नो' तो हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पक्ष में देखिये न्यूटरल बहुत मालूम होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : 'हां' पक्ष वाले खड़े हों।

('हां' पक्ष के सदस्य खड़े हुए)

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is shameful for the Congress Government that the Jagirdars are not claiming compensation and they are insisting on paying.

श्री मोहनलाल सुखाडिया : हमने फैसला किया है, उस पर कायम रहने वाली बात मान कर चलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : परिणाम बहुत स्पष्ट है, 'हां' पक्ष जीता।

मांग संख्या ६६ स्वीकार की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विरोध इन बेंचेज का है।

मांग संख्या ६७, मुख्य शीर्षक ९४–जन-स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६७, मुख्य शीर्षक ९४-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३४,३५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६७ स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक ९६ औद्योगिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक ९६, औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को सामप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७,५५,०००)रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६८ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ६९, मुख्य शीर्ष ९८–बहुप्रयोजन नदी योजनाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६९, मुख्य शीर्षक ९८-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८७,८०,०००)रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ७०, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ७०, मुख्य शीर्षक १२४- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०३,८३,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७० स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ७१, मुख्य शीर्षक राज्य ऋण तथा अग्रिम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७१, मुख्य शीर्षक था- राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्वन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७१ स्वीकार की गई

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६३

(पुरःस्थापन, विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० २) बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत बिल को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री बालकृष्ण कौल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० २) बिल, १६६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल····

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं, जो भाषण हो गये हैं उनके संदर्भ में यह कार्यवाही नियमित समय में समाप्त नहीं हो सकेगी, इसलिये सदन का समय बढ़ाना आवश्यक होगा। क्या सदन की मन्शा है कि पन्द्रह··

('नहीं-नहीं' की आवाज)

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल, (बयाना) : कोई जरूरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Otherwise it will not be possible....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कोई जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये १५ मिनट··

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न, यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४.५५ बजे शुक्रवार, दिनांक ८ मार्च, १९६३ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई]

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार, दिनांक ७ मार्च, १९६३)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक — स्कम्भ

भरतपुर में स्टोव बनाने वाली फर्मो द्वारा सेल्स टैक्स ।

निम्बाहेड़ा में ऑकाफ प्रोपर्टी ।

राजकीय माध्यमिक कन्या पाठ़शाला, सोजत का भवन ।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत ऊन अनुभाग तथा उत्पादन केन्द्र ।

उद्योगों द्वारा काम ।

बीकानेर में खादी हुंडी की बकाया रकमें ।

हाई कोर्ट के निर्णय की क्रियान्विति ।

जयपुर शहर में कोयले की कमी ।

भरतपुर में पीतल के बर्तन बनाने वाली फर्मो द्वारा सेल्स टैक्स ।

ब्लॉक खोलने हेतु प्रार्थना-पत्र ।

भारत सरकार को सांभर की नमक की झील के हस्तान्तर पर निर्णय ।

कुशलगढ तहसील की जनता के लिये मिट्टी के तेल की व्यवस्था ।

स्कम्भ

१४५९ भरतपुर में चमड़ा उद्योग के लिये दिया गया ऋण ।

ग्राम महाजन के लोगों के लिये पानी की व्यवस्था ।

निर्धन विद्यार्थियों की श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति ।

स्मारकों को हटाना ।

पाली जिले में भू-राजस्व की बकाया रकमें ।

जयपुर डिवीजन के खनिज कार्यकर्त्ताओं को ऋण के लिए स्वीकृत धनराशि ।

पंचायत सांगानेर द्वारा भूमि का एलॉटमेन्ट ।

पुस्तकों की उपलब्धि ।

छोटा डूंगरा तथा बड़ा डूंगरा के आदिवासी किसानों की जमीन ।

कुम्हेर तहसील के रेकार्ड्स ।

राज्य में प्रौढ महिलाओं के लिये शालाएं ।

अनूपगढ में बाढ़ पीड़ितों को धनराशि ।

गैर आबादी भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के प्रार्थना-पत्र जालोर तथा बाड़मेर ।

	स्कम्भ
एस. डी. ओ., नीम का थाना की अदालत में विचाराधीन मुकदमें ।	
जोधपुर, अजमेर, उदयपुर आदि के पोलिटेक्निक्स के लिये भवन निर्माण ।	

२. सदन की मेज पर रखा गया पत्र १५१५

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री ने आय व्ययक, १९६३-६४ से सम्बन्धित निम्नांकित पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखी ।

"१९६३-६४ में नये करों द्वारा अनुमानित आय का विवरण"

(The break up of the expected yield during 1963-64 from new taxation measures)

३. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर विचार १५१६

श्री मथुरादास माथुर ने कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया ।

तत्पश्चात् श्री माथुर ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया :—

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।" स्कम्भ

४. अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९६३–६४ पर मतदान १५१६

१. मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन १५१६

उपरोक्त मांग श्री मोहन लाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई जिस पर कुल २५ कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये । मुख्य मंत्री के उत्तर के पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

मुख-बन्ध १६५९

निम्नांकित मांगें, मुखबन्ध (Guillotine) के प्रयोग के पश्चात् सदन द्वारा स्वीकार की गई :—

क्रम संख्या	मांग संख्या	मुख्य शीर्षक
१	२	३
१	५५	२३–पुलिस
२	६४	७६–अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन
३	६२	६५–अधिवार्षिकी भत्ते और अन्य निवृत्ति लाभ
४	४९	१०–राजकीय आबकारी कर
५	५०	१२–बिक्री कर
६	५१	१३–अन्य कर और महसूल
७	५२	१४–स्टाम्प्स
८	५४	२१–न्याय प्रशासन
९	५६	२६–विविध विभाग,

१	२	३
१०	५७	२७–वैज्ञानिक विभाग
११	५८	३०–जन स्वास्थ्य
१२	५९	३१–कृषि
१३	६०	३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य
१४	६१	५७–सड़क और जलपरिवहन योजनायें
१५	६३	७१–विविध
१६	६५	७८–का राष्ट्रीय आपत्काल, १९६२
१७	६६	९२–भूमिधारकों इत्यादि को जमीदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय
१८	६७	९४–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत
१९	६८	९६–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत
२०	६९	९८–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत
२१	७०	१२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत
२२	७१	था–राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

स्कम्भ

५. राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६३ १६६६

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६३ का पुरःस्थापन किया ।

तत्पश्चात् विधेयक विचारार्थ लिया जाकर सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

सदन की बैठक ४ बजकर ५५ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक ८ मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

शुक्रवार, दिनांक ८ मार्च, १९६३ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान लोक सेवा आयोग के ग्यारहवें व बारहवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(२) गैर सरकारी विधेयकों का पुरःस्थापन

(३) गैर सरकारी संकल्प

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०० का उत्तर देखिये)

क्र. सं.	प्रोपर्टी	संख्या	वैल्यूएशन	वार्षिक आय
१.	मस्जिदें	११	६०,५१५ रु०	५,७५७ रु०
२.	दरगाह	१	२१,७४३ रु०	१५६ रु०
३.	कब्रिस्तान	६	४६,७०० रु०	१९७ रु०
४.	मिस्लेनियस (फुटकर) ..	२९	१,४५,५७५ रु०	४,२५८ रु०
	योग ..	४७	२,७४,५३३ रु०	१०,३६८ रु०

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०५ का उत्तर देखिये)

ऊन अनुभाग, बीकानेर

नाम व पद	योग्यता	वेतन दर	उपस्थिति दि.
१. श्री भैरुलाल अग्रवाल विशेषाधिकारी	३० वर्ष का खादी कार्य का अनुभव	३०० रु० फिक्स	८-८-५५
२. श्री छगनलाल चौपासनीवाला संगठक	१२० रु०	११०-५-१३५-ई.बी.-१०-२२५	२२-५-६१
३. श्री नाथूलाल तम्बोलिया यू० डी० सी०	११० रु०	८०-५-१२०-ई.बी. ८- १६० १०-२००	७-४-५६
४. श्री हीरालाल नि. सं. लि.	मैट्रिक ६० रु०	६०-४-८०-५-१००-ई. बी. ५-१३०	३-२-५६
५. श्री रामसिंह ड्राइवर	६० रुपये	६०-४-८०-५-१००	२८-७-६२
६. श्री तुलसी राम च. श्रे. का.	२५ रुपये	२५-१-४०	६-६-६२

ऊन उत्पत्ति केन्द्र, बीकानेर

नाम व पद	योग्यता	वेतन दर	उपस्थिति दि.
१. श्री नित्यानन्द पंत व्यवस्थापक, १७० रु०	..	१५०-१०-२५०ई. बी.-१२॥-३००	२१-१-५६
२. श्री सोमेशचन्द्र लेखालिपिक	इन्टरमिडियेट	८०-५-१२०-ई. बी.-८-१६० १०-२००	१८-९-५६
३. श्री मोहनचन्द्र पत ८५ रु० यू. डी. सी.	मैट्रिक	,, ,,	१-१-५८
४. श्री रामस्वरूप विजय ८० रु० लेखालिपिक	,,	,, ,,	९-४-६२
५. श्री रामसहाय गुप्ता ८५ रु० इन्चार्ज		६०-४-८०-५-१००-ई. बी. ५-१३०	१६-५-५६
६. श्री प्रकाश चन्द्र माथुर १४० रु० यू. डी..		८०-५-१२०-ई.बी.-८-१६०-१०-२००	४-१०-५८

नाम व पद	योग्यता	वेतन दर	उपस्थिति दि.
७. श्री कृष्णमुरारी गुप्ता ८५ रु० नि. सं. लि.	मैट्रिक	६०-४-८०-५-१००-ई. बी. ५-१३०	२९-९-५६
८. श्री सोहनलाल मोजक ६८ रु०	"	" "	३-१०-६०
९. श्री रणछोडदास ६४ रुपये	"	" "	५-४-६१
१०. श्री रामधन वर्मा ६० रुपये	"	" "	७-९-६१
११. श्री मेघराज आसोपा ६४ रुपये	"	" "	१-४-६१
१२. श्री प्रयागदत्त शर्मा ७२ रुपये	"	" "	२३-४-५९
१३. श्री मूलचन्द स्वामी ६४ रु० नि. सं. लि.	९ कक्षा	" "	२७-७-६१
१४. श्री मदनलाल चुग ६४ रु०	मैट्रिक	" "	५-७-६१
१५. श्री रामेश्वर लाल आसोपा		" "	"
१६. श्री चौथूराम बुनकर ६५ रुपये		स्थाई वेतन	१-४-६१
१७. श्री रामनारायण आसोपा ६५ रु०		" "	१२-४-६१
१८. श्री रामुराम बुनकर ६५ रुपये		" "	१-४-६१
१९. श्री कानाराम बुनकर ६५ रुपये		" "	१-५-६१
२०. श्री मगनलाल शुकवार ७० रुपये		" "	२-४-६२
२१. श्री रामेश्वरलाल मोजक ७५ रुपये		" "	१-१०-६१

नाम व पद	योग्यता	वेतन दर	उपस्थिति दि.
२२. श्री तनसुखराम, चपरासी २५ रुपये		स्थायी वेतन	१-४-६२
२३. श्री गोविन्द नारायण २७ रुपये		,,	१-७-६०
२४. श्री लक्ष्मीचन्द सिंघी २६ रुपये		,,	१९-४-६१

ऊन अनुभाग, जयपुर

१. श्री कल्याण सहाय गुप्ता संगठक	बी. ए. एल. एल. बी.	११०-५-१३५-ई. बी.१०-२२५	२९-३-६३
२. श्री मोहनलाल वर्मा स्टेनो १००-२०-१२०	मैट्रिक	८०-५-१२०-ई. बी.८-१६०-१०-२००	१-१२-५५
३. श्री लक्ष्मण लाल केवासवानी नि. सं. लि.	,,	६०-४-८०-५-१००-ई. बी. ५-१३०	८-४-६१

ऊनी खादी कार्यक्रम के अन्तर्गत

संस्थापन व्यय

१९६०-६१ ..	..	..	..
१९६१-६२	..	..	३५,२९८.०६
१९६२-६३ ..	..	..	..
२१-९-६२ तक	..	..	५,७९८.०६
		योग ..	४१,०९६.१२

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०६ का उत्तर देखिये)

List of licences issued by the Government of India, (Development and Regulation) Act, 1951 for Rajasthan.

S.No.	Name & address of the industrial undertaking/licensee.	Location	Licensed capacity.	Date on which licence was granted.
1	2	3	4	5
	Ajmer.			
1.	Toshniwal Industries Ltd., Jamshedji Tata Road, Bombay.	Ajmer	(*i*) Autoclaves water & bath & other laboratory apparatus of B.L.T. design-Rs.72,000-10 H. metres Gem ducticity Bridge Etc. of PYE design-Rs 40,90,000/- Tabular Rheostats of B.C .CO. Design-Rs.1,00,000/-	27-10-59
			(*ii*) Switch Board Instruments by the end of 5 years-4,600 Nos.; Ind. process & Control instruments by the end of 5 years -1950 Nos.	19-12-59
2.	Shri B. Kanoria, India Exchange Calcutta-1 (M/s. Aditya Mills.)	Kishangarh	Cotton yarn-25,000 spindles cotton cloth-500 looms;	4-6-60
3.	Bijai Cotton Mills, Bijainagar.	Bijainagar.	Cotton yarn-12,000 spindles Cotton cloth-300 looms;	27-10-61

1	2	3	4	5
	Alwar.			
4.	Jai Bharat Oil Mills, Khairthal.	Gangapur	Extraction of oil cakes to manufacture vegetable oil by Solvent Extraction process -60 tons of cottonseed per day or 75 tons of oil cakes per day.	1-9-60
5.	M/s Behari Lal Beni Prasad, Mahalaxmi Market, Chandni Chowk, Delhi-6.	Alwar.	Cotton yarn-12,000 spindles.	4-4-62
	Banswara.			
6.	Shri Ram Gopal Saharia, 35, Chittaranjan Avenue, Calcutta-12 (M/s. Rajasthan Chip Board & Saw Mills).	Banswara	Chipboard (Particle board)-7,200 tons per annum;	29-5-61
	Bharatpur			
7.	M/s Gurunanak Steel Rolling Mills, Bharatpur.	Bharatpur	Bars (Round, Square), flat, foofs & angles -40 tons p.m.	12-10-59 started functioning.
7B.	Shri Shiv Kumar Bhuwdha Kalliadevi Road, Bombay-2	Dholpur	Cotton yarn-12,000 spindles	12-12-60
8.	M/s Perfect Pottery Co. Ltd., Jabalpur(M.P.)	Dholpur	Fire bricks-7,200 tons p.a.; Stone-ware pipes and fittings (including chemical stone-ware)-7,200 tons p.a.	1-5-62
8A.	Shri S.K. Agarwal, Khawani Road, Agra.	Dholpur	Thermometers Glass Tulings etc.	7-1-63
	Bhilwara.			
9.	M/s Bhopal Mining Works, Bhilwara.	Bhilwara.	Mica Insulating Bricks-80,000 pieces.	20-10-58 started functioning.

10.	M/s Rajasthan Spinning and Weaving Mills, 23-24 Radha Bazar Street, Calcutta-1.	Bhilwara	Cotton yarn-1,800 spindles, Cotton Cloth 450 looms;	28-10-60 srarted functio-ning.
11.	M/s Bharat Commerce & Industries Ltd., Birlagram Nagda (M.P.)	Bhilwara	High Tension Insulators-1500 tons p.s. Low Tension Insulators-500 tons p.c.	3-2-61
	Bundi.			
12.	M/s J.K. Cotton Manufacturers Ltd., Kamla Tower, Kanpur (U.P.)	Keshoraipatan	Cotton yarn-12,000 spindles.	21-4-62
	Chittorgarh.			
13.	M/s. Birla Jute Manufacturers Co. Ltd., 8, India Exchange Place, Calcutta-1.	Chittorgarh.	Portland Cement-1,67,620 tons.	16-6-61
14.	M/s Pratap Cotton Mills, Prem Niketan, 220 Ashok-Nagar, Udaipur.	Chittorgarh.	Cotton yarn-12,000 spindles.	4-4-62
	Dungarpur.			
15.	M/s Surya & Co., Dudu Bagh, Sansarchandra Road, Jaipur.	Dungarpur	Cotton yarn-12,000 spindles.	4-4-62
	Ganganagar.			
16.	Shri B.L. Jalan, 8, Dalhousie Square East, Calcutta-1 (M/s. Raj Fertilizers & Chemical Corporation Ltd.)	Hanumangarh.	Ammonia-97,000 tons p.a.; Ammonium Sulphate-3,96,000 M. Tons p.a.	6-3-61
17.	M/s. Khemchand Bahadurchand, Abohar (Punjab)	Hanumangarh	Cotton yarn-12,000 spindles.	6-4-62
18.	Shri K.L. Thirani, 1 & 3 Brabousne Road, Calcutta-1	Nohar.	Cotton yarn—12,000 spindles.	4-4-62

1	2	3	4
	Jaipur.		
19.	M/s. Sanghi Oxygen Co., 3/13, B-Asaf Ali Road, New Delhi. Jaipur	Oxygen—9.0 lakh c.ft. p.m.; Acetylene—2.0 lakhs c.ft. p.m.	25-8-59 started functioning.
20.	M/s. Rajasthan Fine-Worsted Spinning Mills, C/o. Oswal Cotton Spinning & Weaving Mills Ltd., Ludhiana. Jaipur	Semi-wrosted yarn from indigeneous wool —6.24 lakh lbs. p.a.; (1,000 spindles).	5-11-59
21.	M/s A. Mukherjee & Co., Babuji-Ki-Kothi, Naya Ghat Road, Jaipur. Jaipur	Brass sheets, circles and strips—40 tons p.m.	22-10-59 started functioning.
22.	M/s Himatlal J. Lani, 119-128 Vithal Bhai Patel Road, Bombay. Jaipur	Shoddy yarn—800 spindles.	9-5-60
23.	Shri Mahavir Prasad R. Morarka, 24, B-Carmichael Road, Bombay-26 (M/s. Safety Glass Fibre Ltd.). Jaipur	Glass Wool—130 tons p.m.; Glass Fibre—30 tons p.m.; Tempered Safety Glass—6,000 sq. meters p.m.	20-7-60
24.	M/s. Paramount Industries & Agencies, C/o. Beharilal Beni Prasad, Mahalaxmi Market Chandni Chowk, Delhi—6. Jaipur.	Cost iron spun pipes & relative fittings —24,000 tons p.a,	28-7-60
25.	M/s. Poonamchand & Bros. (P) Ltd. near, Railway Station, Jaipur. Jaipur	Synthetic sapphirs jewel bearings for electric meters—7.2; million Nos. p.a.; watch jewels—36 million Nos. p.a.; Gramophone needles—72 million Nos. p.a.	28-7-61
26.	M/s. Swaika Oil Mills, 18, B-Brabourne Road, Calcutta-1. Jaipur	Cottonseed oil—60 tons, cottonseeed per day.	28-8-61

27.	M/s Spinning Accessories (P) Ltd., 138, Canning Street, Calcutta-1.	Jaipur	Foundrinier wire cloth for paper machines 9,60,000 Sq. ft. per annum;	7-9-61
28.	M/s. Ramkumar Shewchandray & Sons (P) Ltd., 336-A, Kalbadevi Road, Bombay-2 (M/s Rajasthan Insulators & Bushings Ltd.)	Jaipur.	High tension & Low tension insulators including Bushings up to 220 KVA=2,000 tons p.a.;Electric Porcelain=500tons p.a.	15-1-62
29.	Shri R.D. Bangur Purohitji-ka-Katla, Jaipur (M/s Apex Electricals Ltd.)	Jaipur.	House Service Electricity Meters single phase=60,000 Nos. p.a. H.S. Electrical Meters polyphase=18,000 Nos. p.a.	9-3-62
30.	M/s. Lyra Engineers, G.T. Road, Mullerganj, Ludhiana,(M/s Taxi meters & Equipments Ltd.)	Jaipur.	Taxi—meters =3,600 Nos.	9-4-62
31.	M/s. Beharilal Beni Prasad, Mahalaxmi Market, Gandhi Chowk, Delhi (M/sRajasthan Meters).	Jaipur.	Domestic Water meters ½"-1" size:—1st year=20,000 Nos. 2nd year=30,000 Nos; 3rd year=50,000 Nos; per annum; Industrial Water Meters; 1½" to 6" size-1st year=2,000 Nos; 2nd year=3,000 Nos.; 3rd year=4,000 Nos. p.a.	16-4-62
	Jhalawar.			
32.	M/s. Rajasthan Textile Mills, Bhawanimandi	Bhawanimandi.	Cotton yarn=14,400 spindles; Cotton cloth =3000 loom.	9-8-60
	Jhunjhunu.			
33.	M/s Ramkumar Shewchandray & Sons (P) Ltd. 336-A Kalbadevi Road, Bombay-2.	Jhunjhunu	Cotton yarn=12,000 spindles.	4-4-62
34.	Shri Purshottam Lal Jhunjhunuwala, 57-Apollo Street Fort, Bombay.	Bisan.	Guar Gum=7,000 tons p.a.	5-12-62
	Jodhpur			
35.	M/s. Nahatta Bros. Nahta Bhawan, Chopasni Road, Jodhpur (Jodhpur woollen Mills (P) Ltd.	Jodhpur	Coarse count woollen yarn=720 spindles, Blankets and coarse woollen cloth=10 power looms, carpot making=10 hand looms; Iron Bars=75 tons p.m.	26-5-58

1	2	3	4	5
36.	M/s Rajendra Prasad Jawaharlal Engineering Co. & Iron Rerolling Mills, Jodhpur.	Jodhpur	Iron Bars=75 tons. p.m.	6-1-60 Started functioning.
37.	M/s Swaika Flour Mills, P.N.B. House, 18-B Brabourne Road, Calcutta.	Jodhpur	Wheat products=50 tons per day in terms wheat.	14-8-61
38.	Shree Ashok Cotton Mills, Ashok Bhawan, 658, Residency Road, Jodhpur.	Jodhpur	Cotton yarn=12,000 spindles.	4-4-62
	Kota.			
39.	M/s J.K. Synthetics, Kamla Tower, Kanpur (U.P.)	Kota	Nylon Perlon=0.48 million lbs. per annum.	22-5-59 Started functioning.
40.	M/s Foreign Import & Export Association, 5th Floor, Gool Mansion, Hornby Street, Bombay.	Kota	Wool Tops=1.5 million lbs. p.a.	15-6-60
41.	M/s Rajasthan Cable Industries, 23-25, Mlti shaw chawl, Sheikh Memon Street, Bombay-2.	Kota	V.I.R. Cables=10 million core yards.	12-5-60
42.	Shri G.D. Binani, 35 Strand Street, Calcutta (M/s Multimetals limited)	Kota	Copper/Brass/Copper base alloy tubes, roofs & sections and copper printing rolls for textile industry=5000 Rolls p.a.	9-8-60

43.	M/s Rajasthan Ceramic Industries Ltd., 28, Appolo Street, Bombay.	Kota	(*i*) High tension & Low tension insulators =2,400 tons p.a.	9-8-60
			(*ii*) Porcelain Electric Components (other than H.T. & L.T. Insulators)=140 tons p.a.; sanitary ware=1,600 tons p.a.	30-1-61
			(*iii*) Electrical Switchgears:—Metalled switches=3,600 Nos.; Switch Boards =240 Nos.; Switch Fuse units=1200 Nos.; Metal clad switchgears:—L.T.= 240 Nos.; Oil Circuit Breakers=480 Nos.;	27-1-61
44.	M/s Mahalaxmi Laghu Udyog (P) Ltd., Kota Jn.	Kota	Cotton waste yarn=12,000 spindles.	5-10-60
45.	M/s Rajasthan Pipes (P) Ltd., 68, Nalini Sett Road, Calcutta.	Kota	Cast iron spun pipes=30,000 tons p.a.	7-10-60
46.	M/s Rajasthan Vinyl & Chemical Industries, Bara Hindu Rao, Delhi.	Kota	P.V.C. & Coplolymers=20 tons per day; Caustic Soda=30 tons per day; Calcium Carbide=90 tons per day.	27-12-60
47.	Shri Chandansinha Bharatiya, 25, Yaswant Niwas Road, Indore (M.P.) (M/s Oriental Power Cables).	Kota	Paper insulated Power Cables=600 miles per annum.	22-8-62
48.	M/s Rajasthan Flour-Dal Mills, Jaipur	Kota	Wheat products=1,250 tons p.m.	-9-60
49.	M/s Electro-Ceramic Products Ltd., Das Chambers, 25-Dalal Street, Fort, Bombay.	Kota	Electric Porcelain other H.T. & L.T. Insulators=500 tons p.a.; Bushings up to 132 KV tons p.a.; H.T. & L.T. Insulators= 1,800 tons p.a.	30-1-61

1	2	3	4	5
50.	M/s Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd., Bara Hindu Roa, Delhi- 6.	Kota	Viscose High Tenacity Rayon yarn starting from cotton linters=300 tons p.m. or 8 million lbs. per annum;	22-3-61
51.	M/s Rajasthan Wool Industries, Gool Mansion, 5th Floor, Homeji Street, Fort, Bombay.	Kota	Paper maker felts & nolls=5,00,000 Sq. ft. per annum.	3-5-61
52.	M/s Leiner Knit Gelatine Co. (P) Ltd., Pearey Lal Building, Janpath, New Delhi.	Kota	Ossein=12,000 tons p.a.; Dicin m phosphate =9,000 tons p.a.	12-6-61
53.	Shri Kanta Prasad, Ashok Nagar, Ashok Marg, Jaipur, (M/s Kota Straw Boards Ltd.)	Kota	Straw boards=500 tons p.o.a.; Pulp=4,500 tons p.a.	26-7-61
54.	Shri Shanti Swarup, 7/13, Daryaganj, Delhi-7 (Ceramic Industries)	Kota	Electric Porcelain Parts=1,200 tons p.a.	18-1-62
55.	Shri Sharad Chandra, Kothari Bhawan, Marwari Road, Bhopal.	Kota	Transporting Equipment	9-1-63
56.	M/s Associated Iron & Steel Industries (P) Ltd. Ramganjmandi.	Ramganj-mandi	Malleable Iron Casting=1,500 tons p.a. Cast Iron Castings=7,500 tons per annum	7-3-62
	Pali.			
57.	Shri B. Kanoria, India Exchange, Calcutta-1. (M/s Rajasthan Rodlder Flour Mills.)	Pali	Wheat products=50 tons per day in terms of wheat.	14-8-61
	Sikar.			
58.	M/s Podar Mills Ltd., Podar Chambers, Fort, Bombay.	Reengus	Cotton yarn=1,200 spindles.	31-8-62

परिशिष्ठ

1	2	3	4	5
	Udaipur.			
59.	M/s Udaipur Distillery Co. (P) Ltd., Udaipur	Udaipur	Portable spirits.	14-8-57 Started function ing.
60.	M/s Swadeshi Cotton Mills Ltd., Swadeshi House, Kanpur (Udaipur Cotton Mills)	Udaipur	Cotton yarn—15,000 spindles;	12-9-57 Started Function-ing.
61.	The Metal Corporation of India Ltd., 135, Canning Street, Calcutta.	Udaipur	(*i*) Electrolytic Zinc=48,000 metric tons p.a.; suphuric acid=28,000 metric tons p.a. Cadmium=75 metric tons p.a.	6-1-60
			(*ii*) Pig lead=3,000 tons p.a.; Silver=1,80,000 ozs. p.a.; (After installation: Pig lead=9,000 p.a.; Silver=5,40,000 ozs. p.a.)	18-6-60
			(*iii*) Lead sheets=5.400 m. tons p.a.; Lead pipes=5,400 m. tons p.a.	30-5-61
62.	Shri P.D. Singhal, Lake House, Udaipur. (M/s Pesticides, India).	Udaipur	Pesticidal Formulations=1,135 tons p.a.	4-7-60 Started functioning
63.	M/s Kamani Engineering Corpn. Ltd. Kamani Chamber, Nicol Road, Ballard Estate, Bombay.	Udaipur	Pig Iron=1,00,000 tons p.a.	3-8-62

Expansion licenses granted by the Government of India under Industries (Development and Regulation) Act, 1951 to the already existing industrial undertakings in Rajasthan.

S. No.	Name of the industrial undertaking and location	Licensed Expansion	Date of License.
1	2	3	4
1.	National Engineering Industries, Jaipur.	(*i*) Roller Bearing Axle Boxes 18,000 Nos. per annum;	19-11-59
		(*ii*) Steel Balls for Bicycles 33,000 gross p.m. (after expansion 1,16,000 gross p.m.)	19-2-60
		(*iii*) Ball Bearing 9.0 lakh Nos. Tappeared Roller Bearing 3.18 lakh Nos., Parellel Bearing 2.0 lakh Nos.	29-6-60
1a.	Mewar Sugar Mills, Bhopal Sagar	500 tons sugarcane per day (capacity after exp.=1000 tons cane per day.	1-3-57
2.	Man Industrial Corporation Ltd., Jaipur	(*i*) Steel Forgings=100 tons per annum.	22-3-60
		(*ii*) High Tension Transmission Towers (capacity to be determined after industry goes into production);	10-11-60
		(*iii*) Silico Manganese Steel (excluding stainless steel) 1st stage 12,000 tons p.a.; 2nd stage 24,000 tons p.a.	5-8-61
3.	Jaipur Metals and Electricals Ltd., Jaipur.	(*i*) Permanent Magnets 1,20,000 pieces per annum;	21-6-60
		(*ii*) A.C.S.R. and all aluminium conductors= 1,500 tons p.a.	10-10-60
		(*iii*) Cotton, silken and paper covered strips=300 tons	5-1-61

परिशिष्ठ

1	2	3	4
4.	Mahesh Metal Works, Kishangarh	Brass wares 338 tons p.a.; Copper wares 12 tons p.a.; Alluminium wares 14 tons p.a; Stainless steelwares 1 ton p.a;	8-1-60
5.	Dholpur Glass Works, Dholpur	Penicillion vials and Laboratory Glass wares	18-2-59
6.	Krishna Mills, Beawar	1,988 spindles for cotton yarn.	23-10-61
7.	Udaipur Distillery Co. (P) Ltd., Udaipur	(*i*) Malt extract 24 tons p.a. (*ii*) I. Liquid preparations; 1. tinctures, spirits and extracts 10,500 lbs. 2. liniments 3,3000 lbs. 3. Syrups 2,200 lbs. 4. disinfectants 3,000 gallons (phynyle). 5. others 4,750 lbs. II. Powders—60 lbs. III. Ointments and Balms 4000 lbs.	15-11-61 22-1-62
8.	Ganganagar Sugar Mills Ltd., Ganganagar	Rectified spirits and impure spirit=9,07,200 gallons p.a. (after expansion)	24-1-62
9.	Jaipur Spinning & Weaving Mills, Jaipur	2424 additional spindles for manufacture of cotton yarn	4-4-62
10.	Shree Sadul Textiles Ltd., Sri Ganganagar.	2704 additional spindles for manufacture of cotton yarn	4-4-62
11.	Gopal Industries Ltd., Kota	6,000 additional spindles for manufacture of cotton yarn	4-4-62
12.	Swadeshi Cotton Mills Co., Ltd. Udaipur	3040 additional spindles for manufacture of cotton yarn	4-4-62

13.	National Engineering Industries Ltd., Jaipur.	Steel Rolled Rings of outer diameter not exceeding 18"=1,50,000 Nos. p.a.	30-4-62
14.	Sutlaj Cotton Mills Ltd., Bhawanimandi, (Rajasthan Textile Mills.)	3,600 additional spindles for manufacture of cotton yarn	6-4-62
15.	Shree Gopal Industries, Kota.	140 automatic looms for manufacture of cotton yarn	27-3-62
16.	Shri Gopal Industries, Kota	7,000 additional spindles for manufacture of cotton yarn	5-5-62
17.	Maharaja Shree Umaid Mills, Pali	10,000 additional spindles for manufacture of cotton yarn	5-5-62
18.	Delhi Cloth & General Mills, Delhi(Kota)	P.V.C. Products like rigid Pipings and calendered sheets with printing on P.V.C.=1,500 tons p.a.	22-6-61
19.	Bhopal Mining Works, Bhilwara.	Mica Insulating Bricks=7,200 tons p.a.	11-5-62
20.	Mewar Textile Mills, Ltd. Bhilwara.	800 additional spindles for manufacture of cotton yarn	10-8-62

List of applications recommended by the State Government to the Government of India for grant of license for setting up on Industrial undertaking, in Rajasthan on which decision of Government of India is awaited:

S. No.	Name of the Applicant and proposed location.	Lines of proposed manufacture and capacity applied for.
1	2	3
1.	Hind Tyres Ltd., Kota.	Auto-Tyres 10,000 p.a. Auto-Tubes 10,000 Cycles Tyres 50,000 p.m. Cycle Tubes 50,000 p.m.
2.	Indo Flex (P) Ltd., Jaipur.	Flexible tubes 90,000 meters p.m. precision Rivets 20 tons p.m. Pressure Die Casings 50 tons p.m. Precision sheets metal press work 25 tons p.m.
3.	Podar Mills Ltd., Jaipur.	Bicycles Tyres 1,25,000 pieces. Bicycle Tubes 1,25,000 pieces.
4.	Shri B.Kanoria, Bikaner.	Gypsum Wall Boards, Gypsum Lath and Gypsumeneathing. Gypsum Wall Plaster & Building blocks 750 tons p.m.
5.	Podar Trading Co., (Location not decided)	H.T.&.L.T. Insulators 200 tons per month.
6.	Jaipur Spg. & Wvg. Mills, Jaipur.	Portl and Cement 33,300 tons p.m.
7.	Hersh Engineering Industries, Jaipur.	Silvered Mica capacitors 5,00,000 Nos. p.m. Tabular Paper Capacitors 4,15,000 Nos. p.m. Hermetically seal tad paper capacitors 85,000 pieces p.m.
8.	Jaipur Udyog Ltd., Abu Road.	Cement 1,65,000 tons p.m.
9.	Bhagwati Paper & Board Mills, Bhilwara.	Paper & Boards 150 tons p.m.
10.	Agr. Ind. Private Ltd., Kota.	Redenticide 25 tons p.m.
11.	Chitarmal Ramdayal, Bharatpur.	Steel Castings including alloy steel casting 300 tons p.m.

१६११

1	2	3
12.	Shri R. D. Bangur, Jaipur.	Bicycle Tyres & Tubes 1,00,000 Nos. p. m.
13.	Bharat Laminates, Kota.	Laminated Plastics & Formica sheets 3 million Sq. ft. p. m.
14.	Shri Mukund Dass Rathi, Kota.	Bleaching, Dyeing, finishing printing and raising plant for processing of cotton yarn and cloth printing 4,75,50 meters per month; Peroxide Bleaching 5,94,500 meters p. m. Raising. 2,28,500 meters p. m.
15.	Podar Mills Ltd., Kota.	Auto-Tyres & Tubes 25,000 Nos. p. m.
16.	Shri G. D. Jhunjhunuwala.	Staple Fibre Yarn 12,500 spindle.
17.	Shri R. L. Jaju, Calcutta, (Jaipur).	Sodium Tungstate=150 tons p.m. Tungsten Metals=10 tons p. m. Tungsten Carbide=10 tons p. m. Ferro Tungsten=100 tons p. m.
18.	Raj Meters Ltd., New Delhi (Kota).	Water Meters 4,000 Nos. p. m.
19.	Rajasthan Nirman Ltd., Gulab Niwas, Jaipur.	Stoneware pipes & Tower packings.
20.	Jaipur Udyog (P) Ltd., Sawai Madhopur Kota.	Rayon Filament yarn and staple fibre=750 tons p. m. Glaubers salt=1500 tons p. m.
21.	Podar Mills Ltd., Bombay, (Kota).	Viscose Staple Fibre=15000 tons p. m.
22.	Shri G. P. Kaushik, Delhi, (Kota).	Roller bearing Inserts, 5,000 pcs. and Jockey Pitteys=12,000 pcs.
23.	Vijai Kumar, Vinay Kumar, Calcutta (Bikaner).	Clothings and Blankets (woollen).
24.	Prem Industries Corp., Kota.	ACSR=60 tons; All aluminium standed conductors=40 tons; Alluminium binding wires=20 tons.

25.	Raj. Ba hadur RamPrasad Rajgarihia, Jaipur.		Viscose staple, Fibre=150 tons p. m.
26.	Mohan Lall Prem Ratan, 161/1, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-7(Jaipur)		Transistors and Transistor Equipments=50,000 Transistors p.a.
27.	Swadeshi Cotton Mills Co. Ltd., Kanpur (Hanumangarh/Udaipur/Bhawanimandi/ Kota)		Viscose filment yarn=10 tons per day.
28.	Swaika Oil Mills (Location not decided)		Various types of paints.
29.	Hindusthan Glass Industry.		Sheet glass and plate glass.
30.	Shree Pratap Commercial Co. (P) Ltd., Bhilwara.		Asbestos Products.
31.	Shri Sohanlal Singhania C/o J.K. Cotton Spig. Mvg. Mills Co. Ltd., Kamla Tower Kanpur.	Tamsal (Bikaner)	Gypsum Board=60,000 Nos. of size 3.3 per m.
3 .	M/s. Panchi Ram Nahta, 177, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-7.	Kota (Bikaner)	Woollen Tops=1 lakh kg. Tops of Synthetic Fibres= 2 lakhs Woollen yarn=1 Lakhs kgs. Woollen Fabric=2½ Lakh yards.
33.	Shri Ramsingh Rathore M/s. Maharaja Shri Abhya Paper Mills C/o. Municipal Board, Sikar.	Abu Road. (Sirohi)	(i) High grade writing & Printing paper. (ii) Bond, Ledger and chque paper. (iii) M.F.Craft paper. (iv) Art paper=250 tons in a month. 2. Card Board, Grey Board and straw Board=125 tons in a month By product=2 tons. e (i) Valuable oil of Rozi Grass. (ii) Other products of waste-jag and chemicals.

१६९४

34.	M/s Johurimull Ramlall, 208, Mahatma Gandhi Road (Manohar Bag Kapra), Calcutta.	Kota Bikaner	Woollen Tops=1 lakh kgs. Tops of Synthetics Fibre=2 lakhs kgs. Woollen yarn=1 Lakhs kgs. Woollen Fabric=2½ lakhs yards.
35.	M/s. Bikaner Spg. & Wvg. Woollen Mills, 462, Raja Park, Jaipur.	Jaipur	50,000 lbs. worsted woollen yarn (20,000 worsted spindles).
36.	Maharaja Shree Abhay Paper Mills, Abu Road.	Abu Road	Paper and pulp.
37.	M/s Parasmal Bagrecha.	Beawar	All aluminium A.C.S.R. conductors 200 tons per month.
38.	M/s Bikaner Spg. and Wvg. Mills.	Jaipur	Raw wool to wool Top 1,25,000 lbs Monthly proposed installed capacity.
39.	M/s Sahu Jain Ltd.	Jaipur/ S.Madhopur/ Bikaner.	(1) Wool Top 4,50,000 lbs. (2) Worsted yarn 10,000 spindles.

Expansion License Recommended by the State Government.

1.	Rajasthan Vinyl & Chem. Ind	"Vinylong" Synthetic Fibre=300 tons p.m.
2.	J.K. Synthetics Ltd., Kota	"Kanekalon" Synthetic Fibre=300 tons p.m.
3.	National Engineering Industries, Jaipur	Steel Casting 600 tons.
4.	Raj. Cable Industries, Kota.	Thermoplastic Cables 1.50 million core yards.
5.	National Engineering Industries Ltd.,Jaipur	Brockhouse Torque Converotrs.
6.	Jaipur Metals & Electrical Ltd., Jaipur.	Measuring instrument & apparatus.
7.	Jaipur Metals & Electrical Ltd., Jaipur	Electrical resistance alloy materials..

१६९५] **परिशिष्ट-४**

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१४ का उत्तर देखिये)

Award dated 29th April, 1961.

The point at issue between the Ministry of Commerce and Industry (Govt. of India) and the Govt. of Rajasthan in regard to the long term lease of Salt Sources at Sambhar on which both the parties have asked me to arbitrate Rajasthan Chief Minister's letter dated the 22nd March, 1960 and the Minister of Industries letter dated the 30th March, 1960 is contained in the annexure A, paragraph 5 of which runs as follows:—

"What should be the annual lump sum compensatory payment by the Government of India to the Government of Rajasthan on the abolition of the existing royalty on salt and for the royalty chargeable on the by products of salt?

2. The Government India's case was set out in a note of 30th March, 1950 want to me. This note was forwarded to the Rajasthan Government for comments. A copy of the Rajasthan Government's note containing their comments was furnished to the Commerce and Industry Ministry. I had a preliminary discussion with the representatives of the two Governments on Saturday, the 27th August, 1960, when the procedure to be adopted was discussed. It was decided that the Government of Rajasthan should prepare and send to me and simultaneously to the Government of India in the Ministy of Commerce and Industry a statement of their case and that after examining it the Ministry should send their reply to the State Government's case. The Rajasthan Government filed a statement of their case on the 15th September, 1960, and the Minister's reply was received on the 19th December, 1960. I had another meeting with the re-presentatives of the Governments on the 9th Jan., 1961, when the Advocate General of Rajasthan raised certain points about the manner in which prices were fixed and accounts were maintained. The Ministry were asked to examine these points and send a note. This note was received on the 23rd Jan., 1961. I also had consultations with representtatives of both Governments on the 27th April, 1961. I am grateful to the representatives of the Ministry and Government of Rajasthan for the assistance they have given by explaining their points of view and furnishing information on all relevant details.

3. Annexure B sets out the background of the case, the contentions on both sides; factors relevant to the issues in dispute; and the financial results of the working of the Sambhar area over a number of years.

4. I have examined the issues carefully and considered the conditions under which the salt and other resources can be developed jointly by both Governments to the best advantage. In arriving at conclusions, I have considered analogous instances rentals for salt losses, work of other salt sources etc. and also the advantages possessed by the Sambhar area and the order of capital outlay involved in the programme of development envisaged.

5. In order that effect may be given to the agreements between the two Governments mentioned in paragraphs 1 and 2 of Annexure A, I decide as follows:—

(*i*) For the 99 years lease of the Sambhar Lake to the Govt. of India, the State of Rajasthan will be paid the existing annual rent of Rs. 5,501, lakhs over the entire period. The Government of Rajasthan should carry out all measures needed to ensure free flow of water into the Sambhar Lake.

(*ii*) A company should be sent up, for working the Sambhar area and carrying out the integrated programme of development envisaged in which the Government of India (Either by themselves or through the Hindustan Salt Co.) and the Government of Rajasthan will be share-holders. The Govt. of India will allot free shares in favour of the Govt. of Rajasthan to the extent of 40 percent of the paid up capital of the company from time to time. This will be in full compensation to the Rajasthan Govt. for royalty. None of the other claims advanced by the Rajasthan Government are admissible. The Rajasthan Govt. will have two representatives on the Board of the Company.

(*iii*) For the period between the expiry of the present arrangement (January, 60) and the formation of the company referred to in (2) above, payment will be made to the Rajasthan Govt. on the terms in force up to January, 1960.

(*iv*) If during the five year period 1960-61 to 1964-65 it is found that the *aggregate* payments made to the Rajasthan Government fall below Rs. 80 lakhs i.e., Rs. 16 lakhs a year on an average the difference will be made good by the Company to the Rajasthan Government. This is a temporary arrangement to avoid dislocation, if any, caused to the revenue of that Government during the next Plan period.

(*v*) If any question arises in regard to this award on which the parties differ, a reference shall be made to an arbitrator agreed to between the parties, or in the event of the parties not agreeing, an Arbitrator appointed by the Chief Justice of India. The decision of the Arbitrator shall be pending on both parites.

*New Delhi 29th April,*1961.

V.T.KRISHNAMACHRI

Page No.131

Terms of Arbitration agreed to between the Ministry of Commerce and Industry and the Government of Rajasthan for a long term lease of salt sources in Rajasthan for manufacture of Salt and its by-products etc.

In view of the overall national interests, the manufacture of salt at Sambhar as at several other places in India, has continued to be undertaken by the Government of India for the last hundred years and more. Development of salt Industry and all its by-products and ancillary and allied chemical industries in Rajasthan is of vital importance to the industrial development of Rajasthan and the whole country. The Government of Rajasthan and the Government of India agree that the manufacture of salt at Sambhar may, therefore, continue to be done by the Central Government. While doing so, the Central Government and Rajasthan Government shall also endeavour to develop the manufacture of the by-products of salt, the right to manufacture by products resting at present with State Government as also the ancillary and allied chemical products in Rajasthan.

2. The lease of land occupied by the salt works at Sambhar etc., which is now held on certain terms and conditions by the Government of India from the Government of Rajasthan, is expiring on the 26th January, 1960. It is agreed to continue the lease for a further period of 99 years.

3. The existing terms of lease are as under:—

(*i*) Rent Rs. 5,50,000. Items 1,6 & 8 if the schedule to the Federal Financial Agreement of 1950 at Pp 278-280 of Salt Manual Vol.II.

(*ii*) Royalty at 40% on sale price of salt in excess of 17,25,000 mds.	Items 3,7&9 of the Schedule to the Federal Financial Agreement of 1950 at Pp. 278-280 of Salt Manual Vol II.

Note:—Rents actually being paid by the Govt. of Rajasthan to the original *arantrs* or to their successors subject to the maximum of Rs. 13,309/2/7 as indicated in items 4 & 5 of the Schedule to the Federal Financial Agreement of 1950 at Pp 278-280 of Salt Manual Vol II. This amount, it is understood, is not claimed by Rajasthan Government as they are themselves not perhaps paying rents on the grantees or their successors.

4. When the royalty as in para 3 above was fixed the cost of production of salt was of a very small amount. Now, with the multifold increase in costs of production and consequent increase in price of salt, the Government of India feel that the above royalty at such a high percentage of sale price is not bearably by a commodity like salt, both for domestic and industrial consumption, and with such a high rate of royalty, the Sambhar salt and its by-products cannot with-

stand competition with salt and its by-products elsewhere in the country, where no such royalties or such high royalties are levied. The Government of Rajasthan on the other hand, feel that this royalty yields them substantial revenue now, and its reduction or abolition will cause a serious loss to the State Exchequer causing the Government of Rajasthan to loss its present and potential increasing source of revenue from this. The Govt. of Rajasthan are also of the view that the royalty charged by them will not raise the cost of production of salt to such an extent which may not be bearable by salt for industrial consumption.

5. It is, therefore, agreed that this question of royalty on salt and its by-products at Sambhar may be referred for arbitration to Shri V.T. Krishanamachari and both the Government agree to abide by his decision son the following points:—

What should be the annual lump sum compensatory payment by the Government of India to the Government of Rajasthan on the abolition of the existing royalty on salt and for the royalty chargeable on the by-products of salt ?

The background.

The salt sources in Rajasthan were obtained on lease by the Government of India from the former princely States of Jaipur and Jodhpur under treaties executed in 1869, 1870 and 1879. The aim was to secure monopoly in production of salt and levy duty on it. These treaties specified the rents, royalties and compensations *payable* to the States. With the abolition of the duty on salt on the 1st April, 1947 the Government of India agreed to continue these payments up to 31st March, 1950.

2. With Federal Financial integration the position in regard to these payments underwent a charge. It was decided at the time of integration, after 31st March, 1950 that liabilities of the Government of India to the Government of Rajasthan (as successor to the princely States of Jaipur and Jodhpur would be terminated, with the exception of payment of a commercial such as rent, whether payable in cash or kind and royalties. The payment which were to continue after the 31st March, 1950, were shown in the schedule attached to the Agreement entered into between the president of India and the Rajpramukh of Rajasthan dated the 26th February, 1950. This agreement was to be in force for a period of 10 years from the 26th January,1950 in so far as the Sambhar sources are concerned. These payment were:

(*i*) Rent Rs. 5.5 lakhs.

(*ii*) Royalty at 40 percent on sale price on all production in excess of 17,25,000 mds.

3. When the lease was about to terminate, the Government of India made an offer of terms to the Rajasthan Govt. in July, 1959, for an integrated development of the Sambhar Lake sources for production of salt and by-products of salt. These terms were:—

(*i*) The payment to the Rajasthan Government in respect of the lease of the Sambhar Salt sources will be continued at Rs. 5,50,000/- (Five Lalks fifty thousand).

(*ii*) The above rent will be all inclusive and cover *inter-alia* the right to manufacture salt, by-products of salt, etc.

(*iii*) No royalty or other payments will be made either for salt or by products of salt.

(*iv*) The lease of Sambhar Lake area should be on a long term basis for 20 years and the lessees should have the option to renew the same for another 30 years on the same terms. The lessees should have free and unrestricted right to take production of any kind either themselves or by sub-leasing the lands to any authority or corporation for the purpose.

4. The State Govt. did not agree to these terms for the following reasons:—

(*i*) Sambhar is fully development for manufacture of salt, unlike the undeveloped sea-shore in Bombay and Madras, levy of rent, etc. at the present rate is therefore reasonable and fair.

(*ii*) The question of royalty payment was fully gone into at the time of Federal Financial Agreement and the Government of India accepted the entire royalty as a commercial payment.

(*iii*) The by-products of salt are the natural wealth of the State and are not covered by the existing agreement. That being the position, levy of royalty on by-products seperately would be justified.

The Government also draw attention to the talks that had taken place in June, 1956 for the working of the by-products during which the following alternative schemes were discussed.

(*a*) The Government of India to exploit and utilize the bitterns on payment of royalty at Rs. 5/- per ton of bitterns to the Government of Rajasthan, except that for the purpose of research and investigation no royalty will be demanded or paid.

(*b*) The Government of India and the Government of Rajasthan to jointly exploit these bitterns as partners on a 50-50 basis. The Rajasthan Government desired that royalty should be paid to them at Rs. 5/- per ton under this alternative.

(*c*) the Rajasthan Government to exploit the bitterns with the assis-

tance of the Central Government. In this case the property in salt recovered from the bitterns will be settled with the Government of India.

(*d*) Any patents arising will be safeguarded under the Council of Scientific and Industrial Research Rules.

5. In their case before me, the Rajasthan State Government urged the following points:—

(*i*) The incidence of royalty works out not to about 40 to 50% of the entire sale proceeds as stated by the Ministry of Commerce and Industry but only to about 20%

(*ii*) The Sambhar Salt works are working at a profit. The cost of the establishment at Sambhar, which is about Rs. 6.2 Lakhs per annum should be debited to the proceeds from the salt cess levied under Act 49 of 1953 and not to the works.

(*iii*) The State is also entitled to a share of the cess. In its memorandum the State given its estimate of the potentialities for the manufacture of by-products and suggests that commercial utilisation would be possible after payment of a royalty at Rs. 5/- per ton of bittern. The State also works out royalty on the basis of 10 million mds. Production of it and an increase of 27 percent for expected rise in prices over 99 years.

6. The Government of India's comments on the State Government's statement were:—

(*i*) The contentions in regard to the cess are not in conformity with the Act.

(*ii*) The States calculations of increase in production and price share too optimistic. There are uncertain factors in regard to the production and price levels cannot be fixed as suggested by the State. Similarly the State Governments estimates for the working of the by-products are highly inflated.

(*iii*) Examination of working results shows that payment of royalty at the existing rate for the salt produced from Sambhar is unremunerative.

(*iv*) The rent already offered for the Sambhar Lake area works out to a much higher rate that the rentals prevailing in Madras and Bombay for salt producing areas.

7. I have examined the contentions on both sides and also the financial working of the concern. I have also obtained rental fixed for salt leases in other areas and details of the working of other Salt concern. There is the analogy of terms offered to the Madras Government for the Noyvali project. Conditions in the two cases are, however, widely different and this should be taken it to account as well as the

advantages possessed by the Sambhar. The natural replonishment of salt resources that is taking place and the Centre location. As a set off, there are the fact that the salt production at Sambhar is subject to seasonal vicissitudes and costs are generally higher that costs in areas on the cost in which salt is manufactured from sea water. Obviously, public policy requires that salt prices should be maintained at reasonable levels. There should be partnership between the two Governments for developing the resources by increasing salt production and manufacture of by-products, Rajasthan's share apart from the rent fixed should be in the net profit of the concern.

8. A statement is attached showing the financial working of the Sambhar source for 9 years. It will be seen from this that the annual average profit in the working came to Rs. 1,70,285/- and the average of annual payments to the Rajasthan Government came to Rs. 7,88,750.

New Delhi,
29th April, 1961.

Sd/- V.T. KRISHNAMACHARI

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१६ देखिये)

भरतपुर के जिले के अन्दर चमडा उद्योगों को निम्नलिखित औद्योगिक कर्जा दिया गया है:—

१. श्री कुलिया राम पुत्र घूरेराम जाटव, भरतपुर .. ७०० रु० दि० २८-३-५७ को
२. श्री रामस्वरूप जाटव, भरतपुर .. .. ५०० रु० ,,
३. यादराम पुत्र चुन्ना जाटव, डीग .. .. ७५० रु० ,,
४. श्री मूलचन्द जाटव, भरतपुर .. .. ७५० रु० ,,
५. श्री चुन्डुराम पुत्र मिक्की जाटव, भरतपुर .. १००० रु० ,,
६. श्री गोपीलाल जाटव, भरतपुर .. .. ५०० रु० ,,
७. श्री रामजी लाल जाटव, भरतपुर .. .. ७५० रु० ,,
८. श्री बाबूलाल जाटव, डीग .. .. .. ७५० रु० ,,
९. श्री छीतरिया जाटव, डीग .. .. .. ७५० रु० ,,
१०. श्री परशादी लाल जाटव, डीग .. .. १००० रु० ,,
११. श्री किशनलाल जाटव, डीग .. .. १००० रु० ,,
१२. श्री कन्हैयालाल, डीग .. .. .. १००० रु० ,,
१३. श्री चिरंजीलाल जाटव, डीग .. .. ७५० रु० ,,
१४. श्री शोभाराम जाटव, भरतपुर .. .. ७५० रु० ,,
१५. श्री रोशनलाल जाटव, भरतपुर .. .. १००० रु० ,,
१६. श्री देवबक्स जाटव, डीग .. .. .. ५०० रु० ,,
१७. श्री राम चन्द जाटव, डीग .. .. .. ५०० रु० १४-३-५८
१८. श्री टीकम चन्द जाटव, भरतपुर .. .. ३००० रु० ६-१०-५८
१९. श्री टीकाराम जाटव, डीग .. .. .. १५०० रु० ६-१०-५८
२०. श्री परशादी लाल जाटव, डीग .. .. १५०० रु० ६-११ ५८
२१. श्री गेन्दाराम जाटव, डीग .. .. .. १५०० रु० ६-११-५८
२२. श्री चन्द-एलमचन्द जाटव, डीग .. .. २००० रु० १७-१-५९
२३. श्री हंसा जाटव, डीग .. .. .. १५०० रु० १७-१-५९
२४. श्री प्रभु जाटव, डीग .. .. .. १५०० रु० १७-१-५९
२५. श्री पांचा जाटव, डीग .. .. .. १५०० रु० १७-१-५९
२६. श्री जटारिया जाटव, डीग .. .. .. १५०० रु० १७-१-५९
२७. श्री बीधा जाटव, डीग .. .. .. ५०० रु० २९-३-५९
२८. श्री नत्थीसिंह जाटव, डीग .. .. .. ५०० रु० २-३-५९
२९. श्री चर्म उत्पादक सहकारी समिति, अगाई .. २५०० रु० २७-३-५९
३०. श्री रतनसिंह जाटव, डीग .. .. .. १५०० रु० २१-११-५९
३१. श्री नत्थी लाल जाटव, भरतपुर .. .. २००० रु० २१-११-६१

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२० का उत्तर देखिये)

जिला पाली भू-राजस्व बकाया की सूची दिनांक ३०-९-६२ तक

नाम तहसील	१-१०-४९ से पूर्व	४९-५० २००६	५०-५१ २००७	५१-५२ २००८	५२-५३ २००९	५३-५४ २०१०	५४-५५ २०११
पाली ..	२१३१	४३८०	४१४९	३९३८	२६२८	३४१८	१७८१८
बाली ..	..	६९३४	७६०२	१०१८८	९६७०	११७६४	१३१०२८
देसूरी ..	..	१३९४	३६६७	१५६२	४२६	४०९	२४३८९
सोजत ..	३११३	२५२१	३८४२	२३०२	१४११३	२३०९१	३३८४५
जेतारण	१७७५६	११८१	१३०८	१९४७	२०६५५	२२०८४	२५५७७
खारची ..	१५६९	५१३	१०१८	१५७१	१४१६३	१७८२६	६७४००
रायपुर ..	..	३६	८	११९२३	६६१८	९९५१	१६३९१
योग ..	२४५६९	१७९५९	१९६९५	३२५२५	६६३६८	८६५८०	३२४१३०

(पूर्व क्रम से)

५५-५६ २०१२	५६-५७ २०१३	५७-५८ २०१४	५८-५९ २०१५	५९-६० २०१६	६०-६१ २०१७	६१-६२ २०१८	योग
१६८७१३	५१३१२	४७५८३	११७१५८	१२२०२९	१२१७५२	१९३४००	८६०४०९
८६३६५	८४५२२	८७३२९	१८४६११	१९१४४४	१८२०३२	२६९३०१	१२६२८०२
१६२६६	२५३५५	२९४६०	६९३६२	७६३१०	७९१५८	११२१०९	४४०२२७
१९२५४	२१७९२	३६०७१	१०१७८३	५७६७५	६६९२७	७५७७२	४६२१२२
४४४६९	२८६०२	२३६०२	४०१३३	४०९२९	४१२०५	४९१२०	३६१९५८
३५७८६	२५६७७	१८६८१	४८९२३	५३४७२	५७०९७	१९०७७	२२२७७२
१५१११	४२४५	६२५५	१७९८५	१३४०३	१९००२	२०२६७	१४१२५३
३८५९६५	२४१५०५	२४९३३५	५७९९५५	५५८३६२	५६७५३२	७६८९९६	३९५१५४५

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२५ का उत्तर देखिये)

सूची कागजात रेवेन्यू क्लर्क की आलमारी के ताले को तोड़ कर चोरों द्वारा निकाले जाकर कुआं मीर सा० में डाले गये थे।

१. रजिस्टर पेशी।
२. रजिस्टर रिसीट जनरल हाय ।
३. रजिस्टर जनरल रिसीट पुराना।
४. रजिस्टर हाजिरी ।
५. रजिस्टर मद्द रेवेन्यू व रीडर हाय।
६. रजिस्टर मिसलबन्द जेर कार।
७. रजिस्टर मिसलबन्द पी. डी. आर.।
८. रजिस्टर कागजात भेजने रिपोर्ट मुताबिक दफे ९१ एल. आर. एक्ट।
९. रजिस्टर कार्य गुजारी महावारी ।
१०. रजिस्टर स्टाम्प्स मय सर्विस टिकिट स्टाम्प १२.५० न. पै. प्राप्त हुए।
११. रजिस्टर नकल हाय ।
१२. फाइल्स रजिस्ट्रेशन दरख्वास्त हाय व नक्शेजात वगैरह।
१३. फाइल्स जिन हुक्मों के तहत मिसलें सदर को भेजी जाती हैं।
१४. फाइल्स अहकामात सदर।
१५. फाइल्स वाद होने घोषित चरागाह।
१६. फाइल्स लिस्ट हाय मिसलात रेकार्ड रूम में भेजी जाती हैं ।
१७. मिसलात फैसला शुदा माह जुलाई।
१८. मिसलात चरागाह किता १८ ।
१९. बस्ता श्री चामुण्डा देवी वैंगोर (जिसमें मीटिंग कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, रसीद बुक, फाइल हर त्यौहार व अन्य कागजात वगैरह ।
२०. मिसल बकाया परमानन्द सांतरूक।
२१. मिसलात मौके पर पेशी होनी थी ।
२२. कागजात पैरवी मुकद्दमात।
२३ कागजात अमल दरामद सदर।
२४. मिसलात लावारसी।
२५. मिसलें जेर कार जसमें सभी किस्म की मिसल दर्ज थीं ।
२६. फाइल मिसलात बकाया पी. डी. आर. किता ४२।
२७. मिसलात बकाया आवयाना तकाबी दीगर सररश्तेजात।
२८. मिसलात नम्बरदारी ।
२९. कागजात पैमाइश रकबा।
३०. कागजात फलोटिंग लोन ।
३१. फाइल तकाबी बकाया भरतसिंह गुदावली।
३२. फाइल बाबत किये जाने नीलाम रकबा परमानन्द मय फर्द कमेटी नीलाम जिसमें २०५००) की आखिरी बोली दुवरनसिंह की थी।
३३. रजिस्टरी हाय जो वाद करने नकल मुतल्लकीन को देनी थी। किता करीब १३।
३४. रजिस्टर बुक नम्बर १, १७-२-६२ के बाद की व बुक नम्बर २, ३, ४, शुरूआत से ।
३५. कैशबुक रजिस्ट्रेशन शुरू से ।
३६. रसीद बुक २८-४-६२ के बाद ।

परिशिष्ट ८

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

राज्य में प्रौढ़ महिलाओं के लिये शालाऐं।

२२६. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में प्रौढ़ महिलाओं को पढ़ाने के लिये कितनी प्रौढ़शालाएं हैं?

(२) इन प्रौढ़शालाओं से कितनी महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की?

(३) प्रौढ़शालाओं पर सरकार कितना खर्च करती है?

उत्तर

(१) सन् १९६१-६२ में पंचायत समितियों द्वारा ३५० प्रौढ़ महिला शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया था। सन् १९६२-६३ के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

(२) ३५० प्रौढ़ महिला शिक्षा केन्द्रों द्वारा ३,८०० प्रौढ़ महिलाएं साक्षर की गई। सन् १९६२-६३ के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

प्रौढ़शालाओं के संचालन में व्यय पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। पंचायत समितियों को समाज शिक्षा के कार्यों के संचालन हेतु समाज शिक्षा मद के अन्तर्गत अनुमानित धनराशि दी जाती है। समाज शिक्षा प्रवृत्तियों के अन्तर्गत ही प्रौढ़ शिक्षा का कार्य किया जाता है और दिये गये प्रावधान में से पंचायत समितियां अपनी इच्छानुसार प्रौढ़ शिक्षा निमित्त जितनी रकम चाहें व्यय कर सकती हैं। समाज शिक्षा के अन्तर्गत किये गये कार्यों पर होने वाले व्यय का विवरण अलग अलग प्राप्त नहीं होता है तथा पंचायत समितियां अपनी आय में से भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों पर व्यय करती हैं। अतः यह बतलाना संभव नहीं हो सकता कि प्रौढ़ शिक्षा पर पंचायत समितियों द्वारा कुल कितना व्यय होता है।

जो रक़म सन् १९६१-६२ में शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत समितियों को प्रौढ़ शालाओं पर व्यय करने के लिये स्थानान्तरित की गई वे इस प्रकार है:—

(१) लिखने पढ़ने के लिये सामग्री ख़रीदने हेतु	७५,००० रु०
(२) अध्यापकों को पुरस्कार वितरण करने हेतु	८७,००० रु०
योग	१,६२,०००

अनूपगढ़ में बाढ़ पीड़ितों को धनराशि

२२७. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (राय-सिंहनगर):** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ज़िला गंगानगर, तहसील अनूपगढ़ में सन् १९५९-६०, १९६०-६१ व १९६१-६२ में कितना रुपया बाढ़ पीड़ितों में वितरित

किया गया और किन किन किसानों को किस किस गांव में दिया गया? सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या इस रुपये का वितरण उन्हीं गांवों में हुआ है जहां घग्घर नदी की बाढ़ से हानि हुई है तथा क्या बाढ़ पीड़ितों को ही वास्तविक वितरण हुआ है? क्या इस संबंध में सरकार के पास कोई शिकायत हुई है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार की ओर से जांच हुई है? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या रहे? यदि जांच नहीं हुई तो क्या सरकार तुरन्त जांच करवाने का इरादा रखती है?

उत्तर

(१) कोई नक़द रुपया वितरित नहीं किया गया।

(२) घग्घर नदी की बाढ़ से पीड़ितों को कोई नक़द रुपया वितरित नहीं हुआ, नहीं किसी प्रकार की शिकायत हुई।

गैर आबादी भूमि को परिवर्तित करने के प्रार्थना-पत्र, जालोर तथा बाड़मेर

२२८. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाडा): क्या राजस्व-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जालोर तथा बाड़मेर जिलों से कुल कितने प्रार्थना-पत्र गैर आबादी भूमि को आबादी में परिवर्तित करने हेतु सरकार को पिछले तीन वर्षों में अब तक दिये गये हैं व उनमें से कितनों पर आवश्यक आदेश हो चुके हैं?

उत्तर

गैर आबादी भूमि को आबादी में परिवर्तन करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये गए उनकी स्थिति निम्न प्रकार हैं:—

नाम जिला	प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुये	प्रार्थना-पत्रों पर आदेश दिये गये
बाडमेर	२५	६
जालोर	९६	२५

एस. डी. ओ., नीम-का-थाना की अदालत में विचाराधीन मुकदमें

२२९. **श्री सतीशकुमार** (बानसूर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) एस. डी. ओ. किशनगढ (जिला अलवर) की अदालत में इस समय कितने कितने मुकदमात माल व फौजदारी के पेंडिंग हैं व दो साल पहले ये मुकदमात कितने थे?

(ख) प्रतिदिन कॉज़ लिस्ट में अमूमन कितने मुकदमे रखे जाते हैं और उनमें से कितनों में समय न होने के कारण तारीख लगाई जाती है व कितनों में कार्यवाही की जाती है पिछले ६ माह का एवरेज बताया जावे।

(ग) इस अदालत का पिछले साल का दायर व डिस्पोजल का एवरेज रेट क्या है?

उत्तर

(क) सब डिवीजनल अधिकारी किशनगढ़ की अदालत में इस समय फौजदारी ४११ व माल के ६१३ मुकदमात पेंडिंग हैं। इनमें दो वर्ष पूर्व के क्रमश: ३७५ और २४६ फौजदारी और माल के हैं।

(ख) दैनिक कॉज लिस्ट में साधारणतया ३० मुकदमें रखे जाते हैं। प्रतिदिन औसतन १ केस तब्दील होता है। शेष पर नियमानुसार कार्यवाही होती है।

(ग) साढ़े बासठ प्रतिशत।

जोधपुर अजमेर, उदयपुर, आदि के पोलिटैक्निक्स के लिये भवन निर्माण

२३०. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जोधपुर, अजमेर, उदयपुर आदि के पोलिटेक्निक्स के लिये भवन निर्माण एवं अन्य साज सज्जा में कितना खर्चा करने का प्रावधान है ?

(२) बीकानेर के पोलिटैक्निक के संबंध में कुल कितना खर्चा किया जायेगा तथा उक्त संस्था के भवन एवं विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(३) क्या यह सही है कि डूंगर कॉलेज के पुराने भवन में जिसमें कि पोलिटेक्निक अस्थाई रूप से है, वर्कशॉप आदि के लिये इस वर्ष २-३ लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है ? क्या यह सही है कि पोलिटैक्निक का नया भवन बनने के बाद उक्त मकानात बेकार रहेंगे ? अतः सरकार लाखों रुपयों का अनावश्यक व्यय न करके इसी साल में पोलिटेक्निक का नया भवन क्यों नहीं बना लेती है ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के भवन निर्माण के लिये भारत सरकार धनराशि मुहैया करती है ? अगर हां, तो बीकानेर की उपरोक्त संस्था के लिये भारत सरकार से कितनी धनराशि मिली है अथवा मिलने की संभावना है ?

उत्तर

(१) जोधपुर, अजमेर व उदयपुर में पोलीटैक्निक संस्थाओं के लिये भवन निर्माण के लिये १३,००,०७०, ६,६१,८०८ व ६,६०,००० क्रमशः का प्रावधान है तथा शिक्षा सामग्री (इक्विपमैन्ट्स) के लिये १२,५०,२५३, १३,७४,३०० व १०,१२,००० रुपये क्रमशः प्रावधान है।

(२) बीकानेर पोलिटैक्निक संस्था के भवन व मशीनरी के लिये २८ लाख रुपये का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपत्तिकाल को ध्यान में रखते हुए भवन-निर्माण का कार्य कुछ काल के लिये स्थगित कर दिया गया है। मगर राष्ट्र की प्रगति रुकने नहीं पावे अतः पोलिटैक्निक संस्था को डूंगर कॉलेज का भवन अस्थाई रूप में सौंप दिया जिसमें पोलिटैक्निक संस्था सुचारु रूप से चल रही है। विद्यार्थियों के आवास के लिये अभी तक डूंगर कालेज भवन में स्थान दे दिया गया है। इस वर्ष में सरकार ने डूंगर कॉलेज का छात्रावास पोलिटैक्निक संस्था को स्थानान्तरण करने का आदेश दिया है। छात्रावास मिलने पर यह व्यवस्था करदी जावेगी।

(३) पुराना भवन डूंगर कॉलेज अस्थाई भवन बनाने के लिये एक लाख रुपये का प्रावधान है। यह सत्य है कि यह अस्थाई भवन (प्रिफ्रेविकेटर स्ट्रक्चर) नया भवन बनेगा जब वहां काम में ले ली जाती है तथा थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ में खर्चा होता है वह अवश्य व्यर्थ जाता है। पोलिटैक्निक संस्था के लिये भवन तैयार करने के लिये जन भवन निर्माण कार्यालय को कई वर्ष लग जाते हैं क्योंकि

सरकार द्वारा बनाये हुए सभी नियमों का पालन करने के पश्चात् ही भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

(४) भारत सरकार प्राविधिक शिक्षा के भवनों के निर्माण के लिये धनराशि मुहैया करती है यह सत्य है। बीकानेर पोलिटेक्निक पर जितना खर्चा होगा उसका ५० प्रतिशत भारत सरकार धनराशि मुहैया करेगी।

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक ७ मार्च, १९६३)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१४५६	८	ग,	उद्योग,
१४६१	५	लडढा	लड्ढा
१४६२	४	Nimbah ra	Nimbahera
१४६६	५	licensee	licencee
१४७४	२१	फार्मो	फर्मो
१४६०	२५	·t	it
१४६३	२	come	came
१४६६	१८	नाथूलास	नाथूलाल
१५०४	कॉलम संख्या	—	(१५०४
१५१०	१६	रेकॉर्डस्	रेकार्ड स
१५११	शीर्ष	(नत्थी सिंह)	(श्री नत्थी सिंह)
१५१५	१२	लड्ा	लड्ढा
१५२२	शीर्षक	सामान्य प्रशासन मतदान	सामान्य प्रशासन
१५२८	२	actieved	achieved
१५३०	४	सींकर	सीकर
१५३१	३	मटर्स	मेटर्स
१५३३	अन्तिम से २	म्रष्टाचार	भ्रष्टाचार
१५४४	८	मने	मैंने
१५५१	शीर्ष	सतीशशचन्द्र	सतीशचन्द्र
१५६०	२०	०	पर
,,	२२	सभानत्री	सभानेत्री
१५६१	१	दिनशराय	दिनेशराय
१५६६	शीर्षक	प्रशायन	प्रशासन
१५७६	६	अ	आज
,,	१५	स ा ०	सो कहा
१५६२	२८	श्री निकचन्द	श्री मानिकचन्द
१६४१	शीर्षक	संख्या ३५	संख्या ५३
१६४७	,,	संरया	संख्या
१६५६	अन्तिम से ४	शेष मांगों पर मुाव-बंध मांग संख्या ५५-पुलिस	**शेष मांगों पर मुख बंध** मांग संख्या ५५-पुलिस
१६५८, १६६२, १६६३	शीर्षक	पर मुखबन्ध	मुखबन्ध
१६६५	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
१६८७ व १६८६	शीर्षक	परिशिष्ठ	परिशिष्ट